लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय सूची/CONTENTS

अंक 16, बुधवार, 29 जून, 1977/8 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 16, Wednesday, June 29, 1977/Asadha 8, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 245, 247 से 249, 252 से 254, 256 से 257 ।	*Starred Questions No. 245, 247 to 249, 252 to 254, 256 and 257	1—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 244, 246 250, 251, 255 और 258 से 263 ।	Starred Question Nos. 244, 246, 250, 255 and 258 to 263 .	13—18
अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 से 2088, 2090 से 2108, 2110 से 2176, 2178 से 2195 और 2197 2249 ।	Unstarred Questions No. 2077 to 2088 2090 to 2108, 2110 to 2176, 2178 to 2195 and 2197 to 2249	18—82
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on The Table .	82—86
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	86
नियम 377 के अधीन मामला--	Matter under Rule 377	87
प्रत्यक्ष कराधान विधियों को यूक्तियुक्त बनाने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन करने का सुझाव	Appointment of a committee to suggest measures for rationalisation of Direct Taxation Laws	87
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	87
समितियों के लिये निर्वाचन	Election to Committees	87
(एक) राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड	(i) National Welfare Board for Seafarers . . .	87

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign. +marked above the name of a Member indicated that the question was actully asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(दो) राष्ट्रीय कैडट कोर की केन्द्रीय परामर्शदात्री समति	(ii) Central Advisory Committee for the National Cadet Corps	87—88
अनुदानों की मांगें, 1977-78	Demands for Grants, 1977-78	88
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	88
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	88—98
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwara Rao	98—99
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	100—101
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	101—102
श्री हरि विष्णू कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	102—103
श्री दीनेन भट्टाचार्या	Shri Dinen Bhattacharya	103—104
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	104—105
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	105—106
श्री माधव राव सिंधिया	Shri Madhavrao Scindia	106
श्री एरिफ बेग	Shri Arif Beg	107
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	107—108
श्री पी० के० कोडियन	Shri P. K. Kodiyan	108
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	108—109
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwalla	109—110
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	110—111
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	111
श्री समरेन्द्र कुन्डू	Shri S. Kundu	111

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 29 जून, 1977/8 आषाढ़, 1899 (शक)

Wednesday, June 29, 1977/Asadha 8, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

झरिया कोयला क्षेत्र में काम का अस्त-व्यस्त होना

*245. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1977 के पूर्वार्द्ध में झरिया कोयला क्षेत्र में काम के अस्त-व्यस्त होने के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी हानि हुई; और

(घ) इस क्षेत्र में पुनः औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) : ऐसा बहुत सी बातों के कारण हुआ जिनमें गैर हाजिरी, मशीनी गड़बड़ के कारण काम-बंदी, बिजली सप्लाई में रुकावट तथा औद्योगिक असंतोष शामिल हैं ; इस अवधि के दौरान उत्पादन में हुई कुल हानि लगभग 1,50,000 टन रही ।

(घ) प्रबंध मंडल इस बात के लिए सभी संभव प्रयास करता रहा है कि काम न रुके और विभिन्न यूनियनों तथा सरकारी समझौता मशीनरी के उपयोग द्वारा विचार-विमर्श व बातचीत से कामगारों की स्थानीय तथा सामान्य मांगों को निपटाया जा सके ।

श्री एस० आर० दामाणी : वह कहते हैं कि विभिन्न यूनियनें हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मान्यताप्राप्त यूनियन कौन सी हैं ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इस समय उस क्षेत्र में ए० आई० टी० यू० सी, इंटक और अन्य यूनियने हैं।

श्री एस० आर० दामाणी : इसका अर्थ है कि मान्यताप्राप्त यूनियन कोई नहीं । बहुत सी यूनियनें बनी हुई हैं । आप ऐसा होने दे रहे हैं और वे लोग हड़तालों में लगे हैं।

श्री पी० रामचन्द्रन : सदस्यता की जांच करके यूनियनों को मान्यता दी जाती है । लेकिन नीति वही है चाहे यूनियन को मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ।

श्री एस० आर० दामाणी : उत्तर स्पष्ट नहीं है । क्या यह तथ्य है कि वहां हिंसात्मक घटना हुई और एक चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों का 8 घंटे के लिए घेराव किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि घेराव के बारे में सरकारी नीति क्या है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : सरकार की नीति यह है कि घेराव की अनुमति न दी जाये और न ही इसे मान्यता दी जाये । पहले प्रश्न के उत्तर में मेरा कहना है कि एटक और इंटक मान्यताप्राप्त यूनियनें हैं ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Whether it is a fact that the disputes mainly arise over the question of recognition and the unions with maximum number of membership are denied recognition whereas the union with negligible membership gets recognition ? Will the Government take steps to ensure that recognition is granted only on the basis of voting ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जी हां । सदस्यता के आधार पर मान्यता देने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी । यदि पहले ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में किया जायेगा ।

श्री अमृत नाहाटा : उन्होंने पूछा है कि क्या मान्यता सदस्यता की जांच के आधार पर नहीं बल्कि मतदान के आधार पर दी जायेगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री सौगत राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय मजदूर संघ या जनता पार्टी के अन्य घटकों से सम्बन्धित यूनियनें झरिया कोयला खानों में मान्यता चाह रही हैं ? क्या मंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि कोयला खानों में पहले से मान्यता प्राप्त इंटक और एटक यूनियनों के साथ कार्यकर्त्ताओं का बहुमत नहीं है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : यह प्रश्न भविष्य में कार्यवाही के लिए है और हम निश्चित रूप से उस पर विचार करके देखेंगे कि क्या यूनियनों को मान्यता दी जा सकती है ।

श्री सौगत राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जनता पार्टी के किसी घटक से सम्बन्धित कोई यूनियन जैसे भारतीय मजदूर संघ झरिया कोयला क्षेत्र में मान्यता चाह रहा है ।

श्री पी० रामचन्द्रन : इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं लेकिन इन यूनियनों की सदस्यता के आधार पर मान्यता दी जायेगी और यदि पहले उचित रूप से ऐसा नहीं किया जाता रहा तो अब किया जायेगा ।

SHRI BALBIR SINGH : What is the reaction of Government towards this policy that there should be one union in one trade. What action Government propose to take in this regard ?

श्री पी० रामचन्द्रन : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न श्रम मंत्री से सम्बंधित है । आशा है श्रम मंत्री इस प्रश्न को देखेंगे ।

पन-बिजली से उत्पादित ऊर्जा

*247. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पनबिजली से उत्पादित ऊर्जा स्थायी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध सोचे गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) जल की उपलब्धता तथा प्रचालन शीर्ष को ध्यान में रख कर ही किसी जल विद्युत् परियोजना से विद्युत् का उत्पादन अभिकल्पित किया जाता है । चूंकि जल संबंधी परिस्थितियां प्रतिवर्ष बदलती रहती हैं, अतः सिद्धांत रूप से, 90 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर विद्युत् उत्पादन के लिए जल विद्युत् केन्द्र अभिकल्पित किए जाते हैं । यद्यपि अच्छे वर्षों में जब जल की उपलब्धता नियोजित स्थितियों से अधिक हो जाती है तो जल विद्युत् केन्द्रों से भिन्न-भिन्न मात्रा में अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन उपलब्ध हो सकता है । जल संचय क्षमता पर आधारित जल विद्युत् केन्द्रों के मामले में उत्पादन, जलायशयों के प्रचालन की पद्धति पर भी निर्भर करता है ।

यदि जल विद्युत् केन्द्रों के समग्र कार्य निष्पादन को उनकी अभिकल्पित क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो कुल मिलाकर देश में जल विद्युत् शक्ति केन्द्रों का निष्पादन सन्तोषजनक रहा है । परन्तु जो जल-विद्युत् केन्द्र रन आफ रिवर किस्म के होते हैं या संचयी जलाशय के फलस्वरूप मिलने वाली सुविधा जहां नहीं होती उनसे उत्पादित ऊर्जा की मात्रा में घट-बढ़ होगी और यह घट-बढ़ जल की नियोजित उपलब्धता से ज्यादा जल उपलब्ध होने की स्थिति पर निर्भर होगी ।

विद्युत् विकास के लिए योजना बनाने में भार के स्वरूप तथा प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जल विद्युत् और ताप विद्युत् की मिली-जुली व्यवस्था को वांछनीय माना गया है तथा इस लक्ष्य को हमेशा ही ध्यान में रखा जाता है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है?

श्री पी० रामचन्द्रन : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं । लेकिन यह प्रश्न प्रधान मंत्री जी से पूछा जाना चाहिये ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या रामगुंडम या विजयवाड़ा में कोई उच्च तापीय केंद्र स्थापित किया जायेगा ?

श्री पी० रामचन्द्रन : यह सरकार के विचाराधीन है ।

प्रो० आर० के० अमीन : स्थायी और अस्थायी ऊर्जा उत्पादन का प्रश्न देश में चिंता का विषय है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश भर के लिए ग्रिड नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है ताकि फालतू और कम विद्युत् की समस्या और स्थायी तथा अस्थायी उत्पादन की समस्या का समाधान हो सके ।

श्री पी० रामचन्द्रन : जी हां । राष्ट्रीय ग्रिड नीति निर्धारित करना सरकार की नीति है और उसके बन जाने पर शायद यह समस्या सुलझ जायेगी ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं जानना चाहती हूं कि इस नीति पर विचार करते समय क्या विभिन्न राज्यों में टैरिफ दरों को भी पर्याप्त सुरक्षा दी जायेगी ? दूसरे मेरे राज्य तमिलनाडु में सदैव ही बिजली की कमी को देखते हुए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शीघ्र चालू करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री पी० रामचन्द्रन : दक्षिणी भाग में विद्युत् की कमी को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं और इसीलिए टूटीकोरन और नेवेली में एक-एक एकक लगाने पर कार्य हो रहा है। परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी प्रश्न प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित होना चाहिये ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : राष्ट्रीय ग्रिड नीति के सन्दर्भ में आपने टैरिफ दरों की सुरक्षा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

श्री पी० रामचन्द्रन : यह कार्य राज्य सरकार का है । ऊर्जा उत्पादन लागत और टैरिफ नीति पर उन्हें ही विचार करना है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : महोदय, मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री बिना जानकारी प्राप्त किये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

श्री ए० सी० जार्ज: यह सर्वविदित तथ्य है कि पन-बिजली उत्पादन के लिए केरल में बहुत क्षमता है अभी तक एक तिहाई क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है साइलेंट वैली में सबसे सस्ती पन बिजली बनाने के एक प्रस्ताव को योजना आयोग या अन्य विभागों की स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन वन्य जीवन सुरक्षा के नाम पर इस परियोजना को खटाई में डाला जा रहा है। दक्षिण ग्रिड में बिजली की कमी को देखते हुए क्या मंत्री जी सभा को आश्वासन देंगे कि साइलेंट वेली परियोजना की राह में बाधाओं को दूर करके उसे शीघ्र निपटाया जायेगा।

श्री पी० रामचन्द्रन: इस समय साइलेंट वेली परियोजना के बारे में मेरे पास सूचना नहीं। लेकिन यदि अलग से प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

SHRI VIRENDRA PRASAD : May I know whether the DVC hydro is generating power equal to its potential ?

श्री पी० रामचन्द्रन : सदस्य महोदय की जानकारी के लिए में बता दूं कि दामोदर घाटी निगम अपनी क्षमता से भी अधिक उत्पादन कर रहा है।

VIOLENCE IN ELECTIONS TO LEGISLATIVE ASSEMBLIES

*248. SHRI NIHAR LASKAR
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the places where incidents of violence took place during the recent elections to Legislative Assemblies;

(b) the number of workers killed and injured (State-wise); and

(c) the nature of action taken in regard to these incidents of violence ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) A statement is laid on thc Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-553/77]

(c) Cases have been registered and are under investigation.

श्री निहार लास्कर: यह वास्तव में दुःख की बात है कि कई राज्यों विशेष कर बिहार और मध्य प्रदेश में इतने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार चाहते थे। क्या आप विशेष-कर बिहार के बारे में बतायेंगे कि मरने वाले किस श्रेणी के थे (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिये।

श्री निहार लास्कर: मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे दुर्बल वर्ग के थे।

श्री चरण सिंह : प्रश्न यह था कि घटनाएं किन-किन स्थानों पर हुईं, कितने आदमी मारे गये या घायल हुए और क्या कार्यवाही की गई है। मैंने उनका उत्तर दे दिया है।

श्री निहार लास्कर: मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि इन 30 व्यक्तियों में से कितने दुर्बल वर्ग से सम्बन्धित थे विशेषकर हरिजन समुदाय से।

श्री चरण सिंह: मेरे पास इस की जानकारी नहीं।

श्री निहार लास्कर : क्या मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि एक विशेष स्थान पर दुर्बल वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोका गया। यदि हां तो क्या सरकार भविष्य में इन भ्रष्ट तरीकों को रोकेगी ?

अध्यक्ष महोदय: मामले की परिस्थितियों के अनुसार सभी को सुरक्षा दी जाती है। अपराध तो अपराध है चाहे दुर्बल वर्ग के विरुद्ध हो या शक्तिशाली वर्ग के।

SHRI SHEO NARAIN : May I know if the Government will grant compensation to the families of those who have been killed ?

SHRI CHARAN SINGH : No, Sir. The question of compensation does not arise.

श्री के० मलन्ना : लगभग 12 राज्यों में 823 व्यक्ति घायल हुए हैं और 39 मारे गये हैं । इसका यह अर्थ निकलता है कि इन राज्यों में कानून और व्यवस्था नहीं । सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री चरण सिंह : मैं प्रश्न समझा नहीं।

श्री के० मलन्ना : 823 व्यक्तियों को चोट लगी है और 39 मारे गये हैं । ये घटनाएं 12 राज्यों में हुई हैं । लगता है इन राज्यों में शान्ति और व्यवस्था बिल्कुल नहीं है । सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चरण सिंह : सदस्य महोदय किस राज्य की बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह सभी 12 राज्यों के बारे में कह रहे हैं और सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ।

श्री चरण सिंह : इन घटनाओं में केवल 39 व्यक्ति मरे हैं । क्या प्रश्न यह किया गया है कि इतने कम आदमी क्यों मरे है ?

SHRI ANANT DAVE : Sir, the question has been asked as follows :

"the number of workers killed and injured (state-wise)"

I want to know the names of parties to whom these workers belonged.

SHRI CHARAN SINGH : I have no information but I think there were very few of the Janata Party.

श्री समर गुह : आगामी चुनावों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने जम्मू और काश्मीर की यात्रा की समाचारों के अनुसार वहां कई हिंसात्मक घटनाएं हुई और प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था चुनाव अभियान के दौरान और चुनाव की तारीख को इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी । मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर में चुनावों के दौरान शांति बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं । हिंसात्मक गतिविधियों में कौन से दल लगे हुए हैं ?

श्री चरण सिंह : मूल प्रश्न उन राज्यों से सम्बन्धित है जहां चुनाव हो चुके हैं । जम्मू और काश्मीर में अभी होने हैं । अतः सम्बन्धित मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय वह इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री समर गुह : यह प्रश्न जनता के दिमाग को आन्दोलित कर रहा है । सभा में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी गृहीत किया गया है । इस लिए ऐसा आश्वासन दिया जाये कि शांति और व्यवस्था कायम रखी जायेगी । यह कोई असंगत प्रश्न नहीं है।

श्री के० पी० लकप्पा : श्री लस्कर के महत्वपूर्ण प्रश्न का चतुर गृह मंत्री ने तकनीकी आधार पर बड़ी चतुराई से उत्तर दे दिया है । हरिजनों एवं जनजातियों सहित सभी दुर्बल वर्गों की सुरक्षा और उन्हें स्वतंत्र रूप से मतदान करने देने का उत्तरदायित्व वर्तमान सरकार का है । वर्तमान सरकार ने उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मत देने से रोका है जिससे विधानसभा निर्वाचनों में हिंसात्मक घटनाएं हुईं । क्या यह सच है कि यह बात उनके ध्यान में लाई गई हैं और क्या स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी नीति नहीं है ? आपने दुर्बल वर्गों को मतदान करने से रोक कर कुछ सरकारों को गिराया है । आप की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चरण सिंह : मैं सदस्य महोदय द्वारा उत्तेजित नहीं हो रहा । फिर भी यदि वह कहते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार शांति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है तो मैं उन आंकड़ों को दोबारा बता देता हूं ।

श्री के० लकप्पा : यह गलत अर्थ लगाया जा रहा है ।

SHRI BHARAT BHUSHAN : May I know if the hon'ble Minister has information about the break-up of figures of injured or dead in the States where elections have taken place recently ?

SHRI CHARAN SINGH : This is a relevant question. Sir, with your permission I may fell the House that during Lok Sabha elections of 71 in these States the number of incidents was 1836.

In 1972 Assembly elections 836 incidents took place and 906 incidents occurred during Lok Sabha elections held in 1977 whereas in these Assembly polls only 508 incidents were reported.

In 1971 Lok Sabha election 250 deaths took place and during 1972 Assembly polls 42 people died. In the Lok Sabha elections of 1977 the death figure was fourteen.

श्री के० लकप्पा : महोदय, इस असंगत प्रश्न के लिए आपने कैसे अनुमति दे दी।

अध्यक्ष महोदय : संगत और असंगत प्रश्न का निर्णय करना सभा का काम है । आप बैठ जाइये । श्री लकप्पा को इस बारे में निर्णय करने का अधिकार नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के० चन्द्रप्पन : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद के सचिवालय से यह शिकायत प्राप्त हुई है और क्या उन्होंने प्रेस को जारी किये इस वक्तव्य को देखा है कि चुनावों के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के 9 कार्यकर्त्ता और बहुत से हरिजन भी मारे गये तथा उन्होंने जनता पार्टी को दोषी ठहराया है । क्या मंत्री जी ने इस की जांच करके किसी दोषी को पकड़ा है ?

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित इस विशेष शिकायत की मुझे जानकारी नहीं । लेकिन जो जन प्रिय सरकार बनी है वह इन घटनाओं की जांच कर रही है।

DEMAND FOR A COMMISSION TO INQUIRE INTO CHARGES AGAINST FORMER DEFENCE MINISTER

*249. SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Will the MINISTER OF HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the Members of Parliament who had made a demand to the President in 1975-76 for appointment of a Commission to enquire into the corruption charges against the former Minister of Defence, Shri Bansi Lal;

(b) the outcome of the demand made by the aforesaid Members of Parliament; and

(c) if no action was taken thereon at that time, the reasons therefor ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) The records do not show that any demand was received by the President from any Member of Parliament in 1975-76 for appointment of a Commission of Inquiry to inquire into the corruption charges against the former Minister of Defence, Shri Bansi Lal.

(b) & (c) : Do not arise.

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Sir, with your permission I would like to ask whether one Hundred M. Ps had signed a charter of demands requesting the President for appointment of a commission to enquire into the corruption charges against the former Defence Minister sometimes earlier if not in 1975-76.

SHRI CHARAN SINGH : The question related to 1975-76 and I have replied to that I have heard that a complaint had been made rather a memorandum had been submitted in 1972 and 1973. With your permission I may tell that a Commission has been appointed to consider all these things. This question can also be arised and whatever information of facts we might be having can be sent to that Commission.

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Will the complaints received earlier be considered ?

SHRI CHARAN SINGH: In view of the complaints received against the former Defence Minister we have appointed the Commission having comprehensive terms of reference. It will consider all these matters.

कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में जांच

*252. **श्री के० ए० राजन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी तरह जांच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी, सरकार कम्पनी के काम की लगातार पुनरीक्षा करती है।

श्री के० ए० राजन : 1974-75 में विभिन्न ग्रेड के कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के बाद भी कोल इण्डिया लिमिटेड को एक सौ करोड़ रुपये की हानि हुई है और गैर-सरकारी एजेंसियां भी सीमांतक लाभ ही कमा रही हैं । इस से लगता है कि इस महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रम की प्रबन्ध व्यवस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। क्या मंत्री जी इस के कार्यकरण की जांच करेंगे ?

श्री पी० रामचन्द्रन : वेतन वृद्धि तथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कुछ अन्य कारणों के फलस्वरूप इस सरकारी उपक्रम पर बहुत व्यय हो रहा है और उतनी मात्रा में कोयले का मूल्य नहीं बढ़ा है । कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्यकरण में यह एक मजबूरी है । इन सभी बातों की जांच विभिन्न स्तरों पर हो रही है और कम्पनी की हानि कम करने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० ए० राजन : मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मंत्री जी अधिकारियों द्वारा गुमराह न हों । मंत्री जी द्वारा बताये गये कारणों के फलस्वरूप हानि नहीं हो रही बल्कि कुव्यवस्था और सारी कम्पनी का कार्य ठीक न होने से ऐसा हो रहा है।

श्री पी० रामचन्द्रन : सरकार इस कम्पनी के कार्यकरण पर विचार करेगी और उस पर निरंतर निगाह रखेगी ।

CONSTRUCTION OF BRIDGES OVER YAMUNA AT KACHAURA GHAT AND BATESHWAR

*253. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 730 on the 16th April 1973 regarding construction of bridges over Yamuna at Kachaura Ghat and Bateshwar and state :

(a) whether there is a proposal to construct "pucca" bridges over the Yamuna at Kachaura Ghat and Bateshwar (Naurangi Ghat) in Bah Tehsil in Agra district of U.P.;

(b) whether, keeping in view the backwardness of this region, special Central assistance is proposed to be provided to the State Government for the construction of these bridges as a special programme under the dacoit eradication plan; and

(c) if so, the outlines thereof ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Since these bridges are on the State Road, their construction would be primarily the concern of the State Government.

(b) No such request has been received from the State Government which have not included them in their plans.

(c) Does not arise.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : On the 16th April, 1973 the then Minister of Shipping and Transport Shri Raj Bahadur had admitted that there is a need to construct bridges at Kachaura Ghat and at Bateshwar. He had assured that he is going to write to the State Government in this connection. May I know if he had written to the State

Government, if so, what action was taken by it at that time and whether these works will be included in the Fifth Plan because biggest cattle fair of Northern India is held at Bateshwar. Moreover it is one of the most backward area of the country.

SHRI MORARJI DESAI : The hon'ble Member is quite right but what can be done if the State Government does not agree to it.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : The area from Agra to Etawah and upto Urai is the most backward in the country and is adjacent to dacoit infested States. Kachauraghat is situated at about 100 kms away from Agra and 30 kms away from Etawah and is surrounded by rivers. In case the Central Government urge upon the U.P. Government and give timely help, its backwardness can be removed and dacoit menace can be put to an end by constructing bridges there.

SHRI MORARJI DESAI : All the things are correct. We cannot do anything unless the State Government make a demand. Assistance has been given for constructing an over-bridge on Yamuna near Etawah. Work is in progress. We cannot do anything unless a demand is made for the second overbridge.

SHRI RAMJI LAL 'SUMAN' : Before Independence there was a railway line between Agra and Bah but it was dismantled in 1939. The people of Shikohabad and Jaswantnagar can take advantage of these bridges. Whether keeping in view all these things the Central Government will provide help to State Government and include construction of the bridge in the Fifth Plan ?

A fair is held at Batesar and Government earn lakhs of rupees from it. Will the Central Government direct the State Government to spend this income on the development of Batesar.

SHRI MORARJI DESAI : It is difficult to issue orders to State Government. However, we will certainly help them if they so demand.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में ढलाई तथा गढ़ाई की सुविधा उपलब्ध न होना

*254. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढलाई तथा गढ़ाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की मशीन शाप के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक कारणों, जैसे बिजली की अनियमित सप्लाई और प्रेसों के खराब होने से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट को ढली वस्तुओं तथा गढ़ी वस्तुओं का कम मात्रा में सम्भरण हुआ है।

जो प्रेसें खराब हो गई थीं, उनकी तात्कालिक आधार पर मरम्मत की गई थी । बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को बिजली लगातार और नियमित रूप से मिलती रहे ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Whether its responsibility rests on Bihar Government or the Central Government ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : A lot of damage has been done there due to non-supply of power from the Bihar Government.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Whether some factor other than shortage of power is also responsible for this ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : The major factor is shortage of power. Besides break down of presses were also responsible for shortfalls.

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : The hon. Minister has just now stated that the Government of Bihar is being requested to supply power, but I may point out that there is already shortage of power in Bihar on account of which Heavy Engg. Corporation does get power. What steps Government propose to take to meet the shortage of power in Bihar ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : We cannot do anything for the time being. But efforts can be made to generate more power.

श्री ए० सी० जार्ज : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची देश में सरकारी क्षेत्र का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपक्रम है । कई वर्षों तक इसमें घाटा होता रहा है । पहली बार वर्ष 1975-76 में हमने लाभ कमाया है और वर्ष 1976-77 में भी हमने लाभ कमाया है । परन्तु अब हमें इसमें भारी हानि तथा औद्योगिक असन्तोष के समाचार मिले रहे हैं । इस उद्योग को पुन: सुचारू रूप से चलाने के लिये माननीय मंत्री क्या कदम उठा रहे हैं ?

क्या आप इसकी जांच करेंगे । हाल में चेयरमैन ने हताश होकर और मंत्री तथा प्रबन्धकों से विचार मेल न खाने के कारण त्यागपत्र दे दिया है । 28,000 कर्मचारी वहां काम करते हैं । यह आधुनिक भारी इंजीनियरिंग उद्योगों में से एक है । इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री ने इस मामले की जांच की है ?

श्री बृजलाल वर्मा : जी हां, मुझे मालूम है कि वहां पर भारी हानि हुई है । अब तक 117 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है ।

श्री ए० सी० जार्ज : लाभ के बारे में क्या हुआ ?

श्री बृजलाल वर्मा : हम प्रयास कर रहे हैं कि यह ठीक प्रकार से चले । अब हम अन्य व्यक्तियों से हर प्रकार की सहायता ले रहे हैं और देख रहे हैं कि पूर्ण कुशलता बनाई रखी जा सके ।

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : The hon. Minister has stated that shortage of power is the main cause for mismanagement in industries there. Whether Government have under consideration any proposal that all the big industries, which do not get full power from the State Governments, should set up their own power plants so that they can meet the shortage of power ?

SHRI BRIJ LAL VERMA : A proposal to make a single grid is under consideration.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं जानना चाहती हूं कि अप्रैल और मई में उत्पादन में कितनी कमी हुई है ? इस प्लांट को निर्यात के लिये बड़े-बड़े आर्डरों की पूर्ति करनी है । ऐसा न करने से हमारे देश की प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । गत 3-1 वर्षों में लगातार सुधार के बाद यदि अचानक उत्पादन में कमी आती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर कुछ गड़बड़ी है और हम अपने वचन को पूरा नहीं कर पायेंगे । विदेशों से बहुत आर्डर दिये गये हैं ।

श्री बृजलाल वर्मा : यह कमी पिछली सरकार की थी । हम उसकी जांच कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जार्ज : उत्पादन का लक्ष्य क्या है । यह गलत उत्तर है । दो वर्षों के अन्दर इस उद्योग ने 105% उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया है । मैं मंत्री को चुनौती देता हूं । यह वास्तव में गलत है । गत दो वर्षों में इस उद्योग ने लक्ष्य पूरा कर लिया है । क्या मंत्री जी को इस बात का पता है ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैंने अप्रैल और मई में उत्पादन के बारे में पूछा है । मैं जानना चाहती हूं कि विदेशों से शेष पड़े आर्डरों की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि वह एक और नोटिस चाहते हैं तो वह उसके लिये कह सकते हैं ।

श्री बृजलाल वर्मा : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है । मई में कम उत्पादन का कारण बिजली की कमी है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैंने पूछा है कि कमी कितनी हुई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिजली की कमी के कारण है । हमें इस तथ्य को मानना चाहिये।

(व्यवधान)

फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इंडिया में अनधिकृत दाखिला

*256. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 में या उसके आसपास एक युवती को फिल्म इंस्टीट्यूट आफ पुणे (महाराष्ट्र) में दाखिला दिया गया था यद्यपि वह फिल्म इंस्टीट्यूट की छात्रा नहीं थी ;

(ख) क्या उसने इंस्टीट्यूट में निवास के दौरान इंस्टीट्यूट के छात्रों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाया था ;

(ग) उसे किस की सिफारिश से दाखिला दिया गया था ; और

(घ) सरकार ने इस अवैध कार्यवाही के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) एक गैरविद्यार्थी लड़की को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के गर्ल्स होस्टल में 1976-77 के दौरान लगभग तीन महीने के लिए सामान्य प्रभारों का भुगतान करने पर दाखिला दिया गया था।

(ख) संस्थान के निदेशक के अनुसार उसने प्रभारों का भुगतान करके गर्ल्स होस्टल की सामान्य सुविधाओं का लाभ उठाया था ।

(ग) उसको संस्थान की प्रबंध परिषद के उपाध्यक्ष की सिफारिश पर दाखिला दिया गया था ।

(घ) सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि संस्थान के निदेशक के अनुसार इस तरह का यह पहला मामला नहीं था और इसमें कोई गैर-कानूनी बात नहीं थी।

श्री आर० के० महालगी : फिल्म इंस्टीट्यूट के होस्टल में गैर छात्रों को दाखिला देने के कितने मामले हुए हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : जहां तक मेरा ख्याल है पहले ऐसे दो मामले हैं; कोर्स में दाखिले का कोई मामला नहीं है । उन्हें होस्टल में सामान्य प्रचारों की अदायगी करने पर दाखिला दिया गया था।

श्री आर० के० महालगी : उनके नाम क्या हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : भूतपूर्व निदेशक की पत्नी श्रीमती मूर्ति को सामान्य प्रभारों की अदायगी करने पर थोड़े समय के लिये होस्टल में ठहरने की अनुमति दी गई थी । एक अन्य छात्र का मामला भी था जो प्राचीन दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा था । उसे वहां ठहरने की अनुमति दी गई थी यद्यपि वह संस्थान का छात्र नहीं था । उसे गैर-छात्र के रूप में अनुमति दी गई थी ।

श्री सोनू सिंह पाटिल : क्या इस सम्बन्ध में किसी के मामले में स्वविवेक भी बरता गया है ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : ऐसी कोई बात नहीं है । किसी भी व्यक्ति को चाहे वह चेयरमैन हो या वायस चेयरमैन हो, वहां पर ठहरने के लिये अनुमति देने का अधिकार नहीं दिया गया है । परन्तु ऐसा न करने का भी कोई नियम नहीं है । मैंने तो केवल उदाहरण दिये हैं ।

श्री यशवंत बोरोले : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस होस्टल में दाखिला लेने के लिये कुछ नियम और विनियम भी हैं और यदि कोई नियम या विनियम नहीं हैं तो इसे अवैध कैसे कहा जा सकता है ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : यदि कोई बताता है कि इस मामले में कोई अनियमितता है तो यह न केवल इस मामले पर बल्कि पहले के मामलों पर भी लागू होगी । परन्तु ऐसी कोई अनियमितता नहीं है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : होस्टल में उसके दाखिले के अलावा क्या इस लड़की ने फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा चलाई गई कक्षाओं में भी भाग लिया था ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : मेरी जानकारी के अनुसार उसने इंस्टीट्यूट द्वारा चलाई गई कक्षाओं में भाग नहीं लिया । परन्तु उसने नृत्य की कक्षाओं में भाग लिया । पुणे इंस्टीट्यूट जो कोर्स चलाती है नृत्य उनमें से एक कोर्स नहीं है ।

REQUEST FOR FRESH ENQUIRY INTO THE DEATH OF FORMER RAILWAY MINISTER

*257. SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA
SHRI ISHWAR CHOUDHARY } Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the widow of the former Railway Minister, late Shri Lalit Narain Mishra, has requested in her letters to the Prime Minister and the Home Minister that she is not satisfied with the enquiry conducted by Mathew Commission into the bomb explosion incident on 2nd January 1975 at Samastipur Railway Station in which her husband lost his life and she has in her possession some information which can lead to the arrest of real culprits and that a fresh enquiry may, therefore, be conducted; and

(b) if so, whether a copy of her letter would be laid on the Table of the House indicating Government's reaction and the decision taken by Government on her request ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) & (b) The Home Minister has received a letter from Smt. L. N. Mishra on the subject, a copy of which is laid on the Table of the House. The Government have also received the report of the Mathew Commission which is under examination. The incident of bomb explosion on 2nd January, 1975 which resulted in the death of the former Railway Minister, Shri L. N. Mishra, is sub-judice and no further comment on the same at this stage would be appropriate.

COPY OF LETTER

SMT. LALIT NARAYAN MISHRA,

8, Krishna Menon Marg,
New Delhi-11
11-5-1977

Respected Singhji,

Namaskar. Feeling depressed I am writing this letter. I was silent for the last two and half years as Mathew Commission was in position. Jaggannath had also become Bihar Chief Minister. I told him to investigate the matter of Misraji's murder but he replied that nothing can now be found as lot of time has elapsed. Because of emergency also I could not say anything. Today I read in the newspapers that the Mathew Commission had submitted its report. I had hoped that the Commission would call me and enquire from me as to what I have to say about the murder of my late husband Shri Lalit Narayan Mishra. If the Commission had given me an opportunity, I could have told about the circumstances prevailing before his murder and the persons on whom I had a doubt. But I regret very much to say that I have not been given an opportunity to say anything. Even if a theft takes place in a village, the person concerned is asked by the Daroga about the person who is suspected. It is strange that such a thing happened in our country, neither the Mathew Commission nor the Government ever asked me anything. Newspaper reports also say that the Mathew Commission has based its enquiry on CBI reports. It had no other investigating agency to co-operate with. There were not of restrictions on the Commission as a result of which it could not independently clear off all the doubts connected with Mishraji's murder.

I have full faith in you. I wish that a fresh independent and complete enquiry is made about late Shri Mishraji's murder. Even in case of minor road accident the place is left untouched for an examination by the concerned authorities. Besides other things it should be investigated why the dias at Samastipur, where the explosion took place, was dismantled overnight.

I actually wanted to meet you in person but you are busy in the midst of State Elections to Assemblies. Perhaps you know during this time another tragedy took place in our family. After Mishraji's death my son-in-law became seriously ill but none came to see him. Disappointedly I took him twice to Bombay but his condition had deteriorated and his small children are in Patna. I have to look after them also. I am, therefore, going for a month to Patna. There my address is as follows :—

Smt. Lalit Narayan Mishra,
9, Chaju Bagh,
Patna.

I will be waiting for your letter.

Yours grieved sister,
Sd./- Kameshwari Mishra

SHRI MRITUNJAY PRASAD VERMA : I will not ask anything about the case which is subjudice, but there are some irregularities which you may not call criminal but these are very bad. For example after this incident the train was held up at Samastipur for two hours. The patients were lying there. They were neither taken to Darbhanga nor to Patna. Then it took much time to reach Patna. It ran very slowly. The train was taken to Danapur where there is railway hospital instead of halting it at Patna where doctors were waiting to examine the patients. The doctors were called from Patna to Danapur. They reached very late. The railway doctor, who examined him at Samastipur, had stated the injury as minor. He did not see any danger. Keeping in view all these things I would like to know what decision has been taken by the Government on the request made by Smt. Mishra ? Whether somebody on your behalf will go and see her and ascertain her views in the matter.

SHRI CHARAN SINGH : The Mathew Commission report regarding delay in giving him treatment, causes for detaining the train, etc. etc. has been received. I do not consider it proper to state the findings of the commission at this time as the report will be laid on the Table of House within a period of six months after the date of its receipt and the hon. Members will get full opportunity to discuss the same.

I have replied to the second question. We received a letter and we sent a D.I.G. of C.B.I. to them. He had discussion with them for about an hour. We have received the report in this regard. Through that report I came to know that she wanted to see Prime Minister and me on the 20th or 21st June. She did not meet me. The Prime Minister has also made it clear that she had not met him also.

SHRI MRITUNJAY PRASAD VERMA : Whether Shri Jagannath Mishra, the younger brother of late Shri Lalit Narain Mishra, who was the Chief Minister of Bihar sometime back has written to the Government that since long time has elapsed, nothing would come out. I want to know whether Government also think so. But there have been instances where fresh enquiry was instituted even after decision was taken and other culprits were caught or the old culprits were acquitted.

SHRI CHARAN SINGH : I have already stated that the enquiry is going on and if it is found necessary another enquiry may be instituted. At present I cannot say anything more than this.

SHRI GAURI SHANKAR RAI : I want to know from the Hon. Minister whether he feels any need to make some changes in the terms of references keeping in view the enquiry going on and the letter received from Smt. Mishra.

SHRI CHARAN SINGH : I did not say that the enquiry is going on Judicial proceedings are also going on in the Court of Special Magistrate. Since this matter is sub-judice, it would not be proper for the Government to say anything in this regard. If any minor accident or theft takes place, even then concerned party is asked about that. I cannot understand as to why she has written like this. Because the then Director of C.B.I. met her twice at her presidence but she could not disclose anything new. Recently I sent one D.I.G. to her and he discussed with her for about an hour. Although she expressed her doubt, but she could not none the person responsible for this. Now if after the completion of this enquiry, Government find that the enquiry has not properly been conducted Government would not hesitate to institute on fresh enquiry under the law permissible.

SHRI LALJI BHAI : Just now you informed the House that the representative of C.B.I. met Smt. Mishra twice and you also sent an officer to her in this connection. Is it possible that the officer did not record the statement of Smt. Mishra or she might not have been allowed to make a statement. Will the Government go through the statement made by her and see that everything stated by her has been included in the statement ?

SHRI CHARAN SINGH : I think the Hon. member is doubtful about the corraboration of the statements made by Smt. Mishra and Director of C.B.I. and the D.I.G. of C.B.I. I think it is hypothetic to say like this. How can I agree that these high level official would make wrong statements ? If you have any information you may bring it to my notice. I do not think that it is proper to have any doubt about the Director and D.I.G. of C.B.I.

SHRI D. N. TIWARI : Two things are clear in the question

वह मैथ्य् आयोग के प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है और दूसरे उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके द्वारा वास्तविक अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है ।

In this context I want to know whether they have received the report of the Mathew Commission and the facts given on that report are correct or false. What is the reaction of Government thereto. Have they any information about the real culprit. .....

SHRI CHARAN SINGH : We have no such information.

SHRI D. N. TIWARI : When during an enquiry it is found that the persons arrested are not the real culprits, the enquiry is held up and a fresh enquiry is conducted and the real culprits are rounded up. I want to know what steps are being taken in this regard.

SHRI CHARAN SINGH : Mr. speaker Smt. L. N. Mishra has not seen that report. She does not know about the findings of the Commission. Therefore it is meaningless to say that she is not satisfied with the report.

Secondly she has not written anything in her letter that she has any information about the real culprits. She did not tell any such thing to the D.I.G. of C.B.I. Now if the Hon. members of this House have any such reliable information, they should bring it to our notice and if the low permits we would not have any objection in conducting fresh enquiry.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि माननीय मंत्री जी फालतू समय में स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की मृत्यु पर सभा में हुए वाद विवाद को पढ़े जिसमें ग्रिनेड का पूरी तरह विश्लेषण किया हुआ है, तो उन्हें उससे कुछ लाभ होगा ।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या गृह मंत्री ने इस तथ्य का सावधानी से अध्ययन किया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा० भल्ला ने अगले दिन स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि ग्रिनेड के विस्फोट के कारण श्री ललित नारायण मिश्र को केवल सदमा सा पहुंचा था और प्रथम उपचार के पश्चात उन्हें छोड़ दिया गया था और लोगों के दिमाग में यह आशंका है कि दानापुर तक की रेल यात्रा के दौरान ही उनके साथ कुछ किया गया । क्या वह इस बात को स्पष्ट करेंगे तथा इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए हैं ।

1. क्या सरकार रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए तैयार है ?

श्री एन० श्रीकांतम नायर : हमने इस पर वाद-विवाद किया था ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : वह आपका मार्ग दर्शन कर रहे हैं । कृपया उस वाद विवाद को पढ़िये ।

श्री चरण सिंह : मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि सरकार सभा के समक्ष रिपोर्ट पेश कर देगी और सभा को इस पर चर्चा करने की स्वतंत्रता होगी ?

तत्पश्चात माननीय सदस्य किसी विशेष प्रश्न पर निष्कर्ष चाहते हैं । मैं जैसा कि पहले ही कह चुका हूं कि इस बारे में कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात की स्पष्ट रिपोर्ट है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० भल्ला ने कहा है कि ग्रिनेड के विस्फोट से स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को केवल सदमा पहुंचा है और उन्हें समस्तीपुर से दानापुर ले जाने के दौरान ही कुछ किया गया ।

श्री चरण सिंह : इस आयोग के सुयोग्य न्यायाधीश तथा स्वयं आयोग ने इन सब बातों को ध्यान में रखा है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दण्ड प्रक्रिया संहिता का पुनर्विलोकन

*244. **श्री पी० त्यागराजन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के प्रवर्त्तन से निर्दोष नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों और परेशानियों की सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागरिकों को सताये जाने से बचाने और न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त धारा का पुनर्विलोकन करने का है; और

(ग) यदि प्रस्ताव की कोई मुख्य बातें हों, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) तथा (ग) प्रश्न नही उठता ।

ADDITION OF NEW BUSES TO D.T.C.

*246. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the number of new buses added by Delhi Transport Corporation to its fleet of buses during each of the last three years, separately; and

(b) the number of old buses declared out of order during each of these years ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The details are given below :—

year	*No. of vehicles added*
1974-75	558 single declares
1975-76	332 single deckers
1976-77	187 single deckers
	1 double decker

(b) *Year*	*No. of vehicles deleted*
1974-75	153
1975-76	102
1976-77	89

सदर बाजार दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित फौजदारी मामलों को वापस लेने के लिये याचिका

*250. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सदर बाजार, दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित फौजदारी के मामले वापस लेने के लिये कोई याचिका प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में संसद सदस्य, श्री कंवर लाल गुप्त से एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस मामले में दिल्ली प्रशासन के साथ पत्र व्यवहार किया गया था, उन्होंने सूचित किया है कि उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में चलाये गये चार आपराधिक मुकदमों में से दो मामलों में बरी किया गया है । जहां तक शेष दो मामलों का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन को इन मुकदमों को वापस लेने की मांग के सन्दर्भ में इनके कानूनी तथा अन्य पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच करने की सलाह दी जा रही है।

प्रतिरक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठान

*251. **श्री आर० कालनथाइवेलु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी प्रतिरक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के बारे में अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी और मुद्रा स्फीति को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उक्त क्षमता के एक भाग को असैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने में उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दो शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है (1) विभागीय कारखाने में आर्डनेंस फैक्टरियां और क्लोदिंग फैक्टरियां तथा हैवी व्हीकल फैक्टरी आती हैं (2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जिनमें हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रानिक, भारत डायनमिक्स, गार्डन रीच और गोआ शिपयार्ड तथा मजगांव डाक आदि आते हैं ।

विभागीय कारखाने के पास रक्षा सेनाओं को शस्त्र, गोला-बारूद, जनरल स्टोर और सैनिक किस्म के वस्त्रों की आवश्यकताएं पूरी करने का अगले कुछ वर्षों के लिए बहुत काम है । अतः कारखानों की फालतू क्षमता का उपयोग करने के बारे में कारखानेवार अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई । तथापि, अम्बझारी आर्डनेंस कारखाने के बारे में, जहां निष्कासन डाइकास्टिंग और लाइट मैटल फैबरीकेशन, के लिए सुविधाएं हैं, असैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्भावित उपलब्ध फालतू क्षमता का राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्माण किया गया था । निगम की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार उसकी छानबीन कर रही है ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रश्न है इनकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने की स्थिति की संबंधित निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां सम्भव होता है, वहां स्थापित क्षमता के आधार पर असैनिक बाजार के लिए अपेक्षित मदें उपलब्ध करने पर विचार किया जाता है ।

(ग) और (घ) विभागीय कारखानों में उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में छोटे शस्त्रों जैसे उत्पादन के कतिपय क्षेत्रों में कुछ वर्षों के पश्चात कुछ फालतू क्षमता उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है और उसका उपयोग करने के लिए निर्यात करने और असैनिक उपयोग के वैकल्पिक मदों के उत्पादन पर विचार किया जा रहा है । परन्तु आर्डनेंस कारखानों में संयंत्र तथा मशीनरी आमतौर से विशेष प्रकार की है, और इस समय यह कहना कठिन है कि वैकल्पिक उपयोग का यह कार्य कितना सफल होगा ।

CHARGES AGAINST FORMER CHIEF MINISTER OF PUNJAB

*255. SHRI UGRASEN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his Ministry has sent a copy of charges levelled against the former Chief Minister of Punjab, Shri Zail Singh and some other Ministers of his Government to the Government of Punjab and sought the relevant facts; and

(b) the facts in this regard ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) It will not be appropriate to disclose at this stage the nature of the allegations.

पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण

*258. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के आरम्भ में 45 करोड़ की पूंजी से पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव था; यदि हां, तो उक्त एजेंसी के कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन का वचन देने/प्रस्ताव रखने के बावजूद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश राज्यों में उद्योगों की स्थापना नहीं की गई है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख के प्रारूप में "पिछड़े क्षेत्र के विकास" के लिए (विशिष्ट रूप से निगम/प्राधिकरण के लिए नहीं) 35 करोड़ रुपये के परिव्यय की प्राक्कल्पना की गयी थी । 1977—79 के लिए अन्तिम रूप से बनाई गई पांचवीं योजना का तदनुरूप परिव्यय 8 करोड़ रुपये है । पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए समुचित संस्थागत व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

यह बात सही नहीं है कि सरकार द्वारा प्रोत्साहनों का वचन देने/प्रस्ताव रखने के बावजूद राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश राज्यों में उद्योगों की स्थापना नहीं की गई है। सरकार को मिली अद्यतन सूचना के अनुसार इन राज्यों में स्थापित किए गये एककों की संख्या तथा स्वीकृत केन्द्रीय विनियोजन राजसहायता की राशि इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	सहायता प्राप्त एककों की संख्या	प्रतिपूर्व केन्द्रीय विनियोजन राजसहायता की रकम
राजस्थान	525	1,71,47,430 रुपये
उत्तर प्रदेश	161	90,36,151 रुपये
बिहार	1411	34,68,454 रुपये
उड़ीसा	282	22,07,142 रुपये
पश्चिम बंगाल	186	39,51,593 रुपये
मध्यप्रदेश	374	93,59,292 रुपये

BEHAVIOUR OF C. R. P.

*259. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have received a report to the effect that whenever Central Reserve Police was called in any part of the country, it took undue advantage of situation, looted houses and even misbehaved with women;

(b) whether Government have conducted an inquiry in this matter; and

(c) if so, the outcome thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a), (b) and (c) No report has been received by the Government of India generally to the effect that whenever Central Reserve Police was called in in any part of country, it took undue advantage of the situation, looted houses and misbehaved with women.

Government is, however, aware of certain press-reports which have appeared recently in regard to the Turkman Gate incident in Delhi alleging that the CRP personnel indulged in looting of property and misbehaved with women. The fact finding committee which has been appointed to enquire *inter alia* about the demolitions and the firing incidents in the Turkman Gate area in April, 1976, is enquiring into these allegations.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

*260. श्री चित्त बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित नई नीति के संदर्भ में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नीति घोषित नहीं की गई है।

कोचीन पत्तन के जहाजों के लिए शुष्क गोदी

*261. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन के जहाजों, ड्रेजरों और अन्य जलयानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक शुष्क गोदी का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ?

(ख) क्या इस समय इन जलयानों को नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए बम्बई अथवा कलकत्ता भेजा जाता है; और

(ग) क्या इस वजह से उक्त पत्तन को होने वाले भारी घाटे को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार शुष्क गोदी के लिए शीघ्र मंजूरी देने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोचीन पत्तन न्यास के दो निष्कर्षकों और एक तिरती क्रेन को छोड़कर बाकी सभी तिरते जहाजों की सर्विस कोचीन स्थित पत्तन की वर्तमान सूखी गोदी में की जा सकती है। सितम्बर, 1974 में कोचीन पत्तन न्यास द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर, पत्तन की सूखी गोदी में सर्विस के लिए इन तीन जहाजों को बम्बई भेजने में प्रति वर्ष लगभग 34.00 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन मरम्मत सूखी गोदी के पूरे हो जाने पर इन जहाजों की सर्विस भी कोचीन में की जा सकती है। सरकार इस समय दूसरी सूखी गोदी की आवश्यकता नहीं समझती।

पटना में दूरदर्शन केन्द्र

*262. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के लोगों के लिए पटना में एक दूरदर्शन केन्द्र शीघ्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पटना तथा अन्य स्थानों पर दूरदर्शन की सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रश्न पर प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

रासायनिक प्रक्रिया से यूरेनियम प्राप्त करना

*263. श्री **एस० डी० सौमसुन्दरम** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिक मितव्ययी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बढ़िया किस्म का यूरेनियम प्राप्त करने के लिए फ्रांस में हुए आविष्कार के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या भारत में किए गए अनुसन्धान के कारण यह देश भी यूरेनियम की किस्म में सुधार करके परमाणु ऊर्जा का विकास करने लगा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने का है

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। तो भी इतना मालूम है कि प्रक्रिया में मितव्ययिता की व्यावहार्यता अभी निश्चित करनी है और प्रक्रिया के पूरे ब्यौरे अभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताए गए हैं।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर, जिसमें समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, के अतिरिक्त भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है। तथापि विभाग को यूरेनियम को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में हुए विकास-कार्यों की पूरी जानकारी रहती है।

(ग) जी, हां। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं, उनके अंतर्गत रहकर ही देश को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयत्न किए जायेंगे।

त्रिवेन्द्रम में तरल 'प्रोपेलैन्ट' संयंत्र की स्थापना

2077. **श्री वयालार रवि :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में तरल "प्रोपेलेन्ट" संयंत्र की स्थापना करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

STAFF OF DELHI ELECTRIC SUPPLY UNDERTAKING

†2078. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether more than 50 employees (workers and officers) were removed from service without assigning any reasons by the Delhi Electric Supply Undertaking during emergency;

(b) the names of the employees who have been reinstated and also of those who have not been reinstated so far; and

(c) the time by which the remaining employees would be reinstated ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Services of 28 regular employees were terminated without proper enquiry during emergency.

(b) The names of the employees who have been reinstated are as under :—

1. Shri S. C. Jain, Inspector.
2. Shri S. K. Jaitly, Inspector.
3. Shri H. C. Mangla, Executive Engineer.
4. Shri Megh Raj, Fire Officer.
5. Shri Dinesh Chander Gupta, Inspector.
6. Shri R. K. Mittal, Chief Commercial Officer.
7. Shri Jawaharlal, Inspector.
8. Shri S. P. Singh, Security Inspector.
9. Shri P. P. Aggarwal, Head Clerk.
10. Shri Dharam Singh, Black Smith.
11. Shri Har Saroop, Lineman.

Names of the employees who have not been reinstated so far are as under :—

1. Shri S. L. Papneja, Asstt. Time Keeper.
2. Shri O. P. Rawat, Meter Checker
3. Shri C. O. Gupta, Jr. Clerk.
4. Shri H. S. Bindra, Sr. Clerk.
5. Shri Hem Chand, Bill Messenger.
6. Shri R. P. Puri, Sr. Clerk.
7. Shri R. K. Sharma, Superintendent (Tech.)

8. Shri Tarun Bhaskar, Inspector.

9. Shri Ajit Singh, Sr. Lineman.

10. Shri Ranjit, Mazdoor.

11. Shri Jai Prakash, Khallasi.

12. Shri Jai Pal Singh, Mazdoor.

13. Shri Amarjit Singh, Mazdoor.

14. Shri Chawal Singh, Security Guard.

15. Shri Bishan Singh, Security Guard.

16. Shri Dan Singh, Security Guard.

17. Shri Shiv Raj Singh, Jr. Clerk.

(c) The cases of the 17 employees who have not so far been reinstated are to be settled through the Conciliation machinery and are under consideration.

सड़कें बनाने की योजना

2079. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में सड़कें बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक योजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1977-78 में राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी सड़कों के लिए केन्द्र द्वारा धनराशि दी जायेगी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या गुजरात राज्य में नई सड़कों के निर्माण के लिए मन्त्रालय ने भूतकाल में राज्य को पर्याप्त धनराशि नहीं दी थी

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) राज्य सरकार समय-समय पर 'भारत में सड़क विकास योजना (1961-81)' पर मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट में सुझायी गयी 20-वर्षीय योजना के मुकाबले राज्य में सड़कों की कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए अभ्यावेदन देती रही है। 20-वर्षीय कार्यक्रम आवश्यकता के अनुरूप एक सही मूल्यांकन, जिसे अखिल भारतीय मुख्य इंजीनियर दल द्वारा तैयार किया गया और इसकी पूर्णता योजना की विभिन्न अवधियों में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है।

जहां तक केन्द्रीय सड़क योजनाओं का सम्बन्ध है, गुजरात को 1960 में इसके बनने से लेकर अब तक 71.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। अप्रैल-जुलाई 1977 के दौरान व्यय के लिए, लेखा में स्वीकृत धनराशि में से इस प्रयोजन के लिए 150.70 लाख रु० की राशि दी गई है। जहां तक वर्ष की शेष अवधि का सम्बंध है, संसद द्वारा अनुदान की मांगें पारित होने के बाद प्रावधान सूचित किया जाएगा ।

जहां तक राज्य सड़कों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को योजना आयोग के साथ इस मामले में बातचीत करनी होगी।

नांगल-बैजनाथ और देहरास को राष्ट्रीय राजपथ बनाने का प्रस्ताव

2080. श्री दुर्गाचन्द : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमीरपुर, सुजानपुर, तीरा और पालमपुर से होकर नांगल-बैजनाथ तथा कांगड़ा और देहरास से होकर धर्मशाला नांगल राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय के नये 'बस स्टापों' पर शेल्टर

2081. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने केन्द्रीय सचिवालय के नये बस स्टापों पर अभी शेल्टरों का निर्माण नहीं कराया है,

(ख) क्या इन बस स्टापों पर शेल्टर न होने के कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार धूप तथा वर्षा से यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन बस स्टापों पर शेल्टरों की व्यवस्था करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय बस टर्मिनल में चार बस खंडों में से एक में एक बस क्यू शेल्टर का निर्माण पहले से ही कर दिया गया है। इस बस खण्ड में और शैल्टरों का निर्माण करने और इस टर्मिनल में अन्य तीन खण्डों में बस शैल्टरों की व्यवस्था करने का कार्य नेशनल बिल्डिंग कन्स-ट्रक्शन कारपोरेशन को सौंपा गया है ।

COMPLAINTS AGAINST FORMER BIHAR MINISTERS

2082. SHRI ISHWAR CHAUDHARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Central Government have received a memorandum from Bihar regarding the wrong policies of and irregulaties committed by the Ministers of previous Government of the States; and

(b) if so, whether Central Government have appointed a Commission to inquire into the complaints against these Ministers ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. A Memorandum dated the 29th April, 1977 was received from the Patna Secretariat Ministerial Employees Union containing allegations against Dr. Jagannath Mishra, the former Chief Minister of Bihar.

(b) No, Sir. The mater is being processed in accordance with the usual procedure; and stage has not been reached for taking a view whether it is necessary to appoint a Commission of Inquiry.

WINDING UP OF PLANNING COMMISSION

2083. SHRI KALYAN JAIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in some newspapers that Government are considering a proposal to wind up the Planning Commission; and

(b) if so, Government's reaction thereon ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) & (b) There is no proposal under consideration of Government to wind up the Planning Commission.

सरकारी भूमि खाली करने के लिए दक्षिण अंडमान तहसील के किसानों को नोटिस

2084. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अंडमान के बर्मनाल्लाह, मक्कापाड तथा बिदनाबाद के कुछ किसानों को अंडमान

प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा सरकारी भूमि जिस पर बाग लगे हैं और जिनमें फल आये हुए हैं, खाली करने के नोटिस दिए गए हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश किसान दुर्बल वर्ग के हैं और वर्षों से सरकारी भूमि इनके कब्जे में है; और

(ग) यदि हां, तो इन भूमियों के कब्जों को विनियमित करने में, जैसा कि म्युनिसिपल क्षेत्रों में मकान मालिकों के मामले में किया गया है, क्या कठिनाइयां हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) बीदोनाबाद, मवकापाड़, और बिर्चगंज में अनधिकृत रूप से कब्जाई हुई भूमि से 59 अतिक्रमणकारियों को अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह भूराजस्व तथा भूमि सुधार विनियम 1966 की धारा 202 के अधीन विधिवत नोटिस देकर बेदखल किया गया है।

(ख) अधिकांश अतिक्रमणकारी मुख्य भूमि से रोज़गार की तलाश में आये थे और वहां बैठ गए थे।

(ग) जिस भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया गया है उसकी रक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है। इसलिए उनके अतिक्रमण का नियमित करने पर विचार करना सम्भव नहीं पाया गया।

डीजल संरक्षण गोष्ठी

2085. **श्री वसन्त साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सम्पन्न डीजल संरक्षण गोष्ठी में सरकार को अनेक सुझाव दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो दी गयी सिफारिशों का व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 554/77]

महात्मा गांधी के वाङ्गमय का प्रकाशन

2086. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी वाङगमय के प्रकाशन की परियोजना के लिए सलाहकार बोर्ड को फिर से सक्रिय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वाङगमय माला में, जो महात्मा गांधी द्वारा उच्चारण किया गया और लिखा गया, क्या प्रगति हुई है

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) महात्मा गांधी वाङगमय माला के अनुमानित कुल 91 खंडों में से :—

(1) अंग्रेजी में 68 खंड (जिनमें 28-2-1939 तक के गांधी जी के भाषण और लेख हैं) और हिन्दी में 65 खंड (31-7-1937 तक की अवधि तक) प्रकाशित किए जा चुके हैं;

(2) अंग्रेजी में 79 खंड तक (24-4-1945 तक की अवधि तक) और हिन्दी में 71 खंड तक (15-4-1940 तक की अवधि तक) सम्पादित किए जा चुके हैं और वे छपाई के लिए तैयार हैं, और

(3) शेष सामग्री के बारे में संकलन, संशोधन, सम्पादन, अनुवाद और अनुसन्धान का काम चालू है।

सेना मुख्यालयों के एम० आई० निदेशालय में सहायक परीक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर

2087. **श्री के० लकप्पा:** क्या **रक्षा** मंत्री 25 अगस्त, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना मुख्यालय में एम० आई० निदेशालय में कार्य कर रहे सहायक परीक्षकों की पदोन्नति के मामले में अवरोध समाप्त करने तथा उनको पदोन्नति के अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या एम० आई० निदेशालय में हिन्दी परीक्षकों के कुछ स्थान काफी समय से खाली पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पदों पर योग्य-सहायक परीक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत न किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) एम० आई० निदेशालय में सहायक परीक्षकों के लिए पदोन्नति के और अच्छे अवसरों की व्यवस्था करने की दृष्टि से परीक्षकों के वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) हिन्दी परीक्षकों के दो पद रिक्त पड़े हुए हैं जिन में से एक पद विभागीय पदोन्नति कोटे में आता है। उस पद पर एक सहायक परीक्षक को पदोन्नत करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं परन्तु उसने अभी तक परीक्षक के रूप में कार्यभार नहीं सम्भाला है।

एस० एस० स्टैट आफ गोआ

2088. **श्री एडुआर्डो फैनीरो:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय जहाजरानी निगम के वर्ष 1963 में पानी में उतारे गए 'एस० एस० स्टेट आफ गोआ' नामक जहाज का नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया गया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में कभी भी एस० एस० 'स्टेट आफ गोवा' नामक जहाज नहीं था।

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा औद्योगिक शेडों का आवंटन

2090. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध आरोपों की जानकारी है;

(ख) आपातकाल के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पुत्रों तथा सम्बन्धियों को कितने औद्योगिक शैड आवंटित किए गए और वे भी बिना बारी के;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार जांच की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा): (क) सरकार को दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ अनियमितताओं सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख), (ग) और (घ): आवंटन में बर्ती गई अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतों की जांच की जा रही है।

आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी शाहजहांपुर में श्रमिकों का सेवा से निकाला जाना

2091. **श्री सुरेन्द्र विक्रम:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर के 'कशीदाकारी सैल' में कार्य कर रहे श्रमिकों में से जून माह में ही 74 निर्धन श्रमिकों को सेवा से निकाल दिए जाने के क्या कारण हैं और उनके परिवारों का गुजारा किस प्रकार होगा; और

(ख) क्या कशीदाकारी कार्य ठेके पर किया जा रहा है और निर्धन श्रमिकों को उनके उचित वेतन से वंचित रखा जा रहा है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर के कशीदाकारी सैल में कार्य कर रहे किसी श्रमिक को जून मास में नौकरी से नहीं निकाला गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) कशीदाकारी कार्य को ठेके के आधार पर कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः श्रमिकों को उनकी मजदूरी से वंचित रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

2092. श्री अनन्त दवे: क्या **गृह** मंत्री केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशकों के चुनाव के बारे में 6 अप्रैल, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली ने उन शिकायतों पर, जो उन्हें सितम्बर, 1976 में भेजी गई कही जाती हैं अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या पंजीयक ने अप्रैल, 1977 में समिति के जनरल मैनेजर को कहा था कि मामले की जांच की जाये और तीन सप्ताह के भीतर उसे रिपोर्ट पेश की जाये; और

(ग) क्या जनरल मैनेजर द्वारा जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) : शिकायतों को, अन्तिम निर्णय के लिए सितम्बर, 1976 में सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को भेजा गया था। रजिस्ट्रार ने अप्रैल, 1977 में समिति के जनरल मैनेजर से जांच करने और उन्हें 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

चूंकि दिल्ली सहकारी समितियां नियम 1973 के अनुसार, ऐसे मामलों में जांच करने तथा निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी रजिस्ट्रार होता है, इसलिए जनरल मैनेजर ने रजिस्ट्रार से 10 मई 1977 को अनुरोध किया था कि वे जांच स्वयं करें और, जैसाकि सितम्बर, 1976 में अनुरोध किया गया था, अपना अन्तिम निर्णय दें।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अब जांच का कार्य कर रहे हैं। जांच-न्यायालय की दिनांक 10-6-77 तथा 22-6-77 को दो बैठकें हो चुकी हैं। जांच के लिए अगली तारीख 6 जुलाई 1977 निर्धारित की गई है।

केन्द्रीय सेवा नियमों में किये गये संशोधनों को समाप्त करने का प्रस्ताव

2093. श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन आदि से सम्बन्धित केन्द्रीय सेवा नियमों में किए गए उन संशोधनों को समाप्त करने का विचार कर रही है जो आपातस्थिति के दौरान किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो कब?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) अनुमानतः माननीय सदस्य का संकेत सरकारी कर्मचारियों द्वारा छोटे परिवार का मानक अपनाए जाने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में शामिल किए गए नए नियम 21-क की ओर है। यदि ऐसा है, तो मामले की जांच की जा रही है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये अमरीका द्वारा यूरेनियम की सप्लाई

2094. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्**
श्री के० मालप्पा } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए कुछ शर्तों पर यूरेनियम सप्लाई करने हेतु सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) तथा (ग) पता चला है कि अमेरिकी अधिकारियों ने तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए यूरेनियम देने की सिफारिश न्यूक्लीयर रेग्युलेटरी कमीशन से की है। राष्ट्रपति श्री कार्टर की परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध नीति पर कुछ प्रारम्भिक वार्ताएं हुई हैं। तारापुर परमाणु बिजलीघर को यूरेनियम सप्लाई करने के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के मध्य हुए करार की सांविदिक बाध्यताओं की ओर अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता पर इस प्रकार के विलम्ब से जो दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, उनसे भी अमेरिकी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

बर्न्स स्टैंडर्ड कम्पनी

2095. **श्री के० राममूर्ति:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न्स स्टैंडर्ड कम्पनी नामक भारत सरकार के एक उपक्रम ने 1975 में 16 करोड़ रुपये की लागत के विस्तार प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क), (ख) और (ग) गुलफरबाड़ी, निवाड़ और सालेम स्थित उनके रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक यूनिटों द्वारा निर्मित किए जा रहे रिफ्रेक्टरी सामान की किस्म में सुधार लाने की दृष्टि से और भावी मांग को ध्यान में रखते हुए बर्न्स स्टैंडर्ड कम्पनी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कुल 16.71 करोड़ रुपये का निवेश अन्तर्ग्रस्त है। ये प्रस्ताव दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने हैं जिनमें निवेश लगभग समान होगा। पहले चरण में संतुलन उपकरण और भट्टों की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है जिससे वे आधुनिक प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी अपना करके उन्नत किस्म की रिफ्रेक्टरियों का निर्माण कर सकें। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मैसर्स जयपुर उद्योग द्वारा सीमेंट की बिक्री

2096. **डा० बापू कालदते:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी, बम्बई ने जनवरी, 1971 में मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर को कई अधिकार पत्र दिए हैं;

(ख) क्या इन अधिकार पत्रों का मैसर्स जयपुर उद्योग द्वारा अत्यधिक दामों पर खुले बाजार में सीमेंट बेचने के लिए उपयोग किया गया;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आवंटनपत्र रखने वाली मैसर्स पटेल टाइल्स एण्ड मारबल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को गत अनेक वर्षों से सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में 'एलाटी' से कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) मैसर्स जयपुर उद्योग द्वारा अधिकार पत्रों का दुरुपयोग किए जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी बम्बई द्वारा जनवरी, 1971 में जयपुर उद्योग लि०, जयपुर को सीमेंट का संभरण करने के लिए कोई भी प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मैसर्स पटेल टाइल्स एण्ड मारबल्स (प्रा०) लि०, बम्बई को जनवरी 1975 में 72 मीट्रिक टन परिमाण के प्राधिकार पत्र तथा मार्च, 1975 में मैसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर को 48 मीट्रिक टन परिमाण के प्राधिकार पत्र जारी किए गए थे। कम उत्पादन, सीमेंट कारखाने के बन्द हो जाने आदि कुछ कठिनाइयों का प्रबन्धकों द्वारा सामना करने के कारण मैसर्स जयपुर उद्योग इस पार्टी को सीमेंट का संभरण नहीं कर सका। इस सम्बन्ध में पार्टी से शिकायत मिलने पर मैसर्स जयपुर उद्योग लि० को जारी किए गए प्राधिकार पत्र रद्द कर दिए गए थे तथा मैसर्स ए० सी० सी० वाडी सीमेंट फैक्टरी को 120 मीट्रिक टन के लिए नये प्राधिकार पत्र जारी किए गए थे।

ANNUAL DEVELOPMENT RATE

2097. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the annual development rate for the year 1976-77; and

(b) the rate of development expected during the current year and next year ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI R. DESAI) : (a) The growth rate of the gross national product in 1976-77 is likely to have been between 1.5 to 2.0 per cent.

(b) Estimates are not yet available.

DAMODAR VALLEY PROJECT

†2098. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether under the Damodar Valley Project, water in Bihar is used for irrigation and generation of power but West Bengal is most benefited by it;

(b) whether Government propose to remove this disparity; and

(c) if so, steps proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (c) Under the Damodar Valley Project, the waters river Damodar are utilised for irrigation, generation of power and industrial purposes, and both the States of Bihar and West Bengal are benefited to the extent feasible. The Bihar Government has proposals for two irrigation schemes to utilise Damodar waters, namely, the Tilaiya Diversion Scheme and the Konar Diversion Scheme. The proposals have to be examined and considered by the Governments of Bihar, West Bengal and the Damodar Valley Corporation.

CONSTRUCTION AND LENGTH OF COASTAL HIGHWAYS

2099. SHRI DHARAMSINGHBHAI PATEL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :—

(a) the total length of coastal highways constructed throughout the country by Central assistance;

(b) the length of coastal highways constructed in Gujarat State;

(c) the amount of grant provided so far to Gujarat State; and

(d) the amount of grant proposed to be provided to Gujarat during 1977-78 ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (d) 1621 Kilometres of Coastal State Roads have been provided with Central assistance in the States of Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Goa.

So far as Coastal State Highway in Gujarat is concerned, actually its length is 1824 Kms. out of which road already exists along a considerable length and Central assistance is being provided for certain missing links including bridges thereon. The assistance approved so far on this account amounts to Rs. 443.50 lakhs.

For expenditure during April—July 1977 out of funds Voted on Account, a sum of Rs. 28 lakhs has been released for the purpose. Funds for the remaining period of the year will be allocated after the Demands for Grants have been voted by Parliment.

In addition to the Coastal State roads referred to above, coastal areas are also served by about 5400 Kms. of National Highways which are being developed and maintained entirely at Central Government expenses. This length of 5400 Kms. also includes the West Coast Road from Panvel near Bombay to Edapally near Cochin which was a Centrally aided State road till March 1972 and was declared as a National Highway thereafter.

विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर

2100. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एयरोनाटिकल लैबोरेटरी (एन० ए० एल०) बंगलौर ने एक "विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर" का डिजाइन तैयार किया है और उसे विकसित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण के बारे में तथ्य क्या हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) हवा वाले दिन इस युक्ति की उत्पादन क्षमता बीस से तीस वोल्ट ऐम्पीयर घंटों की ऊर्जा से अधिक है। यह मितव्ययी है और बैटरी सम्बन्धी प्रयोगों का विकल्प है। संचार केन्द्रों, समुद्री मार्गों में यात्रा सूचकों, दूरस्थ भूकेन्द्रों के लिए हवाई जहाज में प्रकाश उपकरणों के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब कभी हवा की ऊर्जा उपलब्ध होती है उस समय 'विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर" (पवन चालित विद्युत जनित्र) द्वारा काफी समय के लिए बैटरी आवेषित होती है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान अवस्था में इस प्रणाली के आदिप्रारूप परीक्षणों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

कोयले से तेल निकालने के लिए संयंत्र

2101. **श्री पी० के० कोडियन**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से तेल निकालने के लिए चार स्थानों पर संयन्त्र लगाने के लिए निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को कोयले से तेल निकालने के लिए किसी विदेशी जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की आशा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग), (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में भ्रष्टाचार

2102. **श्री रोबिन सेन**: क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कुछ अधिकारी रेत, मंच-सामग्री (पोप्स) और "सैंड-स्लोइंग' कार्यों के लिए अन्य सामग्री सप्लाई करने के मामले में ठेकेदारों/सप्लायरों के साथ सांठ-गांठ करके घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तथ्य सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच कराने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कछार पेपर मिल

2103. श्रीमती रशीदा हक चौधरी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कछार पेपर मिल की क्या स्थिति है जिसे बहुत समय पहले आरम्भ किया जाना था, और

(ख) इस मिल में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) कछार परियोजना पर सविवरण परियोजना रिपोर्ट के तैयार करने सहित प्रारम्भिक कार्य जैसे संयन्त्र की रूपरेखा तथा देरी से मिलने वाले उपकरणों, वस्तुओं की इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम पूरा कर लिया गया है, देरी से मिलने वाले उपकरणों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं तथा स्थापना स्थल की सफाई का काम चालू है।

(ख) प्रस्तावित मिल में लगभग $3\frac{1}{2}$ वर्षों म उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है। आशा की जाती है कि लगभग 1981 के अंत तक संयंत्र में उत्पादन होने लगेगा।

रेलवे वैगन निर्माण उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता

2104. श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड से आर्डरों के अभाव में रेलवे वैगन निर्माण उद्योग की 60 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इंजीनियरी उद्योग में रोजगार पर इस अप्रयुक्त क्षमता का क्या प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) इस उद्योग की लगभग 52 प्रतिशत वैगन उत्पादन क्षमता इस समय अप्रयुक्त है।

(ख) लगभग सभी एकक जो इस समय मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण कर रहे हैं, सम्बद्ध वस्तुओं का भी उत्पादन कर रहे हैं जैसे ढांचा निर्माण, क्रेनें, ट्रांसमिशन टावरों, कोल ट्यूबों, बकेटों, घरेलू गैस सिलेंडरों, रोड रोलरों, टेलरों आदि। वैगन बनाने वाले उद्योग विविधीकरण कार्यक्रम के अधीन और वस्तुओं का निर्माण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

(ग) चूंकि वैगन उद्योग सामान्य इंजीनियरी उद्योग का एक अंग है अतः इसके रोजगार पहलुओं का पता अलग से नहीं लगाया जा सकता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में कर्मचारियों को परेशान किया जाना

2105. श्री रेणुपद दास
श्री समर मुखर्जी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समूचे देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के कर्मचारियों को मुअत्तिल करके और उनकी सेवा समाप्त करके बड़े पैमाने पर परेशान किए जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सी० एस० आई० आर० कर्मचारियों की यूनियनों और संघों के कहे जाने वाले महासंघ के महासचिव द्वारा भेजा गया एक प्रतिवेदन जिसमें इस प्रकार के आरोप लगाये गए थे, प्राप्त हुआ था।

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों से की गई पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि उनमें इस प्रकार के परेशान किए जाने वाले मामले नहीं हैं।

REINSTATEMENT OF N.D.M.C. EMPLOYEES SUSPENDED DURING EMERGENCY

2106. SHRI SATYA DEO SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of employees of New Delhi Municipal Committee suspended during the emergency and the number of those, out of them, who have been reinstated;

(b) whether all those employees, who have been reinstated, have been paid salaries for the suspension period; and

(c) if not, the number of such employees as have not been paid salaries and the reasons thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) According to the information received from the New Delhi Municipal Committee, 124 employees were placed under suspension during the emergency. Out of these, 116 have since been reinstated.

(b) & (c) 45 employees have been paid full pay and allowances for the period of their suspension and their suspension period has been treated as spent on duty for all purposes. 32 employees were given minor punishments and their suspension period was regularised as not spent on duty or leave of the kind due and payment was restricted to the subsistence allowance already paid to them. The remaining 39 cases are yet to be decided, as in some cases regular departmental enquiries are going on and in some cases the replies to the show-cause notices have not been received from the employees.

EDUCATION, WATER AND TRANSPORT FACILITIES TO BIKANER AND GANGANAGAR CULTIVATERS

2107. CHOUDHARY HARI RAM MAKKASAR GODARA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide education, water and transport facilities to the people and land revenue relief to the cultivators living in border areas of Bikaner and Ganganagar adjoining Pakistan; and

(b) whether Government propose to consider giving relief to the inhabitants of these areas for the loss suffered by them in the incidents taking place there off and on ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b) No such proposal is under consideration of the Ministry of Defence.

देश में गरीबी की हालत

2108. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री कर्पूरी ठाकुर } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 से 1979 के इस दशक के इन वर्षों के दौरान देश में गरीबी की हालत सुधर रही है या बिगड़ रही है;

(ख) वर्ष 1971 से 1976 तक गरीबी के स्तर से भी नीचे कुल कितने लोग गुजारा कर रहे थे ;

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा हाल ही में किए गए एक प्रारम्भिक अध्ययन के अनुसार, गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में 1968-69 और 1973-74 के बीच में कुछ कमी आई थी। 1973-74 के बाद अनुमान नहीं लगाए गए हैं ;

(ख) और (घ) न्यूनतम मान्य जीवन-स्तर के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति व्यय के सम्बन्ध में विचारों के आधार पर गरीबी के स्तर से नीचे के व्यक्तियों की संख्या के अनुमानों में भिन्नता है। 1962 के योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा परिकल्पित 1960-61 के मूल्यों पर (शहरी 25 रु० पर और ग्रामीण 18.90 रु० पर) प्रति मास 20 रु० प्रति व्यक्ति की ऊपरी सीमा के आधार पर बनाए गए अनुमानों में और प्रोफेसर वी० एन० दांडेकर तथा प्रोफेसर एन० रथ द्वारा "भारत में गरीबी" पर किए गए अध्ययन में बताए गए मानक (शहरी 22.50 रु० और ग्रामीण 15.00 रु०) का उपयोग करके तैयार किए गए अनुमानों में भिन्नता है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए गए अनुमान इस प्रकार हैं:—

गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों का प्रतिशत

वर्ष	ग्रामीण		शहरी		अखिल भारतीय	
	कार्यकारी दल	दांडेकर और रथ	कार्यकारी दल	दांडेकर और रथ	कार्यकारी दल	दांडेकर और रथ
1968-69	67.3	50.3	63.1	55.3	66.5	51.3
1970-71	64.1	45.6	57.3	50.5	62.7	46.5
1973-74 .	60.6	41.4	55.2	48.1	59.5	42.7

(ग) योजना आयोग से छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने म गरीबी को दूर करने की समस्या पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। वर्तमान योजनाओं में ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनसे जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिल सकती है। कृषि और सम्बद्ध विषयों के लिए धनराशि का 30 प्रतिशत आवंटित करने और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में 25 लाख रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से 1977-78 की वार्षिक योजना को नया रूप दिया गया है।

केरल में लघु उद्योगों का विकास

2110. **श्री एम० एन० गोविन्दननायर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने ग्रामों में उद्योगों के विकास के लिए 10,000 लघु उद्योगों की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस योजना के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 1975-76 से 1978-79 की अवधि में 10,000 लघु उद्योग एकक चालू करने के लिए एक नया उद्योग कार्यक्रम बनाया है तथा उसे कार्यान्वित कर रही है। इस संख्या का एक बड़ा प्रतिशत पंचायतों में लघु औद्योगिक बस्तियों के रूप में स्थापित किया जा रहा है व प्रत्येक उद्योग बस्ती में 10 लघु एकक हैं। लघु औद्योगिक बस्ती भवन पंचायत द्वारा निःशुल्क दी गयी एक एकड़ भूमि पर बनाया जाता है। उद्यमकर्ता को लागत का 10 प्रतिशत देने पर भवन तथा मशीनें दी जाती हैं तथा सीमान्त धनराशि के रूप में सरकार द्वारा विनियोजन राशि का 10 प्रतिशत दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत बैंकों तथा केरल स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन से प्राप्त किया जाता है।

(ग) कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में डा० चुग और उनके परिवार की मृत्यु की दुर्घटना की जांच

2111. **श्री अरविन्द वाला पजनौर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जिस दुर्घटना में डा० चुग और उनके परिवार की दुःखद मृत्यु हुई थी उसकी जांच से कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले को शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

ALLOTMENT OF LAND TO EX-SERVICEMEN OF RAJASTHAN

2112. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of ex-servicemen who have been allotted land in Rajasthan so far; and

(b) the number of applications pending and the time by which these applications are likely to be disposed of ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b). Allotment of land to ex-servicemen is done by the State Governments. The Government of Rajasthan have been requested to furnish the required information, which will be laid on the table of the House when received.

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा राजनीतिज्ञों पर निगरानी रखने का आदेश दिया जाना

2113. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन राजनीतिज्ञों पर गुप्तचरों द्वारा कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया था, जो उनकी आलोचना करते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिन्होंने राज्य के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक न होने पर भी ऐसी कार्यवाही की थी।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) इस बारे में सूचना हमारे रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

एन० बी० सी० स्टील की गोलियों की कीमत

2114. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्धन व्यक्तियों के वाहनों अर्थात् साइकिलों और साइकिल रिक्शों में सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले एन० बी० सी० इस्पात की गोलियों की कीमत सितम्बर, 1976 से जून, 1977 की अवधि के दौरान 2रु० 75पै० प्रति ग्रुस से बढ़कर 8 रुपये प्रति ग्रुस हो गई है; और

(ख) यदि हां तो इस तीव्र वृद्धि को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : जैसा कि मै० नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज कम्पनी लि० से सुनिश्चित किया गया है एन० बी० सी० इस्पात की गोलियों का विक्रय मूल्य 1976 में 3.46 पैसे प्रति ग्रुस था। 1-1-77 से मूल्य 3.46 पैसे प्रति ग्रुस से बढ़ाकर 4.38 पैसे प्रति ग्रुस कर दिया गया। 1-4-77 से

मूल्य 4.38 पैसे से और बढ़ गया और 4.90 पैसे प्रति ग्रुस हो गया। इस्पात की गोलियों के मूल्य में हुई वृद्धि का कारण कच्चेमाल और ग्राइंडिंग हवील के मूल्य में वृद्धि बताई जाती है। इस्पात गोलियों पर मूल्य नियंत्रण नहीं है।

आर्थिक संकट-ग्रस्त मिलों को दुबारा चालू किया जाना

2115. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक संकटग्रस्त मिलों को पुनः चालू करने के बारे में सरकार ने कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आर्थिक संकटग्रस्त एकक हैं, जो राज्यों में चालू हालत में नहीं हैं;

(ग) क्या इन आर्थिक संकट-ग्रस्त एककों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय निगमों से भी कहा गया है; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में नीति की मुख्य बातें क्या हैं?,

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को पुनः चालू करने के प्रश्न की प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर संगत कानूनी उपबन्धों आर्थिक जीव्यता अपेक्षित वित्तीय निवेश और अन्य उपयुक्त कारकों के सन्दर्भ में जांच की जाती है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) : सरकार क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका जीव्य समझे जाने वाले रुग्ण एककों को पुनः चालू करने और उनके पोषण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा। पुनः चालू करने पोषण करने सम्बन्धी प्रत्येक रुग्ण एकक के मामले में स्वतंत्र रूप से और गुणावगुण के आधार पर अध्ययन करना होगा। अतः सरकारी क्षेत्र के सभी वित्तीय संस्थानों को रुग्ण एककों की सहायता के लिए कोई सामान्य अनुदेश जारी करना व्यावहारिक नहीं होगा।

इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शनल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। जीव्य समझे जाने वाले रुग्ण/बंद एककों की सहायता करता है।

लक्षद्वीप समूह के प्रशासनिक कार्यालय का स्थानान्तरण

2116. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लक्षद्वीप समूह के प्रशासनिक कार्यालय को कालीकट से किसी अन्य स्थान को स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को प्रशासनिक कार्यालय के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में विरोध प्रकट करने वाला कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : लक्षद्वीप के प्रशासन से लक्षद्वीप शाखा सचिवालय को कुछ कारणों से कालीकट से कोचीन स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सरकार के विचाराधीन है।

लक्षद्वीप के प्रशासक ने विचार के लिए जिस मुख्य कारण पर बल दिया है वह यह है कि कार्यालय कोचीन में अपने कार्यों को अच्छी तरह सम्पन्न कर सकेगा क्योंकि वहां अब कोचीन से लक्षद्वीप के लिए सभी मौसम में संचार व्यवस्था विद्यमान है और मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप का अधिकांश व्यापार तथा यात्रियों का आवागमन कालीकट, जो केवल साफ मौसम का बन्दरगाह है, के बजाय कोचीन के बन्दरगाह से होता है। प्रशासक ने इस बात पर जोर दिया है कि मुख्य सचिवालय के कालीकट से कावरती में स्थानान्तरण के तुरन्त बाद कालीकट के साथ कुछ परम्परागत व्यापार सम्पर्कों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय का कालीकट में होना निःसन्देह कुछ न्याय संगत था किन्तु अब न वह आवश्यकता है और न औचित्य क्योंकि ये सम्पर्क बहुत कमजोर पड़ गए हैं।

(ग) सरकार को इस स्थानान्तरण के विरोध में अधिकांशतः कर्मचारियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श होने तक प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित कर दिया गया है।

उत्तरी बंगाल में बिजली की कमी

2117. **श्री ए० एन० दासगुप्ता :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल में बिजली की भारी कमी है क्योंकि उपलब्ध संसाधन वर्तमान मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप समूचे वर्ष प्रतिदिन बिजली की खपत में कटौती करनी पड़ती है ;

(ख) क्या 5 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व पूरी हो गई उत्तरी बंगाल और आसाम के बीच की अंतराज्यीय लाइन इसके पूरा होने के बाद बेकार पड़ी हुई है और उस लाइन से निकट भविष्य में भी बिजली मिलने की कोई सम्भावना नहीं है ;

(ग) क्या उत्तरी बंगाल को उत्तरी बंगाल और बिहार के बीच अन्तर्राज्यीय लाइन से लगभग 5 मैगावाट बिजली मिल रही है जबकि सिलिगुड़ी में 20 मैगावाट बिजली प्राप्त करने की व्यवस्था है और यह इतनी कम सप्लाई भी विशेषकर, अत्यधिक खपत के समय लगभग प्रतिदिन दोषपूर्ण रहती है; और

(घ) इन दो अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) उत्तरी बंगाल में विद्युत की वर्तमान उपलब्धता उस क्षेत्र की भार मांग के लगभग बराबर है। तथापि, जिन दिनों विद्युत उत्पादन में कमी हो जाती है उन दिनों भार के व्यस्ततम घन्टों के दौरान लोड शैडिंग की जाती है।

(ख) उत्तरी बंगाल तथा असम के बीच अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन हाल ही में पूरी हुई थी। इस लाइन के द्वारा विद्युत के आदान-प्रदान के लिए असम और मेघालय के साथ बातचीत चल रही है।

(ग) वर्तमान समझौते के अनुसार बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दलखोला उप-केन्द्र को 10 मैगावाट विद्युत सप्लाई की जानी है। व्यस्ततम भार के समय के दौरान यह सप्लाई 3 से 5 मैगावाट तक ही सीमित रहती है।

(घ) इन दो अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों पर कुल 290.46 लाख रुपए व्यय हुए हैं।

SHUBHRA MURDER CASE IN U.P.

2118. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether the Central Government propose to conduct on impartial inquiry into Shubhra murder case in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the time by which it is proposed to be held ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) on the request of the State Government of Uttar Pradesh, the Central Bureau of Investigation was entrusted with the investigation of Shubhra Lahiri murder case on 2-5-76. During investigation, five persons were located as the accused responsible for the murder. Two of them turned approvers and were given pardon by the competent court. The remaining three accused were charge-sheeted in court and the case is now pending trial against them. The central government do not propose to conduct any further inquiry into the matter.

(b) Does not arise.

मर्सीडीज बैन्ज के सहयोग से कार का निर्माण

2119. **श्री पी० के० देव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने मर्सीडीज बैन्ज के सहयोग से कारों का निर्माण करने के लिए कुछ समय पहले आवेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या पैट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए छोटी डीजल कारों का निर्माण करने के लिए उन्हें लाइसेंस देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) उद्योग मन्त्रालय में ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अवर श्रेणी लिपिकों के लिये टाइप चलाने की परीक्षा

2120. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदेश जारी करके विभिन्न मन्त्रालयों में काम कर रहे लगभग 1000 अवर श्रेणी लिपिकों को कहा है कि वे नौकरी छोड़ दें चूंकि वे टाईप चलाने की परीक्षा पास नहीं कर सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या यह उपाय 'मितव्ययिता और किफायत' की सरकारी योजना के अनुरूप है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) 1964 से 1973 तक हुई परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किए गए लगभग 600 ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों को, जो निर्धारित टंकण परीक्षा पास नहीं कर सके, इस आशय के नोटिस दिए गए हैं कि यदि वे 30 जून, 1977 तक निर्धारित परीक्षा पास नहीं करते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जायेंगी। फिर भी, परिस्थितियों की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि जो अवर श्रेणी लिपिक अब तक परीक्षा पास नहीं कर सके हैं, उन्हें एक वर्ष की और आखिरी मुहल्लत दे दी जाए। इस अवधि को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(ग) किए गए उपायों का मितव्ययता और किफायत की सरकारी योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ALLOTMENT OF CEMENT

2121. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the criteria followed by the Cement Corporation of India in allotting its agencies;

(b) the names and addresses of the people allotted agencies in Agra and Meerut Divisions during the past two years;

(c) whether Government are aware that large sums of money are extorted illegally from the persons granted these agencies;

(d) whether Government propose to appoint a Parliamentary Committee for the purpose of allotment of these agencies so as to curb corruption; and

(e) if so, by that time ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) and (b) : A statement is attached.

(c) There is no truth in the allegation.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

STATEMENT

The Criteria followed by the Cement Corporation of India for appointment of Stockists are :

(i) Preference is given to Co-operative Societies, Ex-Defence personnel and unemployed graduates.

(ii) As a policy, the Corporation prefers to appoint smaller stockists in rural areas so that cement reaches even the interior regions.

(iii) While appointing stockists in the categories other than those mentioned above, due consideration is given to people having experience in cement trade and in allied business like building materials.

(iv) Potentialities for cement consumption of a particular area are also taken into consideration while appointing stockists.

(v) Stockists are appointed mainly in four categories 'A', 'B', 'C' and 'D' having monthly quotas of 75, 50, 25 and 10 tonnes respectively. The last mentioned category is appointed for the surrounding areas of the factory where cement can be moved by trucks loads or even by bullck carts.

2. The names and addresses of stockists of the Cement Corporation in the Agra and the Meerut divisions are given in the attached list.

[Placed in Library See No. L.T.-555/77].

दिल्ली परिवहन निगम में खरीद संबंधी घोटाला

2122. **श्री गदाधर साहा**
श्री भगतराम } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम में सवा करोड़ रुपए के खरीद के कथित घोटाले की जांच कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड की भाड़ा तथा क्रय समिति बसों के पुर्जों रंग रोगन तथा छपाई कागजों जैसी मदों के क्रय से सम्बन्धित आरोपों की जांच कर रही है। टायरों तथा बायलरों के क्रय सम्बन्धी आरोपों की केन्द्रीय जांच बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है।

आपात स्थिति के दौरान डी० आई० एस० आई० आर० (भारत की आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी रक्षा नियम) बन्दियों पर मुकदमा चलाया जाना।

2123. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन डी० आई० एस० आई० आर० (भारत की आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी रक्षा नियम) बन्दियों के खिलाफ, मुकदमों की आगे की कार्यवाही समाप्त किए जाने से पूर्व, आन्तरिक आपात् स्थिति के दौरान मुकदमें चलाये गए, उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

26 जून 1975 और 21 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान डी० आई० एस० आई० आर० 1971 के अन्तर्गत उन बन्दियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,796
2.	असम	1,467
3.	बिहार	4,258
4.	गुजरात	2,409
5.	हरियाणा	1,013
6.	हिमाचल प्रदेश	508
7.	कर्नाटक	4,001
8.	केरल	6,689
9.	मध्य प्रदेश	2,267
10.	मेघालय	18
11.	महाराष्ट्र	7,338
12.	मणिपुर	163
13.	नागालैंड	4
14.	पंजाब	1,757
15.	तमिल नाडु	591
16.	सिक्किम	शून्य
17.	त्रिपुरा	98
18.	उत्तर प्रदेश	19,888
19.	पश्चिमी बंगाल	1,141
20.	अंडमान तथा निकोबार	89
21.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
22.	चंडीगढ़	20
23.	दादरा तथा नगर हवेली	3
24.	दिल्ली	2,839
25.	गोवा, दमन और दीव	शून्य
26.	लक्षद्वीप	शून्य
27.	मिजोरम	136
28.	पांडिचेरी	58
	जोड़	58,551

टिप्पणी :—जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और राजस्थान से सूचना आनी है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

STATEMENT

NUMBER OF PERSONS PROSECUTED UNDER DISIR 1971 DURING THE PERIOD 25TH JUNE, 1975 AND 21ST MARCH, 1977

S. No.	*Name of State*	*Number of persons prosecuted*
1.	Andhra Pradesh	1,796
2.	Assam	1,467
3.	Bihar	4,258
4.	Gujarat	2,409
5.	Haryana	1,013
6.	Himachal Pradesh	508
7.	Karnataka	4,001
8.	Kerala	6,689
9.	Madhya Pradesh	2,267
10.	Meghalaya	18
11.	Maharashtra	7,338
12.	Manipur	163
13.	Nagaland	4
14.	Punjab	1,757
15.	Tamil Nadu	591
16.	Sikkim	nil
17.	Tripura	98
18.	Uttar Pradesh	19,888
19.	West Bengal	1,141
20.	Andaman & Nicobar	89
21.	Arunachal Pradesh	nil
22.	Chandigarh	20
23.	Dadra & Nagar Haveli	3
24.	Delhi	2,839
25.	Goa Daman and Diu	nil
26.	Lakshdweep	nil
27.	Mizoram	136
28.	Pondicherry	58
	Total =	58,551

Note :—Information from Jammu and Kashmir, Orissa and Rajasthan is awaited and will be laid on the Table of the House.

आसाम में उद्योगों को लाइसेन्स दिये जाना

2124. **श्रीमती रेणुका देवी बडकटकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में उद्योगों की स्थापना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गये ;

(ख) किन-किन उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ग) किन-किन पार्टियों को लाइसेन्स दिए गये थे; और

(घ) कितनी तथा किन-किन पार्टियों ने लाइसेन्सों का उपयोग किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) आसाम में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 1974 से 1976 के पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 11 लाइसेंस जारी किये गए ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

(घ) एक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बाकी लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है ।

विवरण

क्र० सं०	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस प्राप्त उत्पाद	स्थापना स्थल
1	2	3	4
1.	मै० आसाम औद्योगिक विकास निगम लि० गोहाटी	कार्ड बोर्ड	गोहाटी
2.	—वही—	पोर्टलैंड सीमेंट	गरमपानी
3.	—वही—	चीनी	बारबोरी (जिला कामरूप)
4.	—वही—	चीनी	गोयपानी (जिला डिब्रूगढ़)
5.	—वही—	चीनी	कामपुर (जिला नौगांव)
6.	मै० आसाम एसबेस्टस लि० जोरहट	एसबेस्टस सीमेंट की चद्दरें और पाइप	गौहाटी
7.	मै० नार्थ ईस्टर्न टोबेको कम्पनी लि० गौहाटी	सिगरेट	सिलपुखुरी (जिला गौहाटी)
8.	श्री एस० एन० गोयनका (आसाम फ्रूट, जूट प्रोडक्टस) देहली	टोमेटो और पाइन एपल जूस	कामरूप (रद्द कर दिया गया)
9.	मै० टाटा आयल कम्पनी लि०, बम्बई	सिन्थेटिक डिटरजेंटस	गौहाटी
10.	मै० आसाम एग्रो० इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, गौहाटी	डिब्बे में बन्द फल और वनस्पति उत्पाद	गोलपाड़ा
11.	मै० आसाम इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० गौहाटी	सैक्रिंग और हेसियन	दारंग

COLLECTION OF FOREIGN NEWS BY A.I.R.

2125. HRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the sources from which the All India Radio collects foreign news and the cost involved in this work and the countries to which the news is despatched and at what cost; and

(b) the progress made so far in pooling and distribution of news in respect of which a conference of developing non-aligned countries was held in Delhi ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The following are the sources from which All India Radio collects foreign news :—

(i) the news agency SAMACHAR;

(ii) the reports of the Monitoring Service of All India Radio;

(iii) All India Radio's full-time correspondents at Hong Kong, Cairo, Teheran and Dacca; and

(iv) All India Radio's part-time correspondents at Paris, Berlin, Nairobi, Moscow Washington, Singapore, Khatmandu, London and Brussels.

The position about the cost involved is indicated below seriatim :—

(i) All India Radio at present pays to SAMACHAR at the rate of Rs. 2,32,500 per month for supply of Indian and foreign news put together. It is not possible to indicate the amount of payment out of this sum which can be attributed to supply of foreign news.

(ii) The expenditure on the maintenance of the Monitoring Service of All India Radio during the year 1976-77 was approximately Rs. 2.5 lakhs.

(iii) & (iv) The expenditure on All India Radio's full-time and part-time correspondents abroad during the year 1976-77 was approximately Rs. 7.22 lakhs.

All India Radio does not despatch any news to countries abroad.

(b) Samachar has entered into bilateral agreements for exchange of news with 19 national news agencies of non-aligned countries. Samachar is transmitting news at the rate of 500 words a day to each of these agencies. Of the news items picked up from its pool partners, on an average 1500 words are utilised in daily national service of Samachar.

महिला कन्डक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत

2126. **श्री भगतराम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम में कुछ वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों के व्यवहार के बारे में महिला कन्डक्टरों की शिकायतों के बारे में की गई जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई जांच नहीं की गई है।

पत्तन न्यास के श्रमिक न्यासी

2127. **डा० सरदेश राय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्यास के श्रमिक न्यासी अब भारत सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों ने इस आशय की मांग की है कि ऐसे न्यासी पत्तन के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किये जाने चाहिए ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्रम न्यासियों को नियुक्ति सरकार द्वारा महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) (सी) (1) के अधीन परन्तुक के अन्तर्गत की जाती है।

(ख) कोचीन पत्तन कर्मचारी संगठन द्वारा अभी हाल में पारित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें सुझाव दिया गया है कि पत्तन न्यास में श्रम न्यासियों का चयन गुप्त मत पत्रों के जरिए चुनाव द्वारा हो।

(ग) और (घ) अधिनियम में यह अपेक्षित है कि व्यापार संघों से परामर्श किया जाना चाहिए और तदनुसार संघों की सत्यापित सदस्यता के आधार पर और संघों द्वारा सुझाये गये चैनल में से नामांकन किया जा रहा है।

उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देना

2128. **श्री एफ० एच० मोहसिन**
श्री बशीर अहमद } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार तथा दिल्ली में कुल कितने उर्दू भाषी लोग हैं और कुल जन-संख्या में उनकी प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) इन दो राज्यों में उर्दू-भाषी जनसंख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है और कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) क्या इन दो राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) अगस्त, 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में अल्पसंख्यक भाषाओं को सरकारी प्रयोजनों के लिए मान्यता देने के लिए कुछ मानदंड तैयार किये गये थे। इस सिफारिशों के अनुसार किसी राज्य को तब एक भाषी राज्य समझा जाता है जब उसकी लगभग 70 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या एक भाषा बोलती है और यदि उसमें पर्याप्त अल्पसंख्यक है जो राज्य की जनसंख्या का 30 प्रतिशत या इस से अधिक भाग है तो ऐसे राज्य को द्विभाषी राज्य समझा जाता है। जिला स्तर पर जहां 60 प्रतिशत जनसंख्या राज्य की राजभाषा के अलावा कोई भाषा बोलती है अथवा उसका प्रयोग करती है तो अल्प संख्यक वर्ग की उस भाषा को राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त उस जिले में एक राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है।

सरकार की नीति उर्दू को उचित महत्व और प्रोत्साहन देने की है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०/556/77]

सरकारी कार्यों पर किये जाने वाले खर्च में कमी

2129. **श्री धर्मबीर वशिष्ठ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से संबंधित सरकारी समारोहों, उनकी यात्राओं, उनके आगमन एवं प्रस्थान पर तथा उनके किसी स्थान पर ठहरने के समय किये जाने वाले दिखावटी शान-शौकत में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) प्रस्तावित कार्यवाही अथवा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सरकारी खर्च में अनुमानतः कितनी कमी होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इसी प्रकार के खर्च में कमी करने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में उनके सरकारी/निजी दौरों पर दिये जाने वाले शिष्टाचार तथा आवास के बारे में स्थायी अनुदेश हैं। सरकार ने सादगी दिखाने और सभी प्रकार के आडम्बर को त्यागने पर बार-बार बल दिया है। प्रधान मंत्री ने अपनी हवाई यात्राओं में वाणिज्यिक हवाई जहाजों का इस्तेमाल करके स्वयं एक उदाहरण स्थापित किया है। इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गये कि सरकारी आतिथ्य-सत्कार पर खर्च कम से कम किया जाए।

(ख) इस अवस्था में सरकारी खर्च में संभावित कमी का अनुमान लगाना संभव नहीं है ?

(ग) ऐसे मामलों में राज्य सरकारें अपनी ओर से उपयुक्त कार्यवाही करती हैं।

व्यापारी बेड़े का विस्तार किया जाना

2130. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यापारी जहाज बेड़े का विस्तार करने के बारे में अनेक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो नौवहन उद्योग का विस्तार करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) यह सरकार की नीति है कि भारत के आयात और निर्यात व्यापार यथा संभव भारतीय जहाजों में किया जाए। इस उद्देश्य से पांचवीं योजना के दौरान भारतीय परिचालनात्मक टन भार 30.9 लाख सकल टन भार से बढ़ा कर 65.0 लाख सकल टन भार करने का विचार है। इसमें आदेशित 5.0 लाख जी० आर० टी० के जहाज भी शामिल हैं। जहाजों की खरीद के लिए नौवहन कम्पनियों को ऋण देने के लिए पांचवीं योजना में 410 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए 500 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। नौवहन कम्पनियों द्वारा जहाज प्राप्ति के लिए भेजे गए प्रस्तावों की उपरोक्त लक्ष्य, भारतीय व्यापार के लिए उपयुक्त जहाजों की किस्म तथा अन्य संगत बातों के संदर्भ में गुण दोषों के अनुसार संवीक्षा की जाती है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस स्टापों पर बस रुटों का दर्शाया जाना

2131. **श्री नटवर लाल परमार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने कुछ बस स्टैण्डों पर ऐसे बोर्ड लगाये हैं, जिनमें उस बस स्टैण्डों से जाने वाले बस रूटों को दिखाया गया है ;

(ख) क्या अनेक महत्वपूर्ण बस स्टैण्डों पर ऐसे बोर्ड नहीं लगाये गये हैं ;

(ग) क्या ये बोर्ड केवल अंग्रेजी भाषा में हैं, जिनसे अनेक बस यात्रियों को कठिनाई होती है ;

(घ) क्या सरकार सभी महत्वपूर्ण बस स्टैण्डों पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ऐसे बोर्डों की व्यवस्था करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोराजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) तथा (ङ) ऐसे बस स्टैन्डों पर जहां पहले ही अंग्रेजी के बोर्ड लगा दिए गए हैं, हिन्दी के बोर्ड भी लगाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय वाहन डिपो दिल्ली छावनी से वाहनों की बिक्री

2132. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों की जो अप्रैल, 1977 में अतिरिक्त रक्षा भंडार से भूतपूर्व सैनिकों के रूप में केन्द्रीय वाहन डिपो, दिल्ली छावनी, के श्रमिकों को आबंटित किये गये थे, की कथित बिक्री के बारे में किसी संसद् सदस्य से उन्हें कोई पत्र मिला है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कदाचार की जांच करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तन्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। संभवतः, माननीय सदस्य का संकेत संसद् सदस्य श्री वी० एम० चौहान के दिनांक 22 मई, 1977 के पत्र की ओर है।

(ख) और (ग) सैन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी में इस समय कार्य कर रहे भूतपूर्व सैनिक श्री बलबीर सिंह को, वर्तमान नियमों के अनुसार, 25 सितम्बर, 1974 को एक वाहन आबंटित किया गया था। श्री बलबीर सिंह ने आबंटन की शर्तों के उल्लंघन में 3 मास की अवधि के भीतर ही वाहन को बेच दिया इसलिए इसकी एक विभागीय जांच शुरू की गई। जांच के दौरान दिए गए बयान में श्री बलबीर सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने वाहन को एक संबंधी को बेच दिया है क्योंकि उसे आर्थिक कठिनाई थी। परन्तु, उसने उस व्यक्ति का नाम बताने से इंकार कर दिया है जिसे उसने वाहन बेचा था। इस व्यक्ति को आरोप-पत्र दे दिया गया है और अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है।

नारियल जटा उद्योग का विकास

2133. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी और सहायता के लिए लगभग दिसम्बर, 1974 में एक पुनर्निधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क), (ख) और (ग) केरल सरकार ने 10 दिसम्बर, 1974 की पांचवीं योजना में कयर के विकास हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें विद्यमान कयर को-आपरेटिव सोसाइटियों की सहायता करने तथा नई प्राथमिक कयर को-आपरेटिव सोसाइटियों का संगठन करने हेतु 41.72 लाख रुपयें का परिव्यय निहित था। प्रस्ताव की विस्तार से जांच की गई थी और इसके बाद इस बात पर सहमति हुई थी कि राज्य सरकार विद्यमान कयर को-आपरेटिव सोसाइटियों को पुनः संगठित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी और जब तक कि वर्तमान सक्षम जीव्य कयर को-आपरेटिव सोसाइटियां आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टि से जीव्य न बना दी जाये तब तक नई कयर को-आपरेटिव सोसाइटियों का संगठन करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, राज्य में विद्यमान सक्षम जीव्य कयर को-आपरेटिव सोसाइटियों को पुनरुजीवित करने के लिये 4.31 करोड़ रुपये की एक विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार को 25 मार्च, 1977 को सहायता की अंतिम किश्त दी गयी थी।

ENQUIRY INTO COMPLAINTS OF EXCESSES BY POLICE OFFICERS AND EMPLOYEES

2134. SHRI NARSINGH YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Janta Government will adopt the attitude of Congress Government or a new method to enquire into the complaints of excesses committed by police officers and employees on the people; and

(b) if a new method will be adopted, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) The Government is yet to consider what new methods should be adopted to enquire into the day to day complaints of excesses committed by the Police and other Government employees. Any suggestions in this regard from the Honourable Members would be most welcome.

जम्मू आकाशवाणी केन्द्र से डोगरी बुलेटिन

2135. **श्री बलदेवसिंह जसरोथा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू आकाशवाणी केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डोगरी बुलेटिन की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या 6 व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या डोगरियों के मामले में रखी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, नहीं। रेडियो काश्मीर, जम्मू से प्रसारित होने वाले डोगरी समाचार बुलेटिनों की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ;

(ख) रेडियो काश्मीर, जम्मू की प्रादेशिक समाचार यूनिट की स्वीकृत स्टाफ संख्या पांच है ; इस समय पांचों पदों पर व्यक्ति काम कर रहे हैं।

आकाशवाणी कुरसियांग के सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का चयन

2136. **श्री के० वी० चेतरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी कुरसियांग के सलाहकार बोर्ड के सदस्य कौन-कौन से हैं ;

(ख) सरकार का इस बोर्ड का पुनर्गठन कब करने का विचार है ; और

(ग) सदस्यों के चयन के मानदंड क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के केन्द्रों (कुरसियांग सहित) पर कार्यक्रम परामर्शदात्री समितियों के गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) चुने हुए सदस्य आकाशवाणी केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र के सांस्कृतिक, भाषायी और सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार के लिए सलाह देने में सदस्यों की जानकारी और विशेषज्ञता का भी ध्यान रखा जाता है।

ELIGIBILITY OF GOVERNMENT EMPLOYEES FOR APPEARING IN I.A.S. COMPETITION

2137. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal for making a provision of five years experience and 35 years of age for eligibility of Government employees for appearing in the Indian Administrative Service competitions as also reserving some posts for these employees;

(b) if so, the time by which a final decision would be taken thereon;

(c) whether the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes would also be given relaxation accordingly; and

(d) if so, the outlines of the provision to be made therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) At the moment no such proposal is under consideration. Government have, however, decided to enhance the ceiling for promotion of officers of the State Civil Service and State Police Service to the I.A.S. and I.P.S. respectively from 25% 33⅓% of senior duty posts in each State cadre. The resultant increase in promotion vacancies will be filled in accordance with the existing rules. The number of posts available for non-State Civil Service officers for appointment to the I.A.S. by selection will also increase proportionately from 15% of 25% to 15% of 33⅓ % of promotion posts. Proposals for lateral entry into the I.A.S. have consequently been dropped.

(c) & (d) Do not arise.

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण

2138. **श्री बशीर अहमद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फतहपुर, बान्दा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए कोई विकास योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) फतहपुर, बांदा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न आकारों की अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, इनके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए कई विकास स्कीमें तैयार की गई हैं और कार्यान्वियत की जा रही हैं; उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2. बलिया, देवरिया, गाजीपुर और इलाहाबाद जिले ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत आ जाते हैं।

3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन के लिए दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त फतहपुर और बांदा जिलों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों (अर्थात् बस्ती, बाहराइच, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गौंडा और जौनपुर), को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में चुना गया है और इसलिए वे अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त पाने के पात्र हैं। इन जिलों के उद्योग कुछ आयकर छूट के लिए भी पात्र हैं। ब्याज की रियायती दर की स्कीमों के अंतर्गत इन जिलों में शिल्पकार, दस्तकार और समाज के कमजोर वर्गों के अन्य छोटे उद्यमी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में से बस्ती, बलिया और फैजाबाद और जिले निवेश सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए चुने गए हैं। इन जिलों की लघु औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त आवेदन पत्रों को कच्चा माल, लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की पूर्ति के लिए भी तरजीह दी जाती है।

4. हथकरघा उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में एक गहन विकास परियोजना आरम्भ की गई है। गोरखपुर और बस्ती जिलों के भाग इसके अंतर्गत आते हैं।

5. हस्तशिल्प के विकास के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊनी कालीनों के बुनकारों के प्रशिक्षण की एक स्कीम मिर्जापुर जिले में कार्यान्वियत की जा रही है।

6. पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड' नामक एक निगम स्थापित किया है।

7. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम और उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सूती, वस्त्र उद्योग निगम तथा उत्तर प्रदेश, कृषि-उद्योग निगम जैसे कुछ अन्य राज्य निगम ने भी इन क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए स्कीमें शुरू की हैं।

अरब सागर तट पर भारतीय नौसेना का यूनिट के लिए स्थान

2139. **श्री के० टी० कोसलराय**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा के उद्देश्य से अरब सागर तट पर भारतीय नौसेना के एक यूनिट की स्थापना करने के लिए अधिकारियों द्वारा नानगुनेरी तालुक में एक स्थान चुना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थान, का नाम क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SUPPLY OF URANIUM BY CANADA FOR ATOMIC ENERGY

2140. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether Canada has assured India to supply uranium for generation of atomic energy; and

(b) if so, the date from which its supply will commence ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कृषि-उद्योग

2141. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों पर आधारित कृषि-उद्योगों, कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को पुनरुजीवित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस संदर्भ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार करने का है; यदि हाँ तो किस सीमा तक ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) कृषि उत्पादों पर आधारित कृषि उद्योगों कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को पुनरुजीवित करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इन कृषि पर आधारित उद्योगों और लघु उद्योगों में गहनता लाने के लिए एक विकेन्द्रीकृत संगठनात्मक व्यवस्था करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य कृषि उद्योग निगमों को भी किसानों और कृषि उद्योगों से सम्बन्धित व्यक्तियों को तकनीकी मार्ग दर्शन देने की सलाह दी जा रही है ताकि वे अपने उद्यमों को प्रभावी रूप से चला सकें।

(ख) कृषि उद्योग समूहों और कृषि पर आधारित उद्योगों को पुनरुजीवित करने के लिए वर्ष 1977-78 के लिए 50 लाख रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। सरकार की नई नीतियों के संदर्भ में पांचवीं पंच वर्षीय योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन

2142. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विभिन्न विदेशी 'ज्योनिस्ट' अरब विरोधी (धर्माध ज्यूस) संगठनों से धनराशी प्राप्त की थी, और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिड़ला कम्पनियों के विरुद्ध जाँच आयोग को समाप्त करना

2143. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा**
श्री हुकमदेव नारायण यादव } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विड़ला कम्पनियों के मामलों की जांच कर रहे जांच आयोग को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस आयोग ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) ऐसा समझा जाता है कि संदर्भ सरकार द्वारा नियुक्त बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग से है और जो अन्य बातों के साथ-साथ विड़ला समूह की कुछ कम्पनियों के कार्यों के कुछ पहलुओं की भी जांच कर रहा है। आयोग को अभी समाप्त नहीं किया गया है ।

(ख) नीचे दी गई तालिका से आयोग द्वारा मामलों की जांच करने के संबंध में किए गए कार्य का ठीक पता चलता है :—

सम्बद्ध मामले	जांच की जाने वाली फाइलों की संख्या	जांच कर ली गई फाइलों की संख्या
1	2	3
लाइसेंस सम्बंधी स्कंध . . .	2731	1521
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम . . .	700	700
भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनियोजन निगम .	1581	1581
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक .	282	282
जीवन बीमा निगम . .	900	900
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया . .	140	140
भारतीय स्टेट बैंक और सहायक बैंक .	3000	1800
कम्पनी लाविंग . .	1732	1593
रेवेन्यू विंग-आयकर .	900	500
	11966	9017

ऊपर बताये गए मामलों की जांच के अलावा आयोग सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता संबंधी मामलों की पांच वार आम सुनवाई भी कर चुका है। वित्तीय सहायता और अन्य विचाराधीन विषयों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा और सुनवाइयां यथा समय करने का प्रस्ताव है।

संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव

2144. **श्री पी० के० देव**
श्री चतुर्भुज } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर राज्य से संबधित संविधान के अनुछेद 370 को समाप्त करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : जी नहीं, श्रीमान् ।

गोदी श्रमिक एसोसियेशन कलकत्ता से प्राप्त ज्ञापन

2145. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोदी श्रमिक एसोशियेशन, कलकत्ता से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार शालीमार वर्क्स लि० का अधिग्रहण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां

(ख) तथा (ग) इस मामले पर नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

विभिन्न ग्रेडों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का रुका रहना

2146. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है जो उसी ग्रेड में 20 वर्ष से अधिक समय से हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बात को जानती है कि उसी ग्रेड में रहने के कारण इन कर्मचारियों में काफी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) विभिन्न विभागों में स्थिति के बारे में सूचना कार्मिक विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) सरकार इस बात से अवगत है कि जहां कहीं कर्मचारी उसी ग्रेड में रुके रहते हैं तो उनमें असंतोष उत्पन्न हो जाता है ।

(ग) उसी ग्रेड में रुके रहने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से, हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था है :—

(i) समूह 'ग' और 'घ' ग्रेडो के लिए चयन ग्रेडों का लागू किया जाना।

(ii) अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के लिए चयन ग्रेडों का लागू किया जाना ।

(iii) समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के पदों की व्यवस्था करने के लिए रिकार्ड कीपरों के पदों को सृजन।

(iv) विभागीय उम्मीदवारों को अपने ही विभागों में समूह 'ग' तथा 'घ' के पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट ।

(v) समूह 'क' सेवाओं में जहां कहीं पदोन्नति के पर्याप्त अवसर न हों वहां शिकायतों को दूर करने के लिए संवर्ग प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं को आवधिक रूप में तथा क्रमपूर्वक पुनरीक्षा किए जाने के लिए संवर्ग पुनरीक्षा समितियों की स्थापना।

नेवेली में दूसरा 'माइन कट'

2147. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में तिरुहर विद्युत् की कमी को देखते हुए नेवेली में दूसरे 'माइन कट' की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : नेवेली में खोदी गई दूसरी खान को चालू करने का काम नेवेली के उस सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना से जुड़ा है जिसका उद्देश्य छठी योजना के अंत तक सामान्यतया दक्षिणी क्षेत्र की और विशेषतया तमिलनाडु राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करना है । सरकार इस स्कीम की जांच कर रही है। इस बीच दूसरी खान खुदाई के क्षेत्र में विस्तृत भूवैज्ञानिक और जलवैज्ञानिक अन्वेषण के लिए 1977-78 के बजट प्राक्कलन में 70 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

सेवाओं में आरक्षण

[2148. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की तरह पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को सेवाओं आदि में 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है ; और

(ख) केन्द्र सरकार का विचार अखिल भारतीय सेवाओं में इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। फिर भी, यह पता चला है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) इस संबंध में कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय आर्थिक सेवा

2149. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि आर्थिक मामलों से संबंधित सभी सेवायें भारतीय आर्थिक सेवा द्वारा प्रबंधित और संचालित की जायेंगी ;

(ख) क्या इस सिफारिश का उल्लंघन किया जा रहा है ;

(ग) क्या ऐसे सभी पदों का संबंधित विभाग द्वारा पता लगाया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) देश के द्रुत आर्थिक विकास के लिये ऐसे सभी पदों को भारतीय आर्थिक सेवा के पुनः अधीन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) अनुमानतः माननीय सदस्य का मतलब उन सुझावों से है जो भारतीय आर्थिक सेवा के सदस्यों को पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाए जाने को ध्यान में रखते हुए, तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने उक्त सेवा के ग्रेड I तथा ग्रेड II के पदों की संवर्ग में मिलाए जाने के लिए दिए थे। आयोग ने यह देखा था कि ऐसे अनेक पदों को, जो ग्रेड I तथा ग्रेड II में शामिल किए जाने योग्य प्रतीत होते थे, संबंधित मंत्रालयों की अनिच्छा के कारण संवर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः आयोग ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए जिससे कि ग्रेड I तथा ग्रेड II को पद संख्या में वृद्धि की जा सके। इससे उक्त सेवा के विभिन्न ग्रेडों में संतुलन तथा पदोन्नति के अवसरों में सुधार हो जाएगा।

(ख), (ग) तथा (घ) मंत्रालयों तथा विभागों में आर्थिक कार्यों वाले पदों के संवर्गबद्ध किए जाने के प्रश्न को सरकार द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है। ऐसे सभी पदों को, जिन की लम्बी अवधि के आधार पर आवश्यकता है और जिनके लिए ऐसे विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता नहीं है जो भारतीय आर्थिक सेवा के सदस्यों में सामान्यतः उपलब्ध नहीं है, संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उपयुक्त ग्रेडों में संवर्गबद्ध किया जा रहा है। इस प्रयोग के परिणामस्वरूप सेवा के गठन की तारीख अर्थात् 1-11-1961 को ग्रेड I तथा ग्रेड II में ड्यूटी पदों की संख्या जहां 30 थीं, वह 1-6-1977 को बढ़कर 65 हो गई है। ग्रेड I, II, III तथा IV सब में मिलाकर इस अवधि के भीतर ड्यूटी पदों की संख्या 324 से बढ़कर 465 हो गई है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रोग्राम अधिकारियों की सेवा निवृत्ति

2150. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यालयों, उन प्रोग्राम अधिकारियों अर्थात् केन्द्र निदेशकों, उपमहा निदेशकों सहायक केन्द्र निदेशकों की संख्या एवं नाम क्या हैं जो 31 दिसम्बर, 1977 तक सेवा निवृत्त होने वाले है।

(ख) उपरोक्त अधिकारियों में से कितने और किन किन अधिकारियों के नामों पर उनका सेवाकाल बढ़ाने अथवा पुनः नौकरी देने के लिए विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इसका औचित्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) निम्नलिखित ग्यारह अधिकारी 31 दिसम्बर, 1977 तक सेवा निवृत्त होने वाले हैं :—

उपमहानिदेशक

(1) श्री डी० के० सेनगुप्त

(2) श्री जी० के० माथुर

(3) डा० एस० बी० सिंह

केन्द्र निदेशक :

(1) श्री ए० एन० कपूर

(2) श्री डी० पी० बसु

(3) श्री ए० एम० रशीद

(4) श्री डी० पी० लूम्बा

(5) श्री एस० डी० दुर्गाचलम

सहायक केन्द्र निदेशक

(1) श्री ए० ए० खुसरो

(2) श्री एस० आर० दास

(3) श्रीमती पी० एच० ठाकुर

(ख) और (ग) सामान्य रूप से सेवा काल बढ़ाने के दो प्रस्ताव विचाराधीन रहे हैं। एक मामले में सेवा काल न बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

थूम्बा राकेट केन्द्र से राकेट छोड़ना

2151. **श्री बयालार रवि :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा राकेट केन्द्र से वर्ष 1976-77 में कुल कितने राकेट छोड़े गये ; और

(ख) उक्त अनुभव से देश में पर्यावरण के अध्ययन के लिये सुविधाओं में सुधार करने तथा आधुनिकृत बहुचरण राकेट के विकास में कहां तक सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) 103

(ख) इन परीक्षणों ने समतापमंडलीय हवाओं और तापमानों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्रदान की है ; जिस से लम्बी अवधि की अधिक शुद्ध मौसम संबंधी भविष्यवाणियां करना संभव होगा। पर्यावरण पर इनके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए मध्य वायुमंडल में लघु घटकों और ओजोन के परिमापन के लिए भी परीक्षण किए जा रहे हैं। परिज्ञापी राकेट की उड़ानों ने भी राकेट प्रणालियों में सुधार करने के लिए बहुमूल्य उड़ान संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं। इन उड़ानों में से कुछ का प्रयोग विकासाधीन अधिक बड़े बहुचरण वाले प्रमोचक राकेटों के लिए आवश्यक उप-प्रणालियों की जांच के लिए विशेष रूप में किया गया है।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कुछ यूनिटों का थुम्बा से स्थानान्तरण

2152. **श्री बयालार रवि :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कुछ यूनिटों को थुम्बा से किन्हीं अन्य स्थानों पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) क्या इस केन्द्र के कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्र के कर्मचारियों के एक वर्ग ने इस गलत धारणा के कारण अपना विरोध प्रकट किया है कि केन्द्र से कुछ विद्यमान यूनिटों को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रामपुरा बस स्टैंड में बसें

2153. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भीड़ भाड़ वाले समय में रामपुरा बस स्टैण्ड में बसों के उपलब्ध न होने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लारेंस रोड़ से रीगल तक चल रहे रूट नम्बर 1920 में ऐसा परिवर्तन करने का है जिससे वह रामपुरा के अन्दर से होकर जाने लगे ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच रामपुरा बस स्टैण्ड में यात्रियों की बस दिलाने में सहायता करने के लिये यहां पर कोई यातायात निरीक्षक नियुक्त किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) यातायात निरीक्षक को भेजने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी ।

डी० टी० सी० द्वारा रूट नं० 91 और 93 के लिये बसों का प्रावधान

2154. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनगर कालोनी, जहां 11 लाख से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं, के लिये डी० टी० सी० द्वारा रूट नं० 91 और 93 पर पर्याप्त संख्या में और अच्छी बसों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या त्रिनगर से चलने वाली प्रत्येक बस में कम से कम 150 यात्री होते हैं जो दो बसों के यात्रियों के बराबर होते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन रुटों पर अधिक नई बसें चलाने का है और यदि नहीं तो, इस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रूट नं० 91 तथा 94 त्रिनगर से शुरु होती है और क्रमशः केन्द्रीय सचिवालय और दिल्ली रेलवे स्टेशन को मिलाती हैं । इन दो मार्गों पर जहां सड़क पर चलने योग्य बसों को लगाया गया है की मौजूदा सेवाओं को दिल्ली परिवहन निगम इस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त मानता है ।

रुट नं० 93 त्रिनगर से शुरु नहीं होता ।

(ख) कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही इतने अधिक यात्रियों को बस में यात्रा करने दिया जाता है । परन्तु व्यस्तम समय में बसों में कुछ भीड़ भाड़ हो जाती है ।

(ग) और बसों के उपलब्ध होने पर मामले पर विचार किया जायेगा ।

टेलीविजन पर साप्ताहिक फिल्म -कार्यक्रम

2155. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर साप्ताहिक फिल्म कार्यक्रम बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

DECLINE IN COAL PRODUCTION

2156. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the production of coal has declined during the recent months;

(b) if so, main reasons for this decline; and

(c) the results of the remedial measures taken therefor ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a), (b) and (c). The month-wise production of coal from February, 1977 to May, 1977 as compared to the corresponding period of previous 2 years is as follows :—

(*In lakh tonnes*)

Month	1975	1976	1977
February	80.60	96.88	100.69
March	87.08	102.29	98.44
April	78.33	79.41	77.82
May	76.74	77.21	76.54

At the close of the financial year 1976-77, the coal companies carried heavy pithead stocks of 14.5 million tonnes due to demand growing at a lower rate than earlier anticipated. Production of coal is accordingly being regulated by the coal companies taking into consideration the existing levels of demand and pithead socks. Pithead stocks have thereby been reduced by about 2 million tonnes from the level of 14.5 million tonnes as on 1-4-1977 to 12.62 million tonnes towards the end of May, 1977.

GRANT OF L-10 LICENCES FOR COUNTRY LIQUOR

2157. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether about 175 persons died of liquor poisoning in Delhi this year;

(b) whether in the tests Methyl alcohol was found in the samples taken from parties having L-10 licences and whether all the samples had failed;

(c) whether cases were registered under Section 104 against these parties; and

(d) whether these parties have again been awarded contracts and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) No methyl alcohol was detected in any sample of country liquor.

(c) and (d) Do not arise.

GRANT OF L-10 LICENCE TO PICCADILLY HOTEL

2158. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) when and for what amount L-10 licences in the name of Piccadilly Hotel were auctioned in Karol Bagh and Subzimandi;

(b) the names of the proprietors of this firm and the period for which this contract lasted; and

(c) the extent to which breakage was allowed to them during the period of contract ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) A licence for retail sale of country liquor in Form L-10 was given to M/s. Piccadilly Hotel Private Ltd., Chandigarh for Patel Nagar/Karol Bagh area for the period 1-8-1976 to 31-3-1977 by open auction on a licence fee of Rs. 12.51 lacs. No such licence was granted to the said firm for Subzimandi area. M/s. Piccadilly Hotel Private Limited is a company incorporated under the Companies Act, 1956 with the following as its Directors :—

(i) Shri Kedar Nath Sharma.

(ii) Shri Vinod Kumar Sharma.

(iii) Shri Shyam Sunder Sharma.

(iv) Smt. Raj Rani Sharma.

(c) No breakage was allowed.

PER CAPITA NATIONAL INCOME

2159. DR. LAXMINARAIN PANDEYA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the per capita national income for the last three years; and

(b) income estimated by Government for the current year and the next year ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The per capita national income for the years 1974-75 and 1975-76 at current prices was Rs. 988.7 and Rs. 1004.9 respectively. Data for the year 1976-77 are not yet available.

(b) The estimate is not yet available for the curent year; it is not the practice to prepare advance estimates.

मकानों के निर्माण के लिये हरिजनों को ऋण दिया जाना

2160. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मकानों के निर्माण के लिए हरिजनों को अनुदान अथवा ऋण देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) और (ख) पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में राज्य सरकारें हरिजनों द्वारा मकानों के निर्माण के लिए अनुदान/ऋण देती रही। इनके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही सामाजिक आवास योजनाओं से भी हरिजन लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र में वृक्षारोपण करने वाले कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक सहायता प्राप्त आवास योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत हरिजनों को अनुदानों/ऋणों का ठीक ठीक आवंचटन उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु वर्ष 1977-78 के लिए इन योजनाओं के लिए समस्त प्रस्तावित प्रावधान लगभग 7.3 करोड़ रुपए है।

RAISING SOCIAL STANDARD OF ADIVASI AREA

2161. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any time bound scheme for raising the social standard of the inhabitants of Adivasi areas; and

(b) if so, the broad features therefor ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). As a part of overall strategy of tribal development in Fifth Plan, separate sub-plans for areas of tribal concentration are already being implemented in most of the States and Union Territories. The tribal sub-plans have been formulated so as to narrow down the gap between the levels of development of tribal and other areas and to improve the quality of life of the tribal communities, by allocating special resources for these people from the State plans and by special Central assistance.

SUBSIDY TO STATES FOR WEAKER SECTIONS

2162. SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the criterion on which subsidy is given to the States for weaker Sections viz. Adivasi areas;

(b) the amount given to Bihar for Adivasi areas during the last three years and the amount spent by Bihar Government thereon; and

(c) whether Government have under consideration any proposal for giving financial assistance to some other weaker sections also for purchasing fertilizers, bullocks, cows etc. for use in agriculture ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) During the 5th plan an amount of Rs. 190/- crores has been allocated as Special Central Assistance to States having Tribal Sub-Plan Areas. This amount is distributed among the States on the following criteria :—

(i) 50% on the basis of the tribal population in the Sub Plan-area;

(ii) 30% on the basis of the geographical area covered by the Sub-Plan; and

(iii) 20% in inverse proportion to the net State domestic product with weightage for the tribal population in the Sub-Plan areas.

(b) The amounts of Special Central Assistance released by the Central Government to the Bihar Government and the amount spent during the last three years are as under :—

(*Rs. in lakhs*)

	Amounte Released	*Expenditure*
1974-75	56.00	56.77
1975-76	281.00	282.00
1976-77	614.00	614.00
		(*Estimated*)

(c) The State Governments have programmed in the State Plan for grant of financial assistance to the Scheduled Castes, the denotified, nomadic and semi-nomadic tribes and other backward classes for purchasing fertilisers, bullocks, agricultural implements etc.

आसाम में नई सड़कों का निर्माण

2163. **श्री निहार लास्कर : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य सरकार ने राज्य में नई सड़कों के निर्माण हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई योजना भेजी गई है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य को कुल कितनी राशि दी जाएगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अप्रैल-जुलाई 1977 के दौरान केन्द्रीय सरकार के चालू सड़क कार्यों पर व्यय के लिये स्वीकृत लेखा अनुदान में से इस प्रयोजन के लिये 200.53 लाख रुपये की रकम दे दी गई है। वर्ष की शेष अवधि के लिये धनराशि का नियतन, संसद द्वारा अनुदान की मांगों पर स्वीकृति लिये जाने के बाद ही किया जाएगा।

HOUSING LOANS FOR HARIJAN AND BACKWARD PEOPLE IN RAJASTHAN

2164. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the amount of loan provided by the Centre to Rajasthan Government for building houses for backward sections of the people during the last two years;

(b) the report submitted by Rajasthan Government in regard to proper utilization of the loans provided; and

(c) the amount of loan proposed to be provided by the Centre during the current year for improving housing position of Harijans and backward people ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (c). Central assistance to State during the Fifth Plan period is released in the form of block loans and block grants for their Annual Plans as a whole. It is not related to any development sub head or scheme. Separate figures regarding financial assistance given to Rajasthan Government for housing schemes as such during the period in question are not available.

(b) Does not arise.

बिजली उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

2165. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई व्यापक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश की बिजली की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का कार्यक्रम सरकार के विचार में है। पांचवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में अर्थात् 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में जो ताप विद्युत् और जल विद्युत् यूनिट चालू किए गए उनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 5236 मैगावाट के बराबर थी और पांचवीं योजना की शेष अवधि में लगभग 6000 मैगावाट क्षमता और जोड़ी जाने का कार्यक्रम है। छठी योजना में लाभ देने के लिए हाल ही के महीनों में कई उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। अन्य कई प्रस्तावों की जांच की जा रही है। नई उत्पादन परियोजना का चुनाव करते समय, अन्य बातों के साथ साथ मांग संबंधी स्थिति और तकनीकी सीमाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यन्त किफायती तौर पर की जा सके।

छठी योजना के अन्त में बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस समय एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसे बनाते समय संभावित मांग, उस समय प्रतिष्ठापित क्षमता से बिजली की संभावित उपलब्धता तथा स्वीकृत की जा चुकी और विचाराधीन परियोजनाओं का ध्यान रखा जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति में दूरदर्शन केन्द्र

2166. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्रप्रदेश में तिरुपति में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशालाएं

2167. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां पर है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) आंध्र प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने वाली प्रमुख प्रयोगशाला है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की 'इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशालय' इलेक्ट्रानिकी विषयक अनुसंधान एवं विकास का कार्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा तथा 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' के रक्षा धातुकर्मीय (मेटालर्जिकल) अनुसंधान प्रयोगशालय द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित कम्पनियों के ही अंक के रूप में इलेक्ट्रानिक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं ये कम्पनियां इस प्रकार हैं :—भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड (हैदराबाद) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा नाभिकीय ईंधन काम्प्लेक्स का विशेष सामग्री संयंत्र। इन कम्पनियों की सभी प्रयोगशालाएं हैदराबाद में स्थापित हैं।

आकाशवाणी तथा टेलीविजन पर सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों के भाषणों के लिए समय का आबंटन

2168. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**
श्री ईश्वर चौधरी } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी तथा टेलीविजन पर सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों के भाषणों के लिए समय का आबंटन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना समय आबंटित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं, आदि के हाल ही के चुनावों के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही आकाशवाणी और दूरदर्शन से चुनाव प्रसारण करने के लिए समय आबंटित किया गया था।

(ख) प्रत्येक दल को आबंटित किया गया समय इस प्रकार था : (1) आकाशवाणी से पन्द्रह पन्द्रह मिनट के दो दौरों में आधा घंटा और (2) दूरदर्शन से 15 मिनट।

MEMORANDUM ON EXCESSES COMMITTED IN MADHYA PRADESH

2169. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether several memoranda have been received in regard to the probe into excesses committed in Dewas, Indore and other places in Madhya Pradesh during emergency; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) Memoranda received from the public in respect of excesses committed during Emergency are being looked into by the State Government. It may be mentioned that the Commission of Inquiry under Shri J. C. Shah has also invited complaints through a notification published in various newspapers.

TALK WITH THE THREE ARMY CHIEFS BY THE FORMER PRIME MINISTER FOR IMPOSING MARTIAL LAW

2170. SHRI DHANNA SINGH GULSHAN
SHRI R. K. MHALGI } Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the former Prime Minister had conferred with the three Chiefs of Armed Forces to the effect that emergency and martial law be enforced in case the February-March, 1977 Lok Sabha elections are cancelled; and

(b) if so, the facts thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विद्युत प्रदाय द्वारा करों, दरों में वृद्धि किया जाना

2171. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने आपात स्थिति के दौरान करों, दरों और जमानत की राशि में वृद्धि की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार करों और दरों में कमी करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार निगम ने 1976-77 में पशुओं और वाहनों पर कर की दरों में वृद्धि की । किन्तु 1977-78 के लिये ये कर घटाकर 1975-76 के स्तर पर कर दिये गये । निगम ने रिहायशी भवनों के लिये 10 प्रतिशत और प्रतिशत 30 के बीच की अंकित भिन्न-भिन्न दर को 12½ प्रतिशत और वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भवनों के लिये 18 प्रतिशत करके शहरी क्षेत्र में सम्पत्ति पर आतिथ्य कर की दरों में भी संशोधन किया । व्यापार/भण्डार किरायों के लिये लाइसेंस शुल्क, चबूतरों तथा स्तम्भश्रेणी शुल्क की दरों, संयोजन शुल्क, हटाने और भण्डार के किराये इत्यादि में भी वृद्धि की गई थी।

दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निकासी उपक्रम ने 1-4-1976 से घरेलू जल सप्लाई की दरों में वृद्धि की। वाणिज्यक जल सप्लाई की दरों में भी वृद्धि की गई किन्तु औद्योगिक जल सप्लाई की दरें घटाई गई थीं। इन दरों को 1-10-1976 से और युक्तिसंगत बनाया गया था।

नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर पालिका ने 4-7-1976 से विद्युत शुल्क में वृद्धि की। इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम को देय 2 पैसे प्रति यूनिट विद्युत कर भी उसी तारीख से उपभोक्ताओं से वसूल किया गया। जमानत की जमा रकम की दरों में 1-2-1976 से वृद्धि की गई और जल सप्लाई की दरों में 1-3-1976 से वृद्धि की गई।

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत शुल्क तथा जमानत की जमा रकम की दरों में क्रमशः 1-4-1976 और 1-2-1976 से वृद्धि की गई।

(ग) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों पर सम्पत्ति कर

2172. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने आपात स्थिति के दौरान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भवनों पर सम्पत्ति कर कम कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो निगम को इससे कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या प्राधिकारियों से कोई समुचित मंजूरी नहीं ली गई थी?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) वित्त वर्ष 1976-77 के लिये दिल्ली नगर निगम ने वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सम्पत्ति कर की दर में संशोधन करके 15 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के बीच कर की भिन्न-भिन्न अंकित दरों को समान दर बना कर 18 प्रतिशत कर दिया। वही समान दर वर्ष 1977-78 के लिये जारी है।

(ख) चूंकि निगम द्वारा वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सम्पत्तियों के लिये मांग तथा संग्रह रजिस्टर अलग से नहीं रखे जा रहे हैं, अतः इस सम्पत्तियों के संबंध में मकान कर में कमी के कारण निगम को हुई राजस्व की वास्तविक हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, रिहायशी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सम्पत्तियों समेत सभी सम्पत्तियों के बारे में मांग में कमी का अनुमान लगभग 2 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) निगम दरें, जिन पर विभिन्न नगर कर, दरें तथा उपकर लगाये जाते हैं, निर्धारित करने के लिये सक्षम है।

आपात स्थिति के दौरान प्रतिबंधित संगठनों के विरुद्ध प्रचार

2173. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान प्रतिबन्धित संगठनों के विरुद्ध साहित्य प्रकाशन तथा प्रचार के अन्य साधनों पर केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना व्यय किया ;

(ख) सरकार ने कितनी पुस्तकाएं और पर्चे प्रकाशित किये; और

(ग) श्री जय प्रकाश नारायण और उनके लोकतन्त्र के लिए आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) आपात स्थिति के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यमों ने प्रतिबंन्धित संगठनों के विरुद्ध साहित्य प्रकाशित करने तथा प्रचार के अन्य साधनों पर 9,25,088/- रुपये व्यय किए। इसके अलावा, प्रतिबंन्धित संगठनों के विरुद्ध प्रचार विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में भी किया गया था। विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिबन्धित संगठनों के विरुद्ध प्रचार पर खर्च हुई राशि की मात्रा निश्चित करना संभव नहीं है।

(ख) दस, जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनकी 10,34,000 प्रतियां छापी गई थी । इनमें वे प्रकाशन शामिल नहीं हैं जिनमें प्रतिबन्धित संगठनों के बारे में उल्लेख थे।

(ग) 57,309/- रुपए । इसमें विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों में श्री जय प्रकाश नारायण और लोकतंत्र के लिए उनके आंदोलन के विरुद्ध प्रचार पर हुआ व्यय शामिल नहीं है।

उक्त मुद्दों पर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा किए गए व्यय के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

आपात स्थिति के दौरान बीस सूत्री और पाँच सूत्री कार्यक्रमों के प्रचार और साहित्य प्रकाशन पर हुआ व्यय

2174. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों ने आपात स्थिति के दौरान बीस सूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रमों के प्रचार और साहित्य प्रकाशन पर कुल कितना व्यय किया है ; और

(ख) उस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र का विस्तार

2175. **श्री के० ए० राजन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र का विस्तार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त स्थल चयन समिति ने, पश्चिमी क्षेत्र में एक और परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों द्वारा सुझाये गये स्थलों के साथ-साथ तारापुर परमाणु बिजलीघर के विस्तार के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर भी विचार किया है।

(ख) समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध आरोप

2176. **श्री के० ए० राजन** : : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी पर आपात स्थिति के दौरान भ्रष्टाचार, कदाचार और शक्ति के दुरुपयोग के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या इन आरोपों की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। उपाध्यक्ष के विरुद्ध।

(ख), (ग) और (घ) पत्रों का संबंध, जिनमें से कुछ बेनाम तथा कुछ जाली नाम वाले थे, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से था :—

(क) एक अधिकारी का अनुचित रूप से पक्षपात करना ;

(ख) अधिकारी की नियुक्ति करना जबकि वह योग्य नहीं था;

(ग) कानून अधिकारी की पक्षपातपूर्ण सलाह को गलत ढंग से स्वीकार करना ;

(घ) अपने अधीन कर्मचारियों/अधिकारियों का पक्षपात करने में भ्रष्ट तरीके अपनाना।

इन्हें कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अध्यक्ष को उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया । एक मामले में कुछ नियुक्तियों के मामले में पक्षपात तथा भाई भतीजेवाद के आरोप लगाए गए । गोदी श्रम बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि आरोपों में कोई सार नहीं है।

एक अन्य मामले में, एक अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अध्यक्ष तथा कानून अधिकारी कानूनी मामले आवंटित करने के मामले में उनके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे और यह कि गोदी श्रम बोर्ड एक अन्य अधिवक्ता को बोर्ड के मामलों की वकालत करने के लिए बड़ी रकमें दे रहा था । कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अध्यक्ष ने आरोपों की जांच की है और उन्हें निराधार पाया है ।

SETTING UP OF RADIO STATION AND T. V. CENTRE IN ETAWAH

2178. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Radio station and a Television centre in Etawah in the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, whether a survey is proposed to be conducted during 1977-78 for the selection of the place ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कोचीन पत्तन

2179. **श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी :** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 के प्रथम सप्ताह के दौरान कोचीन पत्तन पर कार्य ठप्प रहा था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोचीन पत्तन समस्त जहाजों पर 4-5-77 को सांय 6 बजे से 6-5-77 को सांय 5 बजे तक लदान और उतार कार्य नहीं हो सका।

(ख) रजिस्टर्ड गोदी कामगारों ने आदेशों का पालन करने से इन्कार करने वाले सात कामगारों को निलंबित किये जाने के विरोध में अचानक हड़ताल कर दी।

कोयला खानों में पूंजी निवेश के तरीके में परिवर्तन

2180. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खानों में पूंजी निवेश के तरीके में मूलभूत परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं। सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

RECOGNITION OF URDU AS SECOND LANGUAGE IN STATES

2181. SHRI UGRASEN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Central Government propose to recognize Urdu as Second language in the States having an appreciable percentage of Urdu speaking people; and

(b) If so, the facts thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b). At the Conference of Chief Ministers and Central Ministers held in August, 1961, certain criteria were evolved for recognition of minority languages for official purposes. In pursuance of these recommendations, a State is considered unilingual if about 70% or more of its population speak one language and if there is a substantial minority constituting 30% or more of the population of the State such a State is considered bi-lingual. At the district level where 60% of the population speaks or uses a language other than the official language

of the State that language of the minority group is to be recognised as an official language in that district in addition to the State official language. Wherever the above criteria are satisfied in relation to the Urdu speaking population, the State Government are to take necessary action to declare that language as second language.

The policy of the Government is to accord Urdu due importance and encouragement.

अशोक विहार में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

2182. **श्री उग्रसेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अशोक विहार के निवासियों के लिये दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा, विशेषकर रूट नं० 157 और सामान्य रूप से अन्य 'रूटों' पर, बिगड़ जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या अत्यधिक भीड़ वाले समय पर भी ये बसें आधे घण्टे से अधिक समय के बाद आती हैं जबकि अन्य कालोनियों के लिए सामान्यत: 10-10 मिनट बाद बसें चलती हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम का 10-10 मिनट बाद बस उपलब्ध करने का वचन कब पूरा किया जायेगा; और

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार अशोक विहार, दिल्ली के निवासियों के लिये अशोक विहार को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के साथ और केन्द्रीय सचिवालय के साथ मिलाने वाले अधिक 'रूट' उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अभी हाल ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अशोक विहार पहले ही रूट सं० 220 की सेवाओं द्वारा केन्द्रीय सचिवालय से जुड़ा हुआ है। इस कालोनी का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना

2183. **श्री आर० के० महालगी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी आपात-स्थिति के दौरान सेवाएं समाप्त कर दी गई और जिन्हें जबरदस्ती सेवानिवृत्त होने के लिए कहा गया था ;

(ख) 25 मार्च, 1977 से ऐसे कर्मचारियों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ग) उपरोक्त अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) 46 व्यक्तियों (कान्ट्रेक्ट पर लगाए गए 39 स्टाफ आर्टिस्टों सहित) की सेवाएं समाप्त की गई थीं। इसके अलावा, 26 व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था।

(ख) 22।

(ग) 5 अधिकारियों के अभ्यावेदन स्वीकार कर लिए गए हैं, एक का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया है और शेष 16 व्यक्तियों के अभ्यावेदन विचाराधीन हैं।

बिजली के संकट के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी

2184. **श्री आर० के० महालगी**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रदेश में बिजली के संकट के कारण अप्रैल-मई, 1977 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में कुल कितनी कमी हुई।

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : केवल विद्युत् संकट के कारण ही औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि का ठीक-ठीक आंकना बड़ा कठिन है क्योंकि अनेक बाधाओं यथा आयातित तथा देशीय कच्चे माल की कमी, पर्याप्त ईंधन तेल का न मिलना, वित्त का अभाव, मांग में हुई गिरावट, श्रमिक विवादों आदि के कारण भी उत्पादन में हानियां हुई हैं।

राज्यों में शिकायत सैल

2185. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों में सैल बनाये हैं जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के तथ्य क्या है; और

(ग) क्या आपात स्थिति में किये गये अन्याय के विषय में भी जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) राज्यों में लोक शिकायतों को दूर करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। लोक शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक सरकार ने अपनी-अपनी प्रणाली तैयार की हैं और इस प्रयोजन के लिए ऐसे संस्थागत प्रबन्ध किए हैं जो आवश्यक तथा उचित समझे गए हैं।

(ग) शाह जांच आयोग के अलावा, जिसके सामने ऐसी शिकायतें रखी जा सकती हैं जो इसको सौंपे गए विषयों के अन्तर्गत आने वाले किन्हीं मामलों से संबंधित हों, आपातस्थिति के दौरान किए गए किसी अन्याय के बारे में शिकायतों पर गौर करने के लिए उस राज्य का सामान्य शासनतन्त्र भी उपलब्ध होगा।

साहा इन्स्टीच्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स कलकत्ता के कार्यों की जांच

2186. **श्री चित्त बसु** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहा इन्स्टीच्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता के कार्यों की जांच करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साहा इन्स्टीच्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स कलकत्ता में अनुसंधान कार्य

2187. **श्री चित्त बसु** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साहा इन्स्टीच्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता में अनुसंधान कार्यों में कोई बाधाएं पड़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साहा इंस्टीच्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स कलकत्ता के कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना

2188. **श्री चित्त बसु** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहा इंस्टीच्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता के कुछ कर्मचारियों को प्रबंधकों द्वारा हाल ही में निलम्बित किया गया है और सेवा से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अनेक कर्मचारियों का कुशलता-रोध (ई० बी०) रोक लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चार कर्मचारियों को दक्षता रोध पर रोक लिया गया है।

(घ) उपर्युक्त चार कर्मचारियों को दक्षता रोध पर उनकी असंतोषजनक सेवा और आचरण के कारण रोक लिया गया है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम

2189. **श्री चित्त बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को हाल में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बंद होने से कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं, इसको बन्द करने के क्या कारण है;

(ग) इसकी पुनः खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) इसके कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, और क्या उनको अब तक कोई राहत देने की व्यवस्था की गई है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां।

(ख) इस निर्णय से 1127 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। निगम को मुख्यतः संसदीय लोक उपक्रम समिति की सिफारिश पर बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे लगातार भारी घाटा हो रहा था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सभी राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अनुरोध किया गया है कि वे कम्पनी के कर्मचारियों को यथासंभव अपने यहां खपायें इन उपक्रमों तथा उद्यमों से विभिन्न स्तरों पर निजी सम्पर्क भी कायम किये गये। परिणामस्वरूप, 240 कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार दिलाये गये हैं। इसके अतिरिक्त पुनर्वास के रूप में 19 कर्मचारियों को रियायती दरों पर गाड़ियां दी गई हैं। कर्मचारियों को उनकी सेवामुक्ति के समय मुआवजा और अन्य कानूनी देय भी दिये गये हैं।

बड़े बन्दरगाहों में कार्य समितियां

2190. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े बन्दरगाहों में कार्य समितियां नियुक्त करने का वर्तमान तरीका क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम में कार्य समिति का चुनाव करने की जो अनिवार्य व्यवस्था है, उसका पत्तन न्यास अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पिछली सरकार के इस गैर कानूनी तरीके को समाप्त करने का है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) बंबई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम तथा पारादीप के बड़े पत्तनों में कार्य समितियों का गठन करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिए गये थे। मार्मुगांव, नवमंगलौर तथा नव तूतीकोरिन के मुख्य पत्तनों के लिए कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किए गये हैं।

कोचीन और मद्रास के मुख्य पत्तनों में कार्य समितियां कार्य कर रही हैं। मद्रास में कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है। कोचीन में, संघों का बाहुल्य अन्तर्संघीय तथा संघों की आपसी फूट के कारण कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव करना संभव नहीं हो सकता है। कांडला में 1960–1971 के दौरान कार्य समिति कार्य कर रही थी। कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन चुनावों द्वारा किया गया था। फरवरी 1971 के पश्चात समिति के चुने हुए प्रतिनिधियों के त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप, कार्यसमितियां कार्य नहीं कर सकीं।

बम्बई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम तथा पारादीप में, सघों के कड़े विरोध तथा कर्मकार संघों के असहयोग के कारण कार्य समितियों का गठन नहीं किया जा सका।

(ग) इस मामले में सरकार को किसी गैर कानूनी कार्य का कोई ज्ञान नहीं है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी पुनरीक्षण समिति

2191. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए मजूरी पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है, और

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों के बारे में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के चार संघों की क्या राय है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। परामर्श किया जा रहा है।

(ख) पत्तन तथा गोदी कर्मचारी परिसंघों ने समिति की रिपोर्ट में कुछ अन्य सुधारों की मांग के अतिरिक्त समिति द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन की मांग की है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि समिति की रिपोर्ट पर सरकार को एक तरफा निर्णय नहीं करना चाहिए परन्तु यह कि निर्णय बातचीत करके समझौते के आधार पर किया जाए।

दीमापुर, नागालैण्ड में हिंसक घटनाएं

2192. **श्री निहार लास्कर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दीमापुर में हिंसक घटनाओं के कारणों की, जिनके फलस्वरूप मई, 1977 के अन्तिम सप्ताह में वहां सामान्य जीवन गम्भीर रूप से अस्त व्यस्त हो गया था, जांच करने के लिये कोई जांच आयोग नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो नागालैण्ड में सामान्य जीवन के अस्त व्यस्त होने के क्या मुख्य कारण थे ;

(ग) जांच की घोषणा कब तक की जायेगी ; और

(घ) इस आयोग के निदेश पद क्या होंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) नागालैण्ड सरकार ने मई, 1977 के अन्तिम सप्ताह में दीमापुर में हुई हिंसक घटनाओं की जांच करने के लिये एक जांच आयोग, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ऊमा शंकर श्रीवास्तव हैं, नियुक्त किया है ।

(ग) जांच आयोग नियुक्त करने की अधिसूचना 22 जून, 1977 को जारी की गई थी।

(घ) इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

आयोग 27 से 29 मई, 1977 तक दीमापुर में हुई घटनाओं तथा उपद्रवों की, जिसमें आगजनी, लूट आक्रमण करने तथा अन्य गैर कानूनी कार्य हैं जांच करेगा तथा विशेष कर :

(क) उल्लिखित उपद्रवों के कारणों तथा विषय ;

(ख) जान और माल हानि (यदि कोई हो) ;

(ग) उल्लिखित उपद्रवों को रोकने तथा उनसे निपटने के लिये किये गये प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता;

(घ) उपद्रव करने के लिये किसी वर्ग तथा व्यक्तियों के वर्गों द्वारा की गई तैयारियां जिसमें विभिन्न गैर कानूनी कार्य हैं;

(ङ) (i) ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की संभावना के बारे में पूर्वाभास तथा पूर्व सूचना ;

(ii) कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के तथा जान माल की सुरक्षा के लिये किये गये एतियाती उपाय ;

(च) कोई अन्य परिस्थितियां जो आयोग के जांच करने के प्रयोजनों से संबंधित प्रतीत होती हों ;

(छ) उन उपायों की सिफारिश करना जो ऐसे उपद्रवों की पुनरावृत्ति को रोकने और उनसे निपटने के लिये अपनाये जा सकें।

न्यायाधीशों को जांच आयोगों का अध्यक्ष नियुक्त करना

2193. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जून, 1977 तक काफी बड़ी संख्या में जांच आयोगों की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को इनका अध्यक्ष बनाया गया है ; और

(ग) प्रत्येक आयोग पर अनुमानत: कितना व्यय आयेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) नई सरकार द्वारा पदभार संभालने की तारीख से 22 जून, 1977 तक केन्द्र में छः आयोग नियुक्त किये जा चुके हैं।

(ख) इन आयोगों की अध्यक्षता करने के लिये उच्चतम न्यायालय के तीन सेवा निवृत्त न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के दो सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री जगमोहन रेड्डी दो आयोगों के साथ-साथ अध्यक्ष होंगे।

(ग) चूंकि पूरा स्टाफ अभी नियुक्त नहीं किया गया है, अत: अनुमानत: व्यय बताना संभव नहीं है ।

पुलिस बल के कार्यकरण में सुधार

2194. **श्री निहार लास्कर :**

श्री रामानन्द तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस बल के कार्यकरण में सुधार करने के लिये एक केन्द्रीय पुलिस आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग की रूप रेखा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

2195. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और ग्रामीण उद्योगों के संबंध में, जिससे रोजगार के अत्याधिक अवसर उत्पन्न हों और 1987 तक निर्धनता दूर हो, उद्योगों में आमूल परिवर्तन करने सम्बन्धी संयुक्त नीति पत्र मंत्रालय ने अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों से सलाह करके तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और उसकी क्रियान्विती के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(उद्योग मंत्री श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख) नई सरकार की औद्योगिक नीति की प्रमुख मूल बातें औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम सम्भव रोजगार के अवसर पैदा करके हमारे देश की विद्यमान परिस्थितियों में इष्टतम सामाजिक आर्थिक लाभ दिलाने तथा समुपयुक्त प्राद्योगिकी के उपयोग पर आधारित कुटीर और लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाकर आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से सम्बन्धित हैं। नई औद्योगिक नीति के संचालन विवरण तैयार किये जा रहे हैं। लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर प्रलेख (पेपर) तैयार कर लिए गए हैं तथा इस मंत्रालय में विचार-विमर्श की विभिन्न स्थितियों में है।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

2197. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर नए सिरे से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व सरकार द्वारा पहले अस्वीकृत की गई कितनी सिफारिशों पर अब विचार किया जा रहा है;

(ग) पुनः विचार की जाने वाली सिफारिशें कब तक स्वीकार कर ली जायेंगी; और

(घ) क्या आयोग की सब सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार कर ली जायेंगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख), (ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रांस और यू० के० द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

2198. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और यू० के० ने पाकिस्तान में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए उनकी सहायता करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या हमारी सुरक्षा पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार ने देश में परमाणु हथियार बनाने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या ऐसा करने से भारत की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और पाकिस्तान से किसी खतरे का मुकाबला करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) समाचारों के अनुसार, फ्रांस और पाकिस्तान ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिनके अन्तर्गत फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को न्यूक्लीयर रिप्रोसेसिंग प्लांट बेचा जाएगा ।

ऐसा कोई समाचार नहीं है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान में न्यूक्लीयर प्लांट स्थापित करने में पाकिस्तान की सहायता करने का निर्णय किया है।

(ख) यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान का इरादा अपने अणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का है अथवा अन्यथा।

(ग) और (घ) सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि कोई अणु-अस्त्र न बनाए जाए । इस समय हमें कोई अणु खतरा दिखाई नहीं देता। सरकार अभी भी यह विश्वास रखती है कि हमारे देश की रक्षा पर्याप्त सैनिक तैयारी से सुनिश्चित की जा सकती है जो अणु-अस्त्रों पर आधारित नहीं है । हमारी रक्षा योजना में उन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखा जा रहा है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनियमितताएं तथा विषमताएं

2199. **श्री आर० पी० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में भारी अनियमितताओं और विषमताओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनियमितताओं के बारे में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एम० आई० आर०) की अनियमितताओं और विषमताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन पर कार्यवाही की जा रही है और जहां कहीं आवश्यकता होगी उपचारात्मक कदम भी उठाये जायेंगे ।

महाराष्ट्र में विद्युत् परियोजनाएं

2200. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पांच नई विद्युत् परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजे हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में विद्युत् परियोजनाओं के लिए कोई नए प्रस्ताव निकट भूतकाल में केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुए ।

महाराष्ट्र में कार्यान्वित किए जाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं 1976 में स्वीकृत की गई हैं :—

(i) चन्द्रपुर ताप विद्युत् केंद्र-चरण-एक (2×210 मेगावाट)

(ii) पारली ताप विद्युत् केंद्र (1×210 मेगावाट)

(iii) नासिक ताप विद्युत् केंद्र (2×210 मेगावाट)

कुछ अन्य ताप विद्युत् और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र के प्राधिकारी परियोजना रिपोर्टें/संशोधित लागत अनुमान तैयार कर रहे हैं ताकि केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण में इनकी आगे जांच की जा सके ।

सैनिक स्कूलों के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति

2201. **श्री वयालार रवि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों के कार्यों की जांच करने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा । देखिए संख्या एल० टी० 557/77]

कर्नाटक के दो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध ज्ञापन

2202. **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के दो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध ज्ञापन दिए गए थे; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) कर्नाटक के दो भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के ज्ञापन भूतपूर्व सरकार को 1964 तथा 1970 में प्राप्त हुए थे ।

(ख) मामले को जांच करने के बाद, तत्कालीन केंद्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि इन ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई किए जाने का कोई आधार नहीं है ।

आपात स्थिति में गांधी स्मारक निधि द्वारा किया गया कार्य

2203. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आपात स्थिति के दौरान गांधी स्मारक निधि की पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश शाखा द्वारा किये गये कार्यों का पता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार इस शाखा को केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी;

(घ) गांधी स्मारक निधि, विशेषकर इन राज्यों में इसकी शाखा पर केंद्रीय सरकार का क्या नियंत्रण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस शाखा का विभाजन करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये पृथक-पृथक शाखा बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (च) तक पंजाब, हरियाणा तथा हिमचाल प्रदेश सरकारों तथा भारत सरकार के संबंधित विभागों से विस्तृत सूचना मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

पठानकोट मण्डी राज्य राजपथ

2204. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-मण्डी राज्य राजपथ पर सैनिक, आंतरिक तथा पर्यटन यातायात सहित भारी यातायात है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस राज्य राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ बनाने का विचार कर रही है जिससे बढ़ते हुए यातायात तथा चीनी सीमा के साथ उपमार्गों की दूसरी रक्षा लाइन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पठानकोट और होल्टा (पालमपुर के निकट) के बीच यातायात की औसतन गहनता प्रतिदिन 1200 से 2000 तक यात्री कारें हैं । यह यातायात पहाड़ी क्षेत्र में इकहरी गली की सड़क के लिये कुछ भारी समझी गई है । होल्टा और मंडी के बीच यातायात की गहनता प्रतिदिन 1000 यात्री कारों से कम है और इसे पहाड़ी क्षेत्र में मध्यम यातायात से कम समझा जा सकता है।

(ख) और (ग) इस सड़क को पांचवीं योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में वृद्धि करने के लिये हिमाचल सरकार ने अपने प्रस्तावों में शामिल कर लिया था । परन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करना भारत सरकार के लिये संभव नहीं हुआ ।

परन्तु हिमाचल प्रदेश के सा० नि० विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण केंद्रीय सरकार की लागत पर इस सड़क का सीमा पथ विकास बोर्ड द्वारा विकास किया जा रहा है और यह पहले ही मौजूदा श्रेणी अर्थात् इकहरी गली के स्तर की सड़क है । 11 कमजोर/क्षतिग्रस्त पुलों का बदलन निर्माण करने तथा मोड़ों को चौड़ा करने के कुछ कार्य चालू हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों की मांगें

2205. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों ने हाल में अपनी मांगों के समर्थन में प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मांगें की तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) केन्द्रीय सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के फेडरेशन के प्रतिनिधि पहली जून, 1977 को प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्हें अनेक मांगों का एक ज्ञापन पेश किया था।

(ग) मांगें संक्षेप में नीचे दी गई हैं :—

(1) मूल्य वृद्धि रोकना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना ।

(2) अनिवार्य जमा योजना के अधीन रोकी गई धन राशि का तुरंत नकद भुगतान किया जाना ।

(3) महंगाई भत्ते की पांचवीं किस्त का लौटाया जाना ।

(4) उपभोक्ता मूल्य सूचक की दोषपूर्ण रचना को दुरुस्त किया जाना ।

(5) वैध ट्रेड यूनियनों के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए दण्डित किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बहाली ।

(6) डैस्क अधिकारी प्रणाली को समाप्त किया जाना ।

(7) अवर श्रेणी लिपिकों के 25 प्रतिशत पदों का ग्रेड बढ़ाकर उच्च श्रेणी लिपिकों के स्तर तक लाया जाना ।

(8) सभी श्रेणी II पदों में सीधी भर्ती को बंद किया जाना ।

(9) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर-सेवा संगठनों में सहायकों के अनुपात में वृद्धि किया जाना ।

(10) चपरासियों की भर्ती पर से रोक हटाना ।

(11) दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाना ।

(12) शैक्षिक अर्हता प्राप्त श्रेणी IV कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर अवर श्रेणी लिपिकों के पद पर पदोन्नति ।

(13) चपरासी के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त की गई विधवाओं के लिए शैक्षिक अर्हताओं में छूट ।

(14) महंगाई भत्ते का वेतन में शामिल किया जाना ।

(15) छुट्टी का नकदीकरण ।

(16) संघ लोक सेवा आयोग/सशस्त्र सेना मुख्यालय में कम्प्यूटरों के प्रयोग के सम्बन्ध में ।

(17) दिल्ली में 50,000 रिहायशी मकानों का निर्माण ।

(18) वेतनमान की अंतिम सीमा पर वेतन वृद्धि ।

फैडरेशन के प्रतिनिधियों की प्रधान मंत्री के साथ एक और बैठक 30 जून, 1977 को निश्चित हुई है । अतः विभिन्न मांगों पर सरकार की प्रक्रिया का इस स्टेज पर प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देना

2206 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "आर्मी आफर्स जोब्स फार जवांस सन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या रक्षा सेवाओं की ही भांति सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी के कम से कम एक आश्रित को रोजगार देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

हरियाणा और दिल्ली में सीमेंट की कमी

2207. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री के० लकप्पा } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की समाप्ति के बाद हरियाणा और दिल्ली में सीमेंट की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन राज्यों में सीमेंट की मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1977 से दिल्ली तथा हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों से सीमेंट की अपर्याप्त उपलब्धि की रिपोर्टें मिल रही हैं । प्रमुख सीमेंट उत्पादनकारी राज्यों यथा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में विद्युत कटौती लागू किए जाने से सीमेंट के उत्पादन में कमी हुई है । साथ ही, सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों से सीमेंट के लिए एकाएक मांग भी बढ़ी है ;

(ग) जहां विद्युत कटौतियां हुई हैं उन राज्य सरकारों से अनुरोध करके तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तथा राजस्थान स्थित सीमेंट कारखानों को अधिक विद्युत शक्ति दिलाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं । केरल की राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वे तमिलनाडु राज्य को तमिलनाडु स्थित सीमेंट-कारखानों को सप्लाई करने हेतु अतिरिक्त विद्युत शक्ति उपलब्ध करायें । महाराष्ट्र की राज्य सरकर से आग्रह किया गया है कि वह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश स्थित सीमेंट कारखानों को विद्युत शक्ति का संभरण करें । राज्य व्यापार निगम जिसके माध्यम से कि सीमेंट

का निर्यात प्रणालीबद्ध किया जाता है को भी परामर्श दिया गया है कि ठेके के दायित्वों के अनुसार यथासंभव न्यूनतम मात्रा में सीमेंट का निर्यात सीमित करें। विद्युत प्रजनन की स्थिति में तथा विद्युत्त कटौतियों द्वारा प्रभावित राज्यों में सप्लाई में सुधार होने से सीमेंट का उत्पादन बढ़ जायेगा।

खरीदे गये माल का मूल्य

2208. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 25 जून, 1975 से 25 मार्च, 1977 तक की अवधि में खरीदे गये माल का मूल्य और ब्यौरा क्या है जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के पुत्र/पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों का कोई हित निहित था; और

(ख) तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना से यह दिखाई पड़ता है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी के पुत्र/पुत्रों तथा परिवार के अन्य सदस्यों का निम्नांकित फर्मों में हित निहित था :—

(1) मैसर्स मारुति टैक्नीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड।

(2) मैसर्स मारुति हैवी व्हीकल (प्राइवेट) लिमिटेड।

(3) मैसर्स मारुति लिमिटेड।

25-6-1975 से 25-3-1977 के बीच मैसर्स मारुति टैकनीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स मारुति हैवी व्हीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को कोई आर्डर नहीं दिए गये। तथापि, इस अवधि के दौरान, मैसर्स मारति लिमिटेड को दो आर्डर दिए गए थे—एक हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा 8,77,771.50 रु० के औजारों के लिए और दूसरा रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा 1,36,000 रुपए के गोला बारूद घटक के लिए। इस अवधि के दौरान उपर्युक्त फर्मों का कोई अन्य आर्डर दिए जाने की रक्षा मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

आपात स्थिति के दौरान अधिकारियों को सौंपे गये 'कवर जाब्स'

2209. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान पुलिस, आसूचना तथा सम्बद्ध सेवाओं के अधिकारियों को देश के हित की बजाय श्रीमति इन्दिरा गांधी, उनकी मण्डली और उनके दल के हित में विभिन्न सरकारी विभागों, दूतावासों और संगठनों आदि में निगरानी कार्यों (कवर जाब्स) पर लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें क्या कार्य सौंपे गये थे; और

(घ) क्या उन्हें उनके मूल संगठनों में वापस भेज दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) हमारे रिकार्ड में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख), (ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्र सूचना कार्यालय और सैंसर बोर्ड में कर्मचारी

2210. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्र सूचना कार्यालय और प्रेस सैंसर संगठन कार्यालय में 25 जून, 1975 से 25 मार्च, 1977 के बीच कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे;

(ख) उनकी यात्रा पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) मनोरंजन और कानून खर्च के रूप में कुल कितना व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : *(क) (1) पत्र सूचना कार्यालय—983
सैंसर संगठन—110

(ख) (1) पत्र सूचना कार्यालय	3,22,452.05 रुपए
(2) सैंसर संगठन	1,48,826.15रुपए
योग	4,71,278.20 रुपए

(ग) (1) **मनोरंजन व्यय :**

(क) पत्र सूचना कार्यालय	80,279.55 रुपए
(ख) सैंसर संगठन	11,477.00 रुपए
योग	91,756.55 रुपए

(2) **कानूनी खर्चे :**

(क) पत्र सूचना कार्यालय	शून्य
(ख) सैंसर संगठन	7,964.66 रुपए
योग	7,964.66 रुपए

*ये आंकड़े जनवरी, 1977 में कर्मचारियों की संख्या सूचित करते हैं जो उक्त अवधि के दौरान अधिकतम थी।

PROPOSAL TO CONSTITUTE A VIGILANCE COMMITTEE

2211. SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to constitute a vigilance committee with the direct cooperation of public which will enable eradication of evils such as bribery right from the lower level; and

(b) if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कोचीन में बहुत बड़े तेलवाही जहाजों के लिए टर्मिनल

2212. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे**
श्री कृष्ण चन्द हाल्दर
श्री के० ए० राजन } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में बहुत बड़े तलवाही जहाजों के लिये टर्मिनल बनाने के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोचीन पत्तन के लिये गत दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में नियत धन राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोचीन में सुपर टैंकर तल टर्मिनल परियोजना की प्रगति

कोचीन के तेल शोधक कारखानों में बम्बई हाई के कच्चे तेल के साफ करने की शक्यता पर निर्भर करती है। यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) कोचीन पत्तन में विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये चौथी और पांचवीं योजना में लगभग 30.5 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के मुकाबले 31-3-77 तक किया गया व्यय लगभग 13.05 करोड़ रु० है । व्यय में लगभग आधा घाटा खंड (क) के उत्तर में वर्णित सुपर टैंकर तल टर्मिनल के कारण है। शेष घाटे का काफी भाग पहले से पूरे किये गये उन कार्यों अथवा निर्माणाधीन योजनाओं के लिये आंशिक भुगतान के कारण हुआ, जिन पर और भुगतान 5वीं योजना की शेष अवधि के दौरान देय हो जाएगे ।

आपात स्थिति के दौरान कोचीन पत्तन में अनिवाय सेवानिवृत्तियां

2213. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान कोचीन पत्तन में अनिवार्य सेवा निवृति तथा अन्य प्रकार के परेशान किये जाने के बहुत से मामले हुए थे;

(ख) क्या सरकार की अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किये गये कर्मचारियों की बहाली और परेशान किये गये लोगों के मामलों पर पुनः विचार करने के लिये पत्तन श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक सामूहिक याचिका प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । पत्तन द्वारा अपनाए गए मूल नियम 56 (जे) जिसमें यह व्यवस्था है कि 50/55 वर्ष की आयु होने पर समीक्षा की जाए और यदि सक्षम अधिकारी की राय हो कि ऐसी करना लोकहित में है तो किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकता है के अनुसार आपात काल में केवल तीन व्यक्तियों का समय पूर्व सेवा निवृत्त किया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) समय पूर्व सेवा निवृत्त किये गये तीन व्यक्तियों के मामलों पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

सरकारी सूचनायें

2214. **श्री जी० डी० चन्द्रगौडा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में अपने सभी मंत्रालयों को यह आदेश दिये हैं कि जनता को दी जाने वाली सूचनाओं की भाषा विनम्र हो तथा उसमें आदेशात्मक शब्द अथवा वाक्यांश न हों; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-558/77]

कुद्रेमुख आयरन और परियोजना (मंगलौर पत्तन) की वित्तीय सहायता

2215. **श्री डी० बी चन्द्रगौडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख आयरन और परियोजना (मंगलौर पत्तन) को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह परियोजना संभवतः कब तक पूरी हो जाएगी;

(ग) कुद्रेमुख आयरन ओर द्वारा ईरान को निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये मंगलौर पत्तन के दूसरे विकास चरण संबंधी कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस भूमि का ब्यौरा क्या है जो पत्तन के पाट क्षेत्र के भीतर कुद्रेमुख परियोजना अधिकारियों द्वारा अपने छताव स्तरों और गोदामों की स्थापना के लिये नियत की गई थी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(क) से (घ) : कुद्रेमुख लौह अयस्क के निर्यात के लिये मंगलौर में पत्तन सुविधाओं के मार्च, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है और नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार लगभग 35.00 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है :

(रुपए लाखों में)

(क) निकर्षण . .	2160.00
(ख) पनकट दिवारों का विस्तार	275.00
(ग) अयस्क घाट का निर्माण	480.00
(घ) समबद्ध कार्य, जैसे—सड़कें, भवन निर्माण जल एवं विद्युत आपूर्ति	150.00
(ङ) बन्दरगाह जलयान	185.00
(च) नौदिकचालन साधन	40.00
(छ) स्थापना प्रभार . . .	100.00
(ज) प्रारंभिक, अन्वेषण, औजार तथा संयंत्र इत्यादि	60.00
(झ) आकस्मिक व्यय तथा इंजीनियरी	50.00
कुल	3500.00

लौह अयस्क घाट के पश्च क्षेत्र में 53 एकड़ भूमि कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लि० के लिये अपनी फिल्टर बैंड्स तथा स्टाकफाइल स्थापित करने के लिये निर्धारित की गई है ।

कम्प्यूटर लगाना

2216. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1973 के अन्त तक देश में कुल कितने कम्प्यूटर लगाये गये;

(ख) इन कुल कम्प्यूटरों से आई० बी० एम०, यू० एस० तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य कम्पनियों ने कितने-कितने कम्प्यूटरों लगाये; और

(ग) क्या एक अन्तर्मंत्रालयी ग्रुप ने भारत में आई० बी० एम० की गतिविधियों की जांच की है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में मार्च, 1973 के अन्त तक लगाए गए कम्प्यूटरों की संख्या 200 थी ।

(ख) इनमें से अमेरिका की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कम्पनी ने 136, ब्रिटेन की आई० सी० एल० कम्पनी ने 19, सोवियत रूस द्वारा 2, और अन्य विदेशी कम्पनियों द्वारा 23 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड ने 18 कम्प्यूटर लगाए हैं । टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान तथा जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शेष दो कम्प्यूटर प्रयोगात्मक स्वरूप के थे ।

(ग) अन्तर्मंत्रालयी कार्यकारी दल ने भारत में कम्प्यूटर आंकड़ा संसाधन उपस्कर (डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट) कार्य के लिये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा ली जा रही कीमतों और दरों की जांच की है और मार्च, 1977 में अपने निष्कर्ष और सिफारिशों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है । सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

TRANSPORT IN UTTAR PRADESH

†2217. SHRI HARGOVIND VARMA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme for transport facilities in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon and the time by which it would be implemented ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The Uttar Pradesh Government have incurred in the Annual Plan of the State Road Transport Corporation for the year 1977-78 the extension of State transport services to cover an additional 200 kilometres of pucca roads in the State and the purchase of 347 buses for replacements and renovation and further renovation of 1200 old buses to meet the requirements of expansion of services on new routes and growth of traffic on the existing routes operated by the Corporation.

(b) The approved capital expenditure on the scheme is Rs. 750 lakhs and the Plan is expected to be implemented by 31-3-78.

लघु क्षेत्र के लिये पृथक मंत्रालय

2218. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र के लिये पृथक मंत्रालय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टायरों का मूल्य

2219. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माता कम्पनियों ने टायरों के मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हाल ही के वर्ष में इन फर्मों ने भारी मुनाफा कमाया है; और

(घ) यदि हां, तो मुख्य-मुख्य फर्मों ने विगत तीन वर्षों के दौरान कितना मुनाफा कमाया और मूल्य-वृद्धि के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

(ग) और (घ) : टायर उत्पादक कम्पनियों द्वारा वर्ष 1973—74 से 1975—76 के तीन वर्षों की अवधि में अर्जित लाभ/हानि को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख रु० में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	लेखा वर्ष	लाभ (कराधान के बाद)
1	2	3	4
1	डनलप इंडिया लिमिटेड	1973—74	282.38
		1974—75	331.11
		1975—76	441.83

1	2	3	4
2	फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्रा० लि०	1973—74	176.35
		1974—75	138.80
		1975—76	106.09
3	गुडईयर इन्डिया लि०	1973—74	17.07
		1974—75	140.71
		1975—76	152.62
4	सियट टायर्स आफ इंडिया लि०	1973—74	89.63
		1974—75	119.08
		1975—76	103.45
5	मद्रास रबर फैक्टरी लि०	1973—74	155.77
		1974—75	202.75
		1975—76	124.67
6	प्राइमर टायर्स लि०	1973—74	80.26
		1974—75	108.52
		1975—76	11.79
7	मोदी रबर लि०	£1973—74	@
		££1974—75	@
		1975—76	(—) 340·05
8	इनचैक टायर्स लि०	1973—74	36.38
		1974—75	(—) 39.05
		1975—76	(—) 356.47

टिप्पण :— £30-4-1974 को समाप्त वर्ष
££30-10-1974 को समाप्त वर्ष
@उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

समाचार पत्रों के स्वामित्व को विकेन्द्रीकरण तथा उन्हें औद्योगिक गृहों से अलग करना

2220. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण तथा उन्हें औद्योगिक गृहों से अलग करने के विचार को त्याग दिया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) समाचारपत्रों के स्वामीत्व की पुनः संरचना के प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है ।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

2221. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड अपने वित्तीय असंतुलन, तकनीकी अपर्याप्तता और प्रशासनिक अनिश्चितताओं के कारण स्थायी रूप से बन्द होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ;

(ग) इसकी स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) इसका कारखाने के बन्द करने के निर्णय पर क्या प्रभाव है?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (घ) जी, नहीं । यह सच नहीं है कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड स्थायी रूप से बन्द होने वाला है । उत्पादन में होने वाली रुकावटों को दूर करने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस बारे में प्रगति की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिसे आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके और उपक्रम के उत्पादन-स्तर को सुधारने के लिए कार्रवाई की जा सके ।

भिवानी की एक हरिजन लड़की की हत्या की जांच

2222. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवानी की कोशल्या नामक एक हरिजन लड़की की हत्या के मामले की जांच हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए, परन्तु सभी दृष्टिकोणों से मामले पर सोचने पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने का कार्य न सौंपने का निर्णय किया गया है । हरियाणा सरकार को, यदि आवश्यक हो, एक विशेष जांच दल गठित करके, मामले की पूर्ण तथा उपयुक्त जांच करने की सलाह दी जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

EXPENDITURE OF CEMENT CORPORATION OF INDIA

2223. SHRI NAWAB SINGH CHOUHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the aims of establishment of the Cement Corporation of India and the profit accrued to Government therefrom during the last three years;

(b) the expenditure incurred on monthly salaries of its Chairman and Directors; and

(c) whether Government propose to curtail it ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) The Cement Corporation of India Ltd., was incorporated in 1965 with the main objective—to survey, prospect, prove cement grade lime-stone and to set up its own cement plants and develop expertise in cement industry.

The profit earned during the last three financial years was :

1974-75	(—)	Rs. 17.29 lakhs (loss)
1975-76		Rs. 23.49 lakhs (profit)
1976-77		Rs. 4.5 lakhs (Profits)

(This is subject to audit and finalisation of accounts).

(b) The average expenditure incurred on monthly salaries of Chairman and 4 other Directors during 1976-77 was Rs. 15,817.00.

(c) No, Sir.

बीस सूत्री और पांच सुत्री कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वृत चित्रों का निर्माण

2224. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सरकार के बीस सूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वृत्त चित्रों के निर्माण के बारे में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी फिल्में बनाई गई तथा उस पर कुल व्यय कितना आया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इन फिल्मों की ऐसी किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया है । तथापि, जन सम्पर्क माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी जांच समिति ने इस विषय से सम्बन्धित कुछ फिल्मों के निर्माण के कतिपय पहलुओं की जांच की है ।

(ख) भूतपूर्व सरकार के बीस सूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रमों से सम्बधित विषयों पर 31 फिल्में बनाई गई थी और इन फिल्मों के निर्माण पर, डबिंग और प्रिन्टों की लागत सहित, कुल 69,38,953.91 रुपये खर्च हुए ।

SHIFTING OF HEADQUARTERS OF COAL AUTHORITY OF INDIA

2225. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of ENERGY be pleased to state.

(a) the reasons for having the headquarters of Coal Authority of India at Calcutta when more than sixty percent coal is produced in Bihar; and

(b) whether Government propose to shift the headquarters of Coal Authority of India to Dhanbad in the near future ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The headquarters of Coal India Limited have been located at Calcutta for the following reasons :—

(i) Calcutta is the commercial centre from which mining companies have operated for a long time—

(ii) Accessibility from the point of view of all the coal mines is maximum.

(iii) A large number of employees who were working in the head offices of the different coal mining concerns were based in Calcutta. Even though the Apex Office is located at Calcutta the principal operational headquarters, namely, the head offices of the subsidiary companies are located in the coal producing States, three out of five such headquarters are located in Bihar.

(b) There is no proposal to shift the headquarters of Coal India Limited to Dhanbad.

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड बड़ौदा

2226. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से, हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, बड़ौदा को अपने नियंत्रण में लेने के लिये कोई अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 12 मार्च, 1973 को हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा के प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिया था । मे० गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड अधिकृत नियंत्रक हैं ।

LEATHER INDUSTRY DEVELOPMENT AUTHORITY

2227. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Central Government have set up a Leather Industry Development Authority; and

(d) if so, the number of persons engaged in leather industry in Delhi region who have been supplied tanned leather ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) The Central Government have set up a Corporation under the name and style of "Bharat Leather Corporation Limited" with headquarters at Agra, with the object of promoting and developing the leather industry in the country.

(b) The Corporation is not engaged at present in the supply of tanned leather to persons engaged in the leather industry, nor has any request been received in this regard from any persons in the Delhi region.

OFFICERS OF SONG AND DRAMA DIVISION INVOLVED IN C.B.I. CASES

2228. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether some officers of Song and Drama Division are involved in C.B.I. cases; and

(b) if so, the number thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) Thirteen.

बिजली उत्पादन के लिए ब्रह्मपुत्र का जल

2229. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए ब्रह्मपुत्र के जल के उपयोग की सम्भावनाओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए कोई योजना बनाई है तथा योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने विद्युत् उत्पादन के लिए ब्रह्मपुत्र के जल का उपयोग किए जाने की संभाव्यताओं की जांच की थी। यह जांच समूचे देश के जल विद्युत् सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में की गई थी। ब्रह्मपुत्र बेसिन में, इस समय कुल 92 मैगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की तीन स्कीमें प्रचालनाधीन हैं तथा 230 मैगावाट नई क्षमता जोड़ने की चार और स्कीमें निर्माणाधीन हैं। कुछ अन्य स्थलों का अन्वेषण किया जा रहा है।

विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली को अपने नियंत्रण में लिया जाना

2230. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछली आपात स्थिति के दौरान विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया था, और

(ख) यदि हां, तो अपने नियंत्रण में लेने के क्या कारण थे और आपात स्थिति के दौरान इसका उपयोग कैसे किया गया ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) तारीख 29-8-1975 के आदेश द्वारा, दिल्ली प्रशासन ने लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अन्तर्गत सर्कुलर रोड़, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित इंडियन यूथ सेंटर के स्वामित्व में विश्व युवक केन्द्र नामक भवन अधिग्रहण किया था। भवन तारीख 29-11-1975 को दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंप दिया था जिन्होंने अपनी सहायक संस्था दिल्ली पर्यटन निगम के प्रयोजनों के लिए भी इसका उपयोग किया। भवन का होस्टल खण्ड भी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल स्टडीज़ एण्ड रिसर्च, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रायोजित संगठन था, को अपनी प्रशिक्षण कक्षाएं लगाने के लिए अगस्त, 1976 में दे दिया।

परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग हेतु परमाणु विस्फोट

2231. **श्री के० मालन्ना** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग हेतु परमाणु विस्फोट करने पर विचार कर रही है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): जी, नहीं।

गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाना

2232. **श्री वसन्त साठे :**
श्री के० सूर्यनारायण: } क्या गृह मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवा को राज्य का दर्जा देने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) इस अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक निर्णय किए जाने की आशा है ।

MEMORANDUM SUBMITTED BY M.Ps. FROM MADHYA PRADESH

2233. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a memorandum signed by 26 Members of Parliament from Madhya Pradesh submitted to him in May, 1977;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action taken thereon ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the said memorandum is laid on the Table of the House.

(c) The State Government have been requested to make enquiries in the matter.

[placed in Library. *See* L.T. Nos. 559/77]

फिल्म सेंसरशिप नियम

2234. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषा फिल्मों के प्रति सेंसरशिप बोर्ड के अनुचित रवैये के विरुद्ध शिकायतें मिलने पर समान फिल्म सेंसरशिप नियम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : **(क) और (ख)** जी, नहीं। चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंध, उनके अधीन बने नियम और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिनमें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्में स्वीकृत करने में बोर्ड का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत दिए हुए हैं, फिल्म की भाषा का विचार किए बिना, समूचे भारत में समान रूप से लागू होते हैं ?

क्योंकि फिल्मों का प्रमाणीकरण एक व्यक्तिनिष्ठ मामला है, अतः स्तरों में कुछ अन्तर होना अपरिहार्य है । बोर्ड यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहा है कि सेंसरशिप यथा संभव एक समान हो।

पिछड़े वर्गों के लिए सलाहकार बोर्ड

2235. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों से यह अनुरोध करने का है कि पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के बारे में किए गए निर्णयों की क्रियाविदि में सरकार की सहायता के लिए पिछड़े वर्गों के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी सरकार ने एक नागरिक अधिकार आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े वर्गों के संरक्षण की देखभाल करेगा।

यमुना पर रेल सड़क पुल के लिए अभ्यावेदन

2236. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुड़गांव जिले (हरियाणा) और बुलन्दशहर जिले (उत्तर प्रदेश) को जोड़ने के लिये जमुना नदी पर एक सड़क रेल पुल के निर्माण के लिये हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदन पर बिचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को अन्तिम रूप देने में बाधक होने वाले कारण क्या हैं ;

(ग) क्या स्थल स्थलों का चयन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) संभवतः सदस्य महोदय हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर पलवल के समीप यमुना नदी पर पुल के निर्माण का उल्लेख कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सर्वेक्षण किया है और स्थान का निर्धारण भी कर लिया है। राज्य सरकार की वित्तीय सहायता करने के लिये चौथी योजना में इस परियोजना के लिये हरियाणा सरकार उनके द्वारा भेजे गये लागत के आंकड़ों के आधार पर 1.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई। पुल की लागत अब बढ़कर लगभग 1.79 करोड़ रु० हो गई है। हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय सड़क निधि में अपने नियतनों से 79·00 लाख रु० की अधिकता को पूरा करने की व्यवहार्यता पर विचार करें। राज्य सरकार के विचारों की प्रतीक्षा है।

बल्लभगढ़ में टेली-साउंड एकक का पुनः चालू होना

2237. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 25 जून, 1977 से बन्द पड़े टेलि-साउंड (भारत) लिमिटेड, बल्लभगढ़, नामक एकक को पुनः चालू करने के लिये टेलिफंकन वर्कर्स (मजदूर) यूनियन रजिस्टर्ड, बल्लभगढ़ (हरियाणा) की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस एकक को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एकक को पुनः चालू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उपक्रम के पोषक वित्तीय संस्थानों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। यह निर्णय लिया गया है कि एकक की तकनीकी-आर्थिक जीव्यता का निश्चय करने के लिए एक उपयुक्त अभिकरण के द्वारा उपक्रम को पुनः संजीव बनाने के लिए उसका वित्तीय तथा तकनीकी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए।

ALLEGED MURDER OF LT. COL. T. S. ANAND

2238. SHRI K. LAKKAPPA
SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Lt. Col. T. S. Anand was murdered recently near Delhi;

(b) the reasons for which Government have failed to apprehend the culprits responsible for the murder of Lt. Col. Anand;

(c) whether the news that a hand written slip was recovered from Lt. Col. Anand's pocket was reported after three days of his death; and

(d) the reasons why the police officers did not disclose this on the same day ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a), (b), (c) and (d) According to the Delhi Police, information was received by the Nangloi Police Station on 4th June, 77, at about 7.30 p.m., that the dead body of Lt. Col. T. S. Anand was lying in a field in village Punjab Khod. A police party visited the spot and found the dead body with two wounds in the region of the temple and skull. A case u/s 302 IPC was registered. The hand-written slip was recovered from the pocket of the kurta of the deceased during the post-mortem examination on 5th June, 1977. There was no question of disclosing this fact earlier. According to the post-mortem report, the death had occurred on the night of 2nd June, 1977. Investigation is in progress. C.B.I. have been put in charge of investigation.

RELEASE OF ANAND MARGIS

2239. DR. BAPU KAIDATE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to "Anand Marg" still under detention;

(b) whether an international delegation of the Anand Margis has demanded the release of their leaders; and

(c) if so, the decision taken by Government ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) No person belonging to the Anand Marg is under detention at present.

(b) & (c) An international delegation of followers of Anand Marg have submitted a memorandum demanding to the Prime Minister *inter-alia* the release of Shri P. R. Sarkar. Shri Sarkar has filed an appeal in the Patna High Court against his conviction and the matter is subjudice.

भूतपूर्व हैदराबाद रियासत से कर्मचारियों को नियतन संबंधी समस्याएं

2240. **डा० बापु कालदते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मराठवाड़ा जनता विकास परिषद्, औरंगाबाद ने 30 मई, 1977 को महाराष्ट्र राज्य को भूतपूर्व हैदराबाद रियासत से कर्मचारियों के नियतन को समस्याओं के बारे में एक पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) मराठवाड़ा जनता विकास परिषद्, औरंगाबाद से 30 मई, 1977 का कोई पत्र इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत द्वारा परमाणु अस्त्रों का निर्माण न करना

2241. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने यह यह स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि यद्यपि चीन के पास परमाणु अस्त्र है और पाकिस्तान उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, भारत परमाणु अस्त्रों का निर्माण रक्षा के लिए नहीं करेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु विश्व की बात को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री का उक्त वक्तव्य और वर्तमान सरकार के रवैये में परिवर्तन हमारी रक्षा तंत्र को कमजोर करेंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रधान मंत्री ने कहा है कि अन्य देश चाहे कुछ करें भारत अणु-अस्त्र नहीं बनाएगा।

(ख) सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। भारत ने कई बार घोषणा की है कि उसका अणु-अस्त्र बनाने का कोई इरादा नही है। हमारा हमेशा यही विश्वास रहा कि अणु-शक्ति का उपयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।

यद्यपि, पड़ौसी देशों में अणु-क्षमता के विकास की हमें जानकारी है परन्तु इस समय हमें कोई अणु-खतरा दिखाई नहीं देता। सरकार अभी भी यह विश्वास रखती है कि हमारे देश की रक्षा पर्याप्त सैनिक तैयारी से सुनिश्चित की जा सकती है जो अणु-अस्त्रों पर आधारित नहीं है।

मराठवाड़ा का विकास

2242. **डा० बापू कालदते :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'औरंगाबाद (डिविजन) इंडस्ट्रीज 'एसोसियेशन औरंगाबाद (महाराष्ट्र) ने महाराष्ट्र में एक अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र मराठवाड़ा में औद्योगिक विकास की समस्याओं के बारे में एक पत्र भेजा है;

(ख) वे समस्याएं क्या हैं, और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) (i) मराठवाड़ा में सहायक उद्योगों सहित लघु उद्योग के विकास के हित में सरकारी क्षेत्र अथवा रक्षा उद्योग की स्थापना करना ;

(ii) सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों को जारी किए गए लाइसेंस में एक शर्त रख देनी चाहिए कि सभी सहायक उद्योगों का विकास उसी पिछड़े क्षेत्र में स्थानीय उद्यमकर्त्ताओं के माध्यम से किया जाए। यह शर्त उन उद्योगों पर भी लगानी चाहिए जिन्हें लाइसेंस दिया जा चुका है।

(iii) लघु एककों के लिए बताई गई आरक्षित वस्तुओं की सूची बढ़ा देनी चाहिए जिससे पर्याप्त परिमाण में लघु एककों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं उसके अन्तर्गत आ जायें।

(iv) वास्तविक उपयोगकर्त्ता औद्योगिक एककों में बाद में वितरण करने हेतु आयात के राज्य व्यापार निगम/खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से प्रणालीबद्ध किए जाने की वर्तमान पद्धति बंद कर दी जाए तथा वास्तविक औद्योगिक एककों को अपनी आवश्यकताओं का आयात करने के लिए लाइसेंस दिए जाएं।

(v) यह अत्यधिक जरूरी है कि इस क्षेत्र में एक उपयुक्त स्टीन पर एक स्टील स्टाकयार्ड स्थापित किया जाए।

(vi) केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों को निर्देश दिये जाने चाहिए कि वे अपनी उपभोक्ता उपयोग की आवश्यक वस्तुएं बड़े उद्योगों द्वारा कम मूल्य पर दिये जाने पर भी लघु एककों से खरीदें।

(vii) वर्तमान कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रणाली कर्मचारी अथवा नियोक्ता दोनों के ही हित में पूरी तरह से नहीं है अतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण को उयुक्तियुक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ग) पत्र में उठाए गए विषयों की जांच की जा रही है अतः सरकार ने अभी तक उन पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

हैदराबाद तथा विजयवाडा में दूरदर्शन केंद्रों की व्यवस्था

2243. श्री के० सूर्यनारायण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद विजयवाड़ा में दूरदर्शन केन्द्रों की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो इन दो नगरों में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित कर देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) (क) और (ख) "साइट" कार्यक्रम, जो 1-8-1975 से एक बर्ष के लिये चालू था, को जारी रखने के लिये अब एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। उम्मीद है यह ट्रांसमीटर 1977 के उत्तरार्द्ध में चालू हो जायेगा। विजयावाड़ा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन की अदायगी पर खर्च की गई राशि

2244. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीतिक पीड़ितों और भूतपूर्व आई० एन० ए० के सैनिकों को पेन्शन की अदायगी करने पर 15 अगस्त , 1972 से अब तक राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को समाप्त कर देने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) राजनीतिक पीड़ितों (स्वतन्त्रता सैनानियों) और भूतपूर्व आई० एन ए० के सैनिकों को पेंशन की अदायगी के बारे में वार्षिक व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

वर्ष	वास्तविक व्यय
	(रु० करोड़ों में)
1972–73	0.63
1973–74	16·32
1974–75	22·96
1975–76	24.11
1976–77	25.00 (अनंतिम)

व्यय के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

राजैतिक पीड़ितों को पेंशन देना

2245. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार कितने राजनैतिक पीड़ितों तथा भूतपूर्व आई० एन० ए० कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जा चुकी है ;

(ख) ऐसे पेंशनरों के विरुद्ध सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें से कितने मामले जांच के बाद सही पाये गए;

(ग) क्या यह पेन्शन केवल इन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान कष्ट उठाए, और

(घ) क्या यह मुआवजा पेन्शनधारियों की आय को बिना ध्यान में रखे दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) राजनैतिक पीड़ितों तथा भूतपूर्व आई० एन० ए० के कर्मचारियों को जिन्हें पेंशन प्रदान की गई, की संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) 31-5-1977 तक 4846 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों की जांच की जा रही है और अभी तक राज्य सरकारों के माध्यम से जांच के बाद 233 मामलों में पेंशन रद्द की गई है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। पेंशन उन स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिनकी वार्षिक आय 5,000 रुपए से कम है प्रदान की जाती है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एस० टी० 560/77]

आपात स्थिति के दौरान कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए राज्यों को निर्देश

2246. **श्री जी० एम० बनतवाला**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के कतिपय कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए कोई निर्देश दिए थे ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के निर्देशों के अधीन प्रत्येक राज्य में इस प्रकार कितने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई ; और

(ग) क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को अब तक सेवा में बहाल किया जा चुका है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) (ख) और (ग) : आर० एस० एस० एस०, जे० ई० आई०, आनन्द मार्ग तथा सी० पी० आई० (एम० एल०) पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद राज्य सरकारों को उन मामलों में उनके ऐसे कर्मचारियों जो इन संगठनों की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गए थे, के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 311 के उप-खण्ड (2) के परन्तुक (ग) के अधीन कार्रवाई समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार करने के लिये परामर्श दिया गया था। इन संगठनों पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने के बाद राज्य सरकारों को ऐसे उन सभी कर्मचारियों को बहाल करने पर विचार करने के लिए परामर्श दिया गया था जिन्हें आपात स्थिति के दौरान पहले अनुदेशों के अनुसार नौकरी से हटा दिया गया था। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को बहाल करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है जो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।

PROMOTION OF ARMY JAWANS

2247. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Army jawans who do not get promotion have to retire at a very young age when they have small children and are unable to maintain their families and prosecute studies of their children with the meagre amount of pension they get;

(b) whether Government propose to increase their service tenure or guarantee them jobs in other Government departments or private institutions after retirement; and

(c) whether Government will take measures for the welfare of these people ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c) With effect from 1-2-1976, the colour service in the case of most of Army Jawans has been increased, the increase varying from three to five years. With this increase, every Jawan has a minimum of 15 years of colour service and certain categories 18 years of colour service. There is no proposal to further increase the period of colour service.

2. For providing Jawans with employment opportunities after retirement, the following reservations of vacancies have been made in civil posts :—

(i) *Central Government Departments*

Class III posts	10%
Class IV posts	20%

(ii) *Public Sector Undertakings and Nationalised Banks*

Class III posts	17½%
Class IV posts	27½%

(iii) *State Governments*

Percentage of reservation of posts varies from State to State.

In addition, arrangements also exist for imparting training as (i) Carpenter (ii) Mechanic (iii) Moulder (iv) Plumber (v) welder (vi) Sheet Metal Worker (vii) Bleacher (viii) Printer

(ix) Bookbinder (x) Cutter and Tailor (xi) Stenographer (xii) Electrician (xiii) Fitter (xiv) Machinist (xv) Turner (xvi) Wireman (xvii) Tool & Die Maker (xviii) Dairy worker (xix) Security Guard (xx) Caterer and (xxi) Agriculturist, to retiring ex-Servicemen, to a limited extent. They are also being assisted in securing jobs in private sector.

3. The Government looks after the welfare of retired Jawans to the extent possible. As a part of welfare measures, retired Jawans are also allowed following facilities :—

(i) Direct employment without registering with the Employment Exchanges upto two dependents of those who are severely disabled in action.

(ii) Purchase of CSD(I) items at established Defence Canteens.

(iii) Free Medical care.

EMPLOYEES OF THE GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE

2248. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the employees working in the General Reserve Engineer Force, which is under his Ministry since 1961, have neither been confirmed so far nor are they allowed to apply for outside posts in which they have better chances of promotion;

(b) whether the declaration made by Government for providing facilities is also never implemented; and

(c) whether the service conditions are also not satisfactory and if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No. Out of 43,732 posts of subordinates and 1,083 posts of officers, 31,510 posts of subordinates and 653 posts of officers have been made permanent against which 24,113 subordinates and 331 officers have already been confirmed. The employees are free to apply for outside employment and their applications are forwarded except only in a few cases where they are withheld in public interest.

(b) No.

(c) The terms and conditions of service of the members of General Reserve Engineer Force are akin to those of Defence Civilians and are generally satisfactory. Even so, these terms and conditions are reviewed from time to time and necessary improvements made therein to the extent necessary and feasible.

INDIA'S PLACE AT ATOMIC POWER

2249. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state the place occupied by India among the countries of the world possessing atomic weapons ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : India neither possesses nor has any intention of manufacturing atomic weapons. As such, the question of India's place amongst countries of the world possessing atomic weapons does not arise.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1976, मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3559 में प्रकाशित हुए थे ।(ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 524/77) ।

(2) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मद्रास पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1480 म प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1481 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) बम्बई पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 925(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) मद्रास पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस तथा भत्तों का संदाय) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 231 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बम्बई पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस तथा भत्तों का संदाय) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 232 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) कलकत्ता पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस तथा भत्तों का संदाय) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 233 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-525/77] ।

(3) व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3)के अंतर्गत व्यापार पोत परिवहन (व्यापार पोत में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन अधिनियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 466 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-526/77] ।

(4) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पंजाब मोटरयान (चण्डीगढ़ संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1976 के चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10065–एच० आई० आई० (2)–76/24387 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पंजाब मोटयान (चण्डीगढ़ संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 22 फरवरी, 1977 के चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या 220-एच० आई० आई० (2)–77/3400 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिल्ली मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस ई सी ई 3 (32)/67–टी पी टी-19350 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) उपर्युक्त मद (4) (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त मद (4) (तीन) में उल्लिखित अधिसूचना को उसे पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-527/77] ।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्टीय राजमार्ग (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 680 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) मेघालय राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पर्क सड़कों के विकास और रखरखाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और मेघालय राज्य सरकार के बीच हुआ दिनांक 23 फरवरी 1977 का करार ।

(तीन) महाराष्ट्र राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पर्क सड़कों के विकास और रखरखाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच हुआ दिनांक 25 फरवरी, 1977 का करार ।

(चार) आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पर्क सड़कों के विकास और रख रखाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के बीच हुआ दिनांक 25 फरवरी, 1977 का करार ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 528/77] ।

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(9) उपर्युक्त मद (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 529/77]

(10) वर्ष 1977-78 के लिए इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 530/77] ।

(11) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के 31 मार्च 1973 को समाप्त हुए वर्ष के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 531/77] ।

भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1977

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(12) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 93(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 532/77]।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, 1975-76 का हिंदी संस्करण, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, का वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 तथा समीक्षा ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० अडवाणी)) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन* का हिंदी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 533/77] ।

(एक) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(15) उपर्युक्त मद (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-534/77] ।

(16) भारत में समाचार पत्रों के रजिस्टार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2), 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 535/77],

कोयला बोर्ड कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन 1973-74

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन्) :

(17) मैं कोयला बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा प्रमाणित लेखे सभा पटल पर रखता हूं ।

[**दखिए** संख्या एल० टी० 536/77] ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन, 1975-76

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(18) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-537/77]

(दो) (क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1975 76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड लखनऊ का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

उपर्युक्त मद (18) (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 538/77] ।

(20) टैनरी एण्ड फूट वेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 539/77] ।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बारे में उद्घोषणा का निरसन

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(21) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1977 की उद्घोषणा (हिंदी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 16 मई, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो कि दिनांक 29 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 419 (ङ) में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 539/क/77] ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू

(22) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 206/77-सी० ई०, जो दिनांक 29 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या 207/77-सी० ई०, जो दिनांक 29 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-539ख/77] ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 28 जून, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 जून, 1977 को पास किए गए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(दो) कि राज्य सभा 28 जून, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 जून, 1977 को पास किए गए मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(तीन) कि राज्य सभा 28 जून, 1977 की अपनी बैठक मे लोक सभा द्वारा 25 जून, 1977 को पास किए गए उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

प्रत्यक्ष कराधान विधियों को युक्ति-युक्ति बनाने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन करने का सुझाव

श्री ज्योतिर्मय बसु ((डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत श्री एन० ए० पालकीवाला की अध्यक्षता में बनी कराधान पुनर्गठन समिति के बारे में एक नोटिस दिया था । मैंने नोटिस में कहा था कि श्री एन० ए० पालकीवाला की अध्यक्षता में सरकार ने एक पांच सदस्यीय समिति प्रत्यक्ष कराधान विधियों को युक्तियुक्त बनाने के उपाय सुझाने हेतु नियुक्त की है । अन्य बातों के साथ-साथ यह समिति आयकर, अधिकार, सम्पत्ति कर और दान कर सम्बन्धी चार विधियों को मिला कर एक विधि बनाने की सम्भावनाओं पर भी विचार करेगी । यह संसद में पेश किए जाने के लिए एक विधेयक का मसौदा भी बनाएगी ।

समिति का अध्यक्ष पालकीवाला एक बड़ा व्यापारी है । अन्य सदस्य भी व्यापार से सम्बन्धित हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा महत्वपूर्ण मामला देश में कर अपवंचन करने वाले एक बड़े गुट को दिया गया है तथा संसद की उपेक्षा की गई है । ऐसी समिति से उद्देश्य हल नहीं होगा । अतः समिति का पुनर्गठन किया जाए ।

समिति के गठन में सदन को विश्वास में नहीं लिया गया । सदन अपनी छोटी सी समिति भी बना सकता है । मैं आप पर निर्णय छोड़ता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय देने का कोई प्रश्न ही नहीं है । जब सरकार कोई समिति बनाती है तो सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती कि समिति के सदस्य कौन हैं और अध्यक्ष कौन हैं । नियम 377 के अन्तर्गत स्पष्ट कहा गया है कि मामला तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक अध्यक्ष अनुमति न दे । अतः जब तक मैं अनुमति न दूं, मामला नहीं उठाया जा सकता ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : कर प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है तथा वित्त विधेयक पर अभी चर्चा होगी । इस बीच सरकार ने कुछ कार्यवाही की है जिसका कर ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा । इस सम्बन्ध में सरकार के लिए क्या यह उचित नहीं था कि वह सदन में समिति के गठन की घोषणा करती ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

समितियों के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करेंगे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करेंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों

के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचन की तारीख के एक वर्ष की कालावधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचन की तारीख के एक वर्ष की कालावधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें 1977-78
DEMANDS FOR GRANTS

विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : चर्चा के लिए 5 घंटे निर्धारित किए गए हैं। यह समय बहुत कम है । इसके लिए 7 घंटे दिए जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने 5 घंटे निर्धारित किए हैं। मैं समय नहीं बढ़ा सकता ।

जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के नोटिस दिए थे, वे अपनी स्लिपें कटौती प्रस्ताव संख्या सहित 15 मिनट के अन्दर भेज दें। इन कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ समझा जाएगा ।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : Mr. Speaker, Sir, In the last 20 years I have often had to participate in the oforeign policy debates. But it is for the first time that I shall have the salutary experience to be at the receiving end of the volleys of criticism. This is an indication that the times have changed and the people of India have put the responsibility of running the government on the shoulders of those who were thus far called reactionaries and given the responsibility of constructive opposition to those who considered themselves indispensable.

First of all, I would like to express my gratitude to all my predecessors—from Pandit Jawahar Lal Nehru to Shri Yeshwantrao Chavan, each one of whom has, in his own way, contributed to the framing and implementing of foreign policy—Pt. Nehru was, of course, the great architect of our international relations. I feel it my duty to express my gratitude to all of them.

Truly speaking, whether one is in the opposition or in the government, the question of foreign policy so naturally connects us to the promotion and protection of national interests which, detached from the play of domestic politics or the cut and thrusts of Parliamentary debates, provides a quality of permanence to foreign policy, which is not static but dynamic and which does not go unconcerned of the given situation but takes into account the requirement of the times.

I hope, Sir, with the confidence which comes from the support of the people and the sensitivity to the broad national consensus in our international attitudes which we all share, I will be able to earn the support from all sides of the House in the discharge of my present responsibilities to guide our foreign policy.

The recent Lok Sabha elections were mainly contested on domestic issues. Foreign policy was not a question in debates. The Janata Party had said that in the international field

it will pursue a genuinely non-aligned policy. One can very well ask why is Janta Party so emphatic about genuine non-alignment ? My humble submission is that India should not only remain non-aligned but must also appear to be so. If anything that we say or do, gives rise to the feeling that we have leaned towards a particular bloc and have surrendered our sovereign right of judging issues on their merit, it will be a deviation from the straight but difficult path of non-alignment. The Janta Government would never allow this to happen.

Non-alignment is not the policy of an individual or a party. This is based on national consensus. After freeing itself of the clutches of imperialism, a great country like India could not possibly become a camp follower of some great power. This would have been a negation of the ideals of our struggle for independence and also against our national self-respect. The policy of non-alignment is, in fact, a logical and essential extension of the national independence in the field of international affairs. What has happened during the past three decades has, undoubtedly, proved the relevance of the policy of non-alignment in the context of contemporary international scene.

Non-alignment is no longer a lonely cry for peace in a global battle ground of armed camps convinced that they were embarked on an ideological crusade which they thought would overwhelm or contain their adversaries. Now the voice of non-alignment has become the trumpet of more than half the total membership of the international community. As the House is aware, the new Government did not hesitate for a moment to confirm the meeting of the Non-aligned Bureau, even though it was scheduled to be held within a fortnight after we assumed office. The Bureau meeting provided us with an occasion to assure the Non-aligned fraternity that India remained committed to independence of judgment and to political attitudes and the economic programme which had been chalked out at the last summit meeting in Colombo.

We reaffirm this old tenet of policy because non-alignment recognises that in today's nuclear world, war or its inevitability must be ruled out. We cherish our national independence, but reject the need to consign national defence to a committed or dependent military or ideological arrangement. Non-alignment frees a nation from the pressures to borrow foreign models or adopt other ideologies which may be alien to a nation's civilisation or its ethos.

Today, all ideologies are getting domesticated and every country's development strategy has a character of its own. Non-alignment gives freedom of flexibility and yet enables a country to join with like-minded nations who face similar economic and political odds. As it happens today, all major powers, including those who belong to military alliance systems, accept that there is no alternative for the international community but to accept the logic of peaceful co-existence. Most nations, and non-aligned are in their forefront, go further and believe that international peace can only be secured through positive cooperation across ideological political and military frontiers. We cannot but commend the declaration of the President of the United States that anti-Communism will not be the test or drive of America's policies, and we are likewise convinced that the Soviet Union is deeply committed to the search for international detente and the easing of tensions amongst nations.

Mr. Speaker, with the world accepting that peace and inter-dependence demand international co-operation, India is well placed to pursue a policy of simultaneously safeguarding its own interests and supporting the enlightened goals of international social justice.

I must, however, be quick to add that whatever success we may achieve or the weight of influence which we may carry international affairs will not merely be through a rational foreign policy but will depend on our internal cohesion and the pace of our economic progress. This House reflects the strength and sagacity of our people. This ancient land draws vitality from its rich civilization, its tradition of tolerance, its vast wealth of resources,

its people who have the mental capacity to master science and a physical capacity for hard work and inner discipline.

Our other great asset is that India has never lived by hate; we have no history of conquest or expansionism. We have always tried to win the heart and not the body. Our culture gives us no ground for a sense of inferiority or dependence.

As a nation, we can be self confident enough to clasp the hand of friendship everywhere and welcome cooperation which is based on dignity and can be judged on the touch-stone of national and mutual benefit. Today, we are in a better position to give shape to our own willingness to cooperate, wherever there is proof of beneficial complementarity, with nations who have likeminded approach to international stability. It is in this spirit that we will continue to participate with the United Nations, the Non-aligned, the Group of 77 and developing nations. It is in this spirit of mutual benefit entirely of a benign nature that we have and will seek to forge bilateral links with other nations regardless of their ideologies, level of development or their political system.

Since we assumed office we have, with this background and approach, held high level conversations with the Kings of Nepal and Bhutan, the Soviet Foreign Minister, the Foreign Minister of the Federal Republic of Germany, with several Ministers who attended the Conference on International Economic Cooperation in Paris, and more recently with the Shahanshah of Iran, with the Prime Minister and Foreign Secretary of U.K., other Heads of Government and Ministers at the Commonwealth Conference in London. It was gratifying to find that the rationale of our policies was never questioned. In fact, we can claim that not only have we been able to bring credibility to the continuity of old policies, we have discovered a positive desire to seek closer friendship with India. The world, I believe, has confidence in India. Enlightened nations everywhere have given us the assuranses of their goodwill towards the Government of India under a new Captain like our Prime Minister and a new crew to take command of the ship of State.

Mr. Speaker, while making it quite clear that we stand by the broad outlines of our foreign policy and will respect all inherited obligations let it not be mistaken for a policy of rigid immobilism. As I mentioned earlier, the world situation is changing. India itself is developing new industrial, technological skills, new dimensions to its commerce and new horizons for its economic capacities. As a new Government with a fresh mandate from the people, we consider it our duty, indeed our responsibility to bring to bear a fresh scrutiny on the tasks and international problems as they may present themselves.

Sir, we have recognised that our first priority must be to promote a relationship of co-operation and trust with our immediate neighbours. We share with them a common history and a great deal of common culture, but we also recognise their own right to determine their separate national fulfilment. We shall be vigilant about our territorial integrity but pose no threat to their national personalities. Overlooking any suspicions of the past and not denying that some problems will always arise with close neighbours, we believe it is in our separate and common interest to forge, on the basis of our geography, the sinews of economic co-operation in the sub-continent. If we succeed, we could ease the burdens for all our peoples so that some of the swords can be turned into plough shares and the entire region can bother tackle the common enemy of poverty and inherited degradation. If the Indian sub-continent remains free of tensions, it would command unique weight in the counsels of the world. It can be an example of how our ancient heritage can be transformed to modern progress. It can be a bridge to link the economic chasm which divides the world, and if we work together, we can be a powerful group of nations contributing to international stability.

It is with this vision that we have been directing our policies towards Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Bhutan. We can claim that in some measure the climate for such trust and cooperation with our neighbours has already shown significant improvement. Some

old suspicions and irritants have been removed; with sustained diplomacy and reciprocal response we hope we can move steadily forward.

I am aware that some members of the House have been exercised at reports which have appeared that Bangladesh nationals have been denied refuge in India. After seeing these reports, some senior officers were specially deputed to enquire into these allegations. After full scrutiny, they have concluded that no force or compulsion has been used or hardships inflicted on Bangladesh nationals who were in India. The House is no doubt aware that Prime Minister had made it clear in his conversation with President Ziaur Rahman and in public statements that no Bangladesh nationals will be compelled to return to their own country. But the Constitutional rights of political liberty which we enjoy will not be extended to permit the use of Indian soil for hostile activities against our partner nations. If we were to permit such freedom, we would be going against the fundamental principles of co-existence and non-interference.

Our Government has also made progress in reaching the basis of an understanding with Bangladesh on the question of sharing of Gange waters. We have yet to reach a comprehensive settlement. These waters are the life-blood of our national economy, for our agriculture and our industry. In our approach we see the problem as one of development—of sharing sacrifices by taking into account the competitive needs and entitlements in the short run, so that we may make optimum use of the waters available for benefit to both our countries in the longer span of time.

Though our first concern is for our neighbourhood, we know we have a shared interest in the friendship, welfare and the search for self-reliance and progress by our friends in the wider circle of Asia and in the continents of Africa and Latin America. The Prime Minister has already spoken of a brief visit to Tehran and his conversations with His Imperial Majesty the Shahanshah of Iran during which a gratifying reaffirmation of friendly relations emerged. With Afghanistan and the entire Arab world, we shall not only continue to seek to maintain old links, but further strengthen our economic cooperation. We have assured the Arab world that we shall continue to lend our full support for a just settlement of the West Asian problem based on the UN Resolutions which require the vacation of occupied territory. We hope that in the near future, the process of negotiations at Geneva will get underway so that there is peace based on justice and security for the States in the West Asian region.

With Africa, our old bonds are based on a common commitment against colonialism and racialism. We have been second to none in our principled support for majority rule in Zimbabwe and Namibia. Along with enlightened opinion everywhere, we are pledged to the eradiation of the evils of apartheid or institutionalised racilalism. But beyond this, we shall maintain the momentum to become partners in the effort of African nations for their national development. With countries like Tanzania, Zambia and Mauritius, we have already forged such many-sided economic links that one can almost claim the relations to be models for cooperation among the developing countries. Our developmental experience is relevant and appears complementary to the needs of Africa in manpower and economic expertise. These beginnings are still confined largely to the Eastern Seaboard but we hope to overcome the disadvantage of geography to extend it further to West Africa.

With South-East Asian countries, India has very old links and no serious bilateral problems. We follow with interest their efforts to find the answer for national integration and economic development within the framework of regional stability. From our side, we shall lay greater emphasis and make more sustained efforts to develop even closer political, economic and cultural relations with all the States of the region. We will also be ready to

respond to any initiative in which we can contribute bilaterally or on a regional basis in the search for stability in this vital area. During the visit of the Foreign Minister of Viatnam, we had occasion to reaffirm our willingness to respond positively to the immense tasks faced by Vietnam and Laos in the reconstruction of their ravaged economies. We would also like to sterengthen our relations with Australia and other countries in the South pacific and have responded positively to the idea of periodical consultations amongst Asian and Pacific members of the Commonwealth.

The House is familiar with the ups and downs of the story of our relations with China and the problems still remaining unresolved which complicated our relations. However, our Government welcomed the normalisation of our diplomatic relations and took the initiative to resume the severed trading links with that country. Based on the old Fire Principles, we must have as our goal, the forging of beneficial bilateral relations as is appropriate between two large Asian countries like India and China.

We have a feeling, Mr. Speaker, that India has in the past been slow to recognise the vitality and importance of Japan which now commands the third most powerful economy in the world. We hope to repair this hesitation not merely through trade, or greater technological exchange, but through closer rapport with this dynamic country.

Members are already aware of the prompt initiative taken by our Government to invite the Foreign Minister of the Soviet Union to India soon after assuming office. The conversations with Mr. Gromyko were friendly and forthright and gave reasons for satisfaction to both countries. We believe the Soviet Union recognises fully that the new Government in office enjoys the full confidence of the Indian people. Both our countries accept and recognise the sincerity of the mutual desire to maintain a beneficial relationship covering so many diverse stands of cooperation. We have in fact no reason to doubt that the quality of relations between India and the Socialist countries of Europe have in any way suffered with the change of Government; on the contrary the logic of mutual benefit and a common interest in peaceful co-existence and international stability promises even closer economic cooperation in the future.

I come now to the relations with the developed continent of Europe and North America. Mr. Speaker, unlike the apparent judgement of the previous Government, in our perception we do not see the relations with the Socialist countries in any way inhibiting the search for improved relations with the USA and Western Europe. There were undoubtedly hesitations on the part of Western democracies in their attitudes towards India and particularly after the developments which took place when the Emergency was proclaimed. Many well-motivated friends in Europe and USA expressed their concern and raised their voice in protest at the degeneration of India into authoritarianism. The credit for the resurgence of democracy in India goes to no one else but the people of India. Our people have given the lie to those political scientists who thought that the successful practice of Parliamentary democracy could take place only in affluent Europe and the Anglo-Saxon world. On the other hand, there were other social democrats, statesmen and the people in the communication media who had maintained faith in the democratic strength of India. I would like to express my gratitude to these people who kept faith in the democratic resilience of the Indian people. Anyway, be it in the media or the people at large, there is a new fund of goodwill and respect abroad for India which we feel sure will help to improve relations with Europe and North America.

Our relationship with Western Europe is valuable not merely because the European Economic Community is the biggest trading partner of India but because there is scope for obtaining technology and resources which could be oriented for our own economic development. Besides the diversity and mutually beneficial nature of our ties with the countries of the EEC, we also enjoy cordial relations with the other countries of Western Europe. Many of them have taken an enlightened interest in our problems and have extended their wholehearted cooperation in our developmental efforts. There is no hesitation on our part to have a better dialogue with Europe. If anything, it is for Western Europe to decide to

what extent in its own perspective of the world, a mature, self-reliant Non-aligned, non-disruptionist India can be looked upon as a worthy partner in the quest for international stability and cooperation.

Time does not permit, Mr. Speaker, to dwell on a host of problems which confront the international community. However, in Western Europe, we have reason to believe that after the recent developments in India, the climate for restoration and improvement of relations based on dignity and self-respect with Canada and the USA is also more propitious. The new Administration in the USA is taking a fresh look at the world to find a new balance between their own national interests and a more cooperative world order. The diplomatic exchanges between PM and President Carter have been characterised by warmth and understanding and augur well for the future. We hope the USA in its policies will assist the process of stability in South Asia which is the goal of our national policies.

On this occasion, when I speak on foreign policy for the first time from the Government benches, I would like to send a message of greetings to the millions of sons and daughters of India who are working or residing abroad in different parts of the world—by they under governmental cooperation or as private citizens. Each one of them in his own way is a messenger of India and a symbol of our ancient civilization and culture. Though they may have chosen to go to work or reside abroad, we shall never disown them or fail to appreciate and reciprocate their loyalty to the culture and heritage of their motherland. Wherever they are, they carry the stamp of India's heritage. We must, however, advise them to prove worthy of the traditions of tolerance and capacity for adjustment characteristic of the land of their forefathers. In their own interests, as also for the fair name of India, we hope that even when they work for their own benefit, they will seek to identify themselves with the enlightened interests of the country of their domicile and abide, as is required, by the laws of the land of their residence.

We believe, India is well placed and the political climate in the world is propitious to pursue within the framework of non-alignment the twin basic objectives of our policies—national interests and international cooperation. In the last two years, for the first time since World War II, the world is at peace from international conflict. Never before has the logic of detente been so widely recognised. All responsible nations acknowledge that no nation can today expand and dominate or even insiduously seek to beggar its neighbours. No nation can survive or prosper alone, and peace, we know, is only the twin brother of nuclear annihilation. Have the nations any alternative but to make a more positive effect to cooperate for international social justice ?

As far as India is concerned, we are committed to making sacrifices for the enlightened well-being of the whole world. We are gratified at the pledges of friendship which we have received. If we persist purposefully in our domestic endeavours, we are confident that in our external relationships we shall command respect and obtain reciprocal goodwill from the community of nations as never before.

विदेश मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	2	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।

1	2	3	4	5
34	66	**श्री शिब्बन लाल सक्सेना**	नेपाल में भारतीय मूल के एक करोड़ तराई लोगों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखना तथा उनके जीवन की अमानवीय दशा और उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित करके भारत में खदेड़ने और उनकी भूमि हथियाने का बर्बर प्रयास जो सुगान्ती सन्धि तथा जुलाई, 1950 में की गई शान्ति तथा मित्रता की भारत-नेपाल सन्धि का खुला उल्लंघन है ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाऐ ।
34	3.	**श्री जी० एम० वनतवाला**	साऊदी अरब कुवैत और बहरीन के लिए पृष्ठांकित पारपत्र के लिए आवेदकों को होने वाली कठिनाइयों और दिक्कतें दूर करने की आवश्यकता ।	,,
34	4.	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	अमरीका में हमारे लोगों के हितों का ध्यान रखने से वाशिंगटन डी० सी० स्थित हमारे राजदूत के कार्यालय तथा शिकागो स्थित वाणिज्य दूत के कार्यालय की उपेक्षा ।	राशि में से 100 रु० कम कर दिए जाएं ।
34	5.	,,	विदेशों में हमारे प्रचार को सुदृढ़ करने, विशेषकर हमारा सही दृष्टिकोण रखने और हमारे देश के विरुद्ध शरारतपूर्ण प्रचार का प्रतिकार करने की आवश्यकता ।	,,
34	6.	,,	पारपत्र जारी करने में होने वाला अत्यधिक विलम्ब	,,
34	7.	,,	हमारे द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली वित्तीय सह का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता जिसके लिए कि वह दी गई है ।	,,
34	8.	,,	हमारे विदेशी दूतावासों के कार्यालयों में किफायत बरतने की आवश्यकता ।	,,
34	9.	,,	विदेशों में, विशेषकर अमरीका, ब्रिटेन तथा अरब देशों में हमारे पक्ष में जोरदार मत तैयार करने में मन्त्रालय की सफलता ।	,,
34	10.	**श्री पी० जी० मावलंकर**	वास्तविक गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयास करने की आवश्यकता ।	,,
34	11.	,,	भारत की विदेश नीति को नई दिशा तथा स्वरूप देने की आवश्यकता जिससे राष्ट्र के हितों को तुरन्त लाभ पहुंचेगा तथा विश्व शान्ति और भाई-चारे की ओर ले जाने वाले तत्वों को बल मिलेगा ।	,,
34	12.	,,	भारत और अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन जैसी प्रत्येक बड़ी शक्ति के बीच पारस्परिक लाभ-प्रद तथा सामान्य सम्बन्धों का विकास करने की आवश्यकता ।	,,
34	13.	,,	संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों और संगठनों के काम को सक्रिय रूप से तथा जोरदार ढंग से समर्थन देने की आवश्यकता ताकि इन विश्व	,,

1	2	3	4	5
			निकायों की कार्यवाहियों तथा गतिविधियों में अर्थपूर्ण ढंग से पहल करके और अधिक रुचि दिखाई जा सके।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं।
34	14.	**श्री पी०जी० मावलंकर**	विश्व भर में मानवधिकारों की स्थापना के लिए आन्दोलन को पूरा और ठोस समर्थन देने की आवश्यकता।	,,
34	15.	,,	राष्ट्रमंडल तथा विधि के शासन, लोकतंत्रीय प्रक्रियाएं और स्वतंत्र समाज के मूल्यों तथा संस्थाओं जैसे इसके प्रशंसनीय उद्देश्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए सतत् और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता।	,,
34	16.	,,	भारतीय उपमहाद्वीप तथा हमारे दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के पड़ौसी देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता।	,,
34	17.	,,	भारत और यूरोप, अफ्रीका और लेटीन अमरीका के विकसित तथा विकासशील देशों के बीच मित्रतापूर्ण तथा सहयोगी सम्बन्ध स्थापित करने की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता।	,,
34	18.	,,	विदेशों में भारत के दूतावासों के कार्यकरण का पूरी तरह पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता।	,,
34	19.	,,	भारत के राष्ट्रीय प्रयासों, चुनौतियों तथा सफलताओं का विदेशों में अर्थपूर्ण प्रचार कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
34	20.	,,	देश में स्थित विभिन्न क्षेत्रीयपारपत्र कार्यालयों का कार्यकरण आमूल रूप से सुधारने की आवश्यकता ताकि नागरिकों की सेवा करने के लिए उन्हें तत्पर और दक्ष बनाए जा सकें।	,,
34	21.	,,	हाल के लोक सभा चुनावों की परिणामों द्वारा राष्ट्र को मिले सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए विश्व सें भारत का सुदृढ़, अच्छा और वास्तविक रूप प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता।	,,
34	24.	**श्री पी० के० कोडियान**	दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेद की नीति वाले शासन के विरुद्ध सभी क्षेत्रों में प्रतिबन्धों सहित संयुक्त राष्ट्र सभी सम्भव कार्यवाही करे इसके लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता।	,,
34	25.	,,	संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा रोडेशिया के गोरे अल्पसंख्यक शासन के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाएं इसके लिए संयुक्त राष्ट्र तथा उसके बाहर जोरदार प्रयास करने की आवश्यकता।	,,
34	26.	,,	हिन्द महासागर में सभी विदेशी सैनिक अड्डे, जिन में दिएगो गार्शिया भी शामिल है, हटाए जाने के लिए जोर-दार प्रयास करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
34	27.	श्री पी० के० कोडियान :	भारत के सम्बन्ध पड़ोसी देशों के साथ और सुधारने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं ।
34	28.	,,	दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को नसलवाद, रंगभेद के विरुद्ध उनके संघर्ष में तथा मानवीय सम्मान और स्वतन्त्रता के लिए नैतिक और अन्य सहायता देने की आवश्यकता ।	
34	29.	,,	दक्षिण अफ्रीका के नसलवादी शासन से नमिबिया के लोगों के स्वाधीनता संघर्ष में सभी प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
34	30	,,	हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के लिए तटीय देशों के साथ मिलकर जोरदार प्रयास करने की आवश्यकता ।	,,
34	31.	,,	गैर-कानूनी श्वेत अल्पसंख्यक शासन से जिमबाबवे को स्वतंत्र कराने में उसके लोगों के संघर्ष में नैतिक तथा धन आदि की सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
34	32.	,,	कोचीन स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में स्थान और कर्मचारियों की कमी जिसके परिणामस्वरूप लोगों को असुविधा होती है और पारपत्र जारी करने में विलम्ब होता है ।	,,
34	33.	,,	भारत के सम्बन्ध वियतनाम समाजवादी गणराज्य के साथ और सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	,,
34	34.	,,	विकासशील देशों के आन्तरिक मामलों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा हस्तक्षेप रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
34	35.	,,	भारत की सुरक्षा की दृष्टि से फारस की खाड़ी के क्षेत्र में अमरीकन शस्त्र जमा करने के परिणाम ।	,,
34	36.	,,	विदेशी प्रचार को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	,,
34	37.	,,	पारपत्र के लिए आवेदनों को तुरन्त निपटाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पारपत्र कार्यालयों के कार्यकरण में और सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
34	38.	,,	वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास तथा लन्दन सहित उच्च-आयोग से सम्बद्ध सप्लाई मिशनों के कार्य में मितव्ययता लाने में हुई धीमी प्रगति ।	,,
34	39.	,,	हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तटीय तथा अन्य देशों की सलाह से एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए पहल करने की आवश्यकता ।	,,
34	40.	,,	अमरीका द्वारा हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे बनाए जाने से उत्पन्न भारत की सुरक्षा को खतरे के विरुद्ध जागरूक रहने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
34	41.	**श्री पी० के० कोडियान** :	संयुक्त राष्ट्र के आणविक देशों द्वारा दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रों की सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की वांछनीयता क्योंकि वह देश संयुक्त राष्ट्र के नामीबिया सम्बन्धी संकल्पों का लगातार उल्लंघन करता रहा है और नसलवाद तथा रंगभेद की नीति अपनाए हुए है ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं ।
34	42.	,,	विश्व में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता ।	,,
34	43.	,,	फलस्तीनी स्वाधीनता आन्दोलन को नैतिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
34	44.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :	विदेशों में भारतीय मिशनों पर किया जाने वाला अत्यधिक और शानशौकतपूर्ण व्यय ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए
34	45.	,,	दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में राजनयिक गतिविधियों को दी जाने वाली अपर्याप्त वरीयता ।	,,
34	46.	,,	विदेशों से, विशेषकर समाजवादी देशों से जाने वाले युवा तथा छात्र शिष्टमंडलों को विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमति देने में किया जाने वाला अनुचित विलम्ब ।	,,
34	47.	,,	पारपत्र जारी करने में किये जाने वाला विलम्ब ।	,,
34	48.	,,	गुट-निरपेक्षता, मित्रता, शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा जोरदार राजनयिक पहल न करना ।	
34	49.	,,	अमरीकी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ रहे प्यूर्टो रिको के लोगों को आधे मन से दी जाने वाली सहायता ।	,,
34	56.	,,	सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ मित्रता और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं
34	57.	,,	राष्ट्रीय स्वाधीनता, शान्ति, मित्रता और सुरक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में कठोर उपनिवेशवाद विरोधी नीति जारी रखने की आवश्यकता ।	,,
34	58.	,,	हिन्द महासागर में अमरीकी सम्राज्यवादियों की उनके कार्यों के लिए निन्दा करने की आवश्यकता जिससे इस क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ है और शांति को खतरा उत्पन्न हुआ है ।	,,
34	59.	,,	हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने की आवश्यकता ।	,,
34	60.	,,	वियतनाम के साथ अधिक घनिष्ठ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
34	61.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन :	अरब देशों म रोजगार के लिए जाने के इच्छुक लोगों को शीघ्र पारपत्र जारी करने के लिए विशेष क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, कोचीन मे सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं
34	62.	,,	क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों में अधिक सुविधाएं तथा कर्मचारी रखने की आवश्यकता ताकि वे लम्बित मामले शीघ्रता से निपटा सके ।	,,
34	63.	,,	त्रिवेन्द्रम में एक और क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने की आवश्यकता ।	,,
34	64.	,,	अरब देशों में भारतीय दूतावासों के व्यापार और रोजगार सम्बन्धी सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए सम्बन्धित विभागों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	,,
34	65.	,,	बंगला देश के उन नागरिकों को समुचित और अर्थपूर्ण सुरक्षा व सुविधाएं देने की आवश्यकता जो शेख मुजीबुर्रहमान तथा उनके साथियों की हत्या के बाद की राजनीतिक घटनाओं के फलस्वरूप भारत आए थे ।	,,
34	50	श्री अमृत कसार :	भारत के सम्बन्ध पुर्तगाल से सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	,,
34	51.	,,	मोजमबीक और अंगोला में भारतीय मूल के पुर्तगाली नागरिकों की समस्या हल करने की आवश्यकता ।	,,
34	52.	,,	गोवा दमन और दीव में स्थावर सम्पत्ति रखने वाले भारतीय मूल के पुर्तगाली नागरिकों की कठिनाइयां दूर करने की आवश्यकता ।	,,
34	53.	,,	भारतीय मूल के पुर्तगाली नागरिकों के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आवेदनों को निपटाने की आवश्यकता ।	,,
34	54.	,,	अफ्रीका में अंगोला और मोजमबीक में पुर्तगाली जानने वाले भारतीय शिक्षक भेजने की आवश्यकता ।	,,
34	55	,,	भारत और पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आपसी सम्बन्धों के लिए संधि करने की आवश्यकता ।	,,

श्री जे० रामेश्वरराव (महबूबनगर) : मंत्री महोदय ने अभी-अभी जो वक्तव्य दिया है, उसकी अग्रिम रूप में हमें कोई प्रति नहीं दी है । यदि हमें इसकी अग्रिम रूप से कोई प्रति मिल जाती तो हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ तैयारी करते । भविष्य में मंत्री महोदय जब कभी इस तरह का वक्तव्य दें तो वह उसकी प्रति हमें अग्रिम रूप से उपलब्ध करने की कृपा करें ।

वक्तव्य से पता चलता है कि वह अपने मंत्रालय से सम्बन्धित मामलों को किस तरह से निपटाने का विचार कर रहे हैं । यद्यपि मंत्री जी को विदेशों के साथ अपने सम्बन्ध बनाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा किन्तु उन्हें हमारा पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा । यह सही बात है कि गत 30 वर्षों में इस सभा ने सरकार को इस तरह के मामले निपटाने में पूरा सहयोग दिया है ।

सरकार के बदलने के साथ देश के हितों में अंतर नहीं आता । हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने आधारभूत विदेशी नीतियों को बनाए रखने का आश्वासन दिया है । हमारी सदा यह नीति रही है कि विश्व के देशों के स्वतन्त्रता

अभियानों का समर्थन किया जाए । धर्म एवं रंग के आधार पर भेदभाव बरतने का हम सदा विरोध करते रहे हैं। अफ्रीकी देशों में जहां श्वेत अल्पमत बहुमत पर शासन कर रहा है वहां हम स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय मुक्ति का समर्थन करते रहे हैं।

विदेश मंत्रालय की गत वर्ष की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि मार्च 1977 के निष्पक्ष चुनाव से सरकार के परिवर्तन से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है । क्या कोई कह सकता है कि चुनाव के परिणामस्वरूप सरकार का परिवर्तन शान्तिपूर्ण नहीं होगा । किसी भी लोकतन्त्रीय देश में यह सामान्य बात है । हमें न तो इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है और न ही इस मामले में विदेशों से प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।

सरकार ने गुट निरपेक्षता की नीति पर बल दिया है लेकिन गुट निरपेक्षता के प्रति वचनबद्धता की प्रक्रिया में बार-बार वास्तविक गुट निरपेक्षता की बात दोहराई जा रही है। गुट निरपेक्षता किसी भी प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का आधारभूत अधिकार है । यदि हम किसी अन्य देश के वचनबद्ध नहीं हैं तो हम किसी भी मामले पर उसके गुणों के आधार पर अपनी नीति के अनुसार निर्णय लेंगे और यदि यह निर्णय वास्तविक नहीं होगा तो गुट निरपेक्षता की संज्ञा नहीं दी जा सकती । अतः वास्तविक गुट निरपेक्षता शब्दों का प्रयोग एक प्रकार से विरोधी बात है ।

सोवियत संघ से हमारे सम्बन्ध महत्वपूर्ण हैं। सोवियत संघ ने हमेशा हर संकट में हमारा साथ दिया है । ऐसा कुछ अन्य देशों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है और हम उनकी अमूल्य सहायता की कद्र करते हैं।

साथ ही हम अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक और विकासीय सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं उनके पास औद्योगिकी है और वित्तीय संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं तथा सभी विकासशील देशों की सहायता देने में वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं । हमें सोवियत संघ अथवा पश्चिमी देशों से मिलने वाली मानार्थ सहायता की सराहना करनी होगी ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने तकनीकी तथा प्रशिक्षित दक्ष व्यक्तियों की सेवा का, जो कि हमारे देश में पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, लाभ नहीं उठा पाए हैं तथापि हमारे यह तकनीकी व्यक्ति तथा दक्ष तथा प्रशिक्षित व्यक्ति हमारे विदेशी सम्बन्धों में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम किन्हीं क्षेत्रों में अन्य देशों की सहायता देने वाला राष्ट्र बन सकते हैं। हम चीनी, सीमेंट, कपड़ा और अन्य कई क्षेत्रों में अपने तकनीकी ज्ञान का निर्यात करके कतिपय तथा कथित विकसित देशों से भली भांति प्रतियोगिता कर सकते हैं। हमारे विदेशी सम्बन्धों के संदर्भ में इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

औद्योगिकी तथा तकनीकी व्यक्तियों की सहायता वैयक्तिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रतिभा पलायन हो जाएगा । यह सरकार से सरकार के आधार पर सुनियोजित ढंग से होनी चाहिए । हमें राष्ट्र मंडल सम्मेलन के सम्बन्ध में समाचारों को पढ़ने से प्रसन्नता हुई है तथा सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री ने जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय है । दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के प्रश्न पर उचित ढ़ग से जोर दिया गया तथा दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेतों के शासन को बहु संख्यक शासन सें बदलने की आवश्यकता पर उचित ढंग से जोर दिया गया। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री सोवियत संघ की यात्रा करने वाले हैं। उस देश से हमारे सबंन्ध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं और आपसी लाभ के लिए उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि यात्रा लाभदायक तथा सफल होगी ।

हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक साधारण आदमी को पारपत्र प्राप्त करने में छः महीने से अधिक तथा कभी-कभी एक वर्ष लग जाता है । हमारी समझ म यह नहीं आता कि पारपत्र बनाने के मामले को इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया है । हर व्यक्ति को जो पारपत्र प्राप्त करना चाहता है उसे शीघ्र पारपत्र मिलना चाहिए ।

हम सरकार की नीति तथा प्रधान मंत्री के इस सस्पष्ट आश्वासन का स्वागत करते हैं कि हम आण्विक अस्त्र नहीं बनाएंगे बल्कि परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शान्ति के लिए करेंगे परन्तु हम अपने आण्विक ईंधन के उपयोग पर पुनर्विचार करना होगा तथा हम दूसरे देशों की दया पर निर्भर न रहें । हमें आवश्यक रूप से अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा और यह कार्य शीघ्र करना होगा ।

मैं विपक्ष की ओर से प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि भारत के विदेशी सम्बन्धों के मामलों में उन्हें पूर्ण सहयोग देंगे । यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें द्विपक्षीय राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए । विदेशी मामलों पर सरकार को विपक्ष से अधिक विचार-विमर्श करना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : विदेश मंत्री को भारतीय जनता की इस पुरानी मांग को भारतीय जनता के महानतम क्रान्तिकारी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और उनके क्रान्तिकारी कार्यों को समुचित सम्मान दिया जाए । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का कार्य क्षेत्र भारत से बाहर था और विश्व के 25 से अधिक देशों में उन्होंने कार्य किया । दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में तथा अन्य देशों में उनके दस्तावेज और क्रान्तिकारी अवशेष उपलब्ध हैं। परन्तु वैयक्तिक कटुता एवं राजनीतिक दुर्भावना के कारण नेहरू सरकार ने न केवल उनकी अवहेलना की है अपितु उनके प्रति राष्ट्र के दायित्व की उपेक्षा की गई है । इसका परिणाम यह हुआ कि उनके अमूल्य दस्तावेज तथा क्रान्तिकारी अवशेष उपलब्ध हैं। परन्तु वैयक्तिक कटुता एवं राजनैतिक दुर्भावना के कारण नेहरू सरकार ने न केवल उनकी अवहेलना की है अपितु उनके प्रति राष्ट्र के दायित्व की उपेक्षा की गई है । इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक अमूल्य दस्तावेज तथा क्रान्तिकारी अवशेष और भी अनेक वस्तुएं दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के देशों में भी नष्ट की गई हैं।

अभी भी जापान, पूर्व पश्चिमी जर्मनी, इंग्लैण्ड, अमरीका, इण्डोनेशिया, मलाया, बर्मा, थाइलैण्ड, इटली, और अन्य देशों के संग्रहालयों में ऐसे दस्तावेज और सामग्री पड़ी है जिनका सम्बन्ध द्वारा प्रेरित कार्यों से है। उनको एकत्र करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। विदेश मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वतन्त्रता संघर्ष के यह अमूल्य दस्तावेज इन देशों के संग्रहालयों से एकत्र किए जाएं ।

मंत्री महोदय को सिंगापुर के क्षतिग्रस्त आजाद हिन्द फौज शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण करना चाहिए। यह स्मारक नेताजी द्वारा जुलाई 1945 में बनाया गया था । लार्ड माऊण्टबेटन ने इसको नष्ट कर दिया था ।

पहले एक बार मैंनें सदन म इस मामले को उठाया था तो श्री शाहनवाज खान ने कहा था कि ध्वस्त स्मारक का एक भाग उनके रावलपिंडी वाले घर में पड़ा है । उस समय पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं थे और तब इन चीजों को वापस लाना बड़ा मुश्किल था लेकिन अब पाकिस्तान से हमारे राजनयिक सम्बन्ध पुनः कायम हो गए हैं और अब स्मारक का यह भाग भारत लाया जा सकता है ।

आजाद हिन्द फौज का मुख्यालय अभी भी सिंगापुर म है और नेताजी जिस मकान म रहते थे वह भी मौजूद है । विदेश मंत्री को सिंगापुर की सरकार से यह दोनों स्थान खरीद लेने चाहिएं क्योंकि इनका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है ।

खोसला आयोग ने विमान दुर्घटना और नेता जी की मृत्यु के बारे में जांच की थी। मैक आर्चर और माउन्ट बेटन मुख्यालय द्वारा बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया गया था । यह बहुत दुख की बात है कि खोसला आयोग ने उन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने का यत्न नहीं किया । विदेश मंत्री के लिए अमरीका और इंगलैण्ड से यह प्रतिवेदन प्राप्त करना अब सरल और संभव है ।

मुजीब और उनके मंत्रियों की हत्या के बाद बंगला देश के कई स्वतन्त्रता सेनानियों तथा कई अन्य लोगों ने भारत की शरण ली और भूतपूर्व सरकार ने उनके प्रति कुछ वायदे किए । लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान सरकार ने भूतपूर्व सरकार से भिन्न नीति अपनाई है। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें भारत से जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा । उन्हें स्वदेश वापस लौटना पड़ रहा है । बंगला देश ने आश्वासन दिया था कि देश लौटने पर उन से अच्छा व्यवहार किया जाएगा ।

बंगला देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाने की जो भी न्यूनतम आवश्यकता है हमें उन्हें पूरा करना चाहिए, परन्तु हमें बंगला देश महजबी राजनीति, लोगों को दबाने की राजनीति तथा लोकतंत्र को दबाने की राजनीति में सहयोग नहीं देना चाहिए ।

महोदय, मैं दो बातें और कहूंगा । पहली बात यह है कि हमें गुट निरपेक्षता की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए । हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति से आडम्बर की बू आती है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो वास्तव में गुट निरपेक्ष हो । प्रत्येक गुट निरपेक्ष देश का किसी न किसी बड़ी शक्ति वाले राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्ध होता है । हमें अपनी नीति अन्तर्राष्ट्रीय शांति, स्वतंत्र सौहार्दता तथा सभी राष्ट्रों के साथ समानता पर आधारित रखनी चाहिए ।

जहां तक राष्ट्र मंडल की सदस्यता का सम्बन्ध है, हम इस की सदस्यता जारी रख कर न जाने कब तक गुलामी की जंजीरों म जकड़े रहेंगे । यह न केवल नैतिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण है, अपितु राष्ट्र के जनमत के भी विपरीत है ।

डा० हेनरी आस्टन (एरणाकुलम) : वर्ष 1976-77 के विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन में विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि इस वर्ष हम अपने पड़ौसियों, विकासशील देशों तथा विकसित देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने में पहल करने में सफल रहे हैं। हमारी कुछ स्थायी समस्याएं दूर हुई हैं। हमारी इस सफलता का कारण क्या है । प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि भारत असुरक्षा तथा संकोच की भावना के बिना यह पहल करने म इस लिए सफल हो सकता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और गतिशीलता में लोच है तथा स्वतंत्रता के बाद के दशकों में प्रौद्योगिक तथा सुव्यवस्थित आधारभूत ढांचे की स्थापना की गई है। मैं आशा करता हूं कि जनता पार्टी के सदस्य इस प्रतिवेदन में किए गए इस उल्लेख को ध्यान में रखेंगे कि यह उल्लेख भारत को आर्थिक रूप से तथा प्रौद्योगिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना है । वस्तुत: विदेश नीति स्वदेश नीति का प्रतबिम्ब होती है । अन्तर्राष्ट्रीय नीति म हमारी उपलब्धता का कुछ श्रेय हमारी स्वदेश नीति को भी जाता है ।

मेरे माननीय मित्र विदेश मंत्री ने दावा किया है कि गत वर्ष उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में बिशेष उपलब्धि प्राप्त की है । लेकिन विदेश मंत्रालय को उन सभी अशुभ प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं और ये प्रवृत्तियां भारत से दूर नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया या हमारे निकट पड़ौस में विद्यमान हैं । मैं पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों का उल्लेख कर रहा हूं। यह सच है कि वर्ष 1972 के शिमला समझौते के अनुरूप पाकिस्तान के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत बना रहा है तथा आण्विक शस्त्र एकत्र कर रहा है जिससे पड़ौसी देशों को खतरा पैदा हो गया है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिन्दू महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि भारत को आण्विक अस्त्र बनाने चाहिएं । मैं माननीय मंत्री का ध्यान 25 जून के समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने बजट में आण्विक योजना परिव्यय को दस गुणा कर दिया है । गत वर्ष 4.79 करोड़ रुपए रखे गए थे और इस वर्ष 55 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी प्रकार ईरान में भी भारी पैमाने पर शस्त्र बनाए जा रहे हैं। अमरीका ने ईरान में सभी प्रकार के आण्विक तथा युद्ध हथियार रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अमरीका राडार की भी पेशकश कर रहा है ।

सोवियत समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि अमरीका ने बी-I बम जैसे घातक हथियार बना लिए हैं और वह इन्हें ईरान को बेचने वाला है । विदेश मंत्रालय को इस का ध्यान रखना चाहिए ।

हम यह कह रहे हैं कि पड़ौसी देशों के साथ विशेषकर दक्षिण एशियाई देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं और उनको सामान्य बनाया जा रहा है । परन्तु श्री लंका में क्या हो रहा है ? श्रीलंका की स्थिति को देखने से पता चलता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए चीन की सहायता ले रहा है और वहां चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है । श्रीलंका की आन्तरिक स्थिति भी हमारे पक्ष में नहीं है। श्रीलंका द्वारा अन्य देशों से सुरक्षा सहायता मांगने की नीति को हमें ध्यान सें रखना चाहिए। उन का ख्याल है कि भारत कई कारणों से उनका मित्र नहीं हो सकता। हमें इस का ध्यान रखना होगा ।

जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है श्री सिब्बन लाल सक्सेना ने कटौती प्रस्ताव पेश किया है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले लगभग एक करोड़ भारतवासियों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है और उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए । इस बात पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि नेपाल का झुकाव चीन की तरफ होता जा रहा है ।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, यह सच है कि हम दोनों देशों के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। परन्तु यह एक निम्न स्तर है । भारत चीन जैसे बड़े देशों को अधिकारियों के स्तर पर राजदूतों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए । अत: यह गहरे सम्बन्धों का सूचक नहीं है । पता चला है कि चेयरमैन हुआ ने देश के पूरे सैनकीकरण के लिए कहा है । यह भी पता चला है कि उत्तर पश्चिम सीमांत पाकिस्तान और चीन के बीच 493 मील लम्बी सड़क बनाई जा रही है ।

हिन्दमहासागर की स्थिति बहुत चिन्तनीय है। राष्ट्रपति कार्टर ने यह वक्तव्य जारी किया है कि अमरीका हिन्द महासागर में सेना के यथास्थिति के पक्ष में है। मंत्रालय यह बताए कि क्या आस्ट्रेलिया और अमरीका सैनिकीकरण एवं दियागो गार्शिया को शस्त्र गृह बनाने के बारे में सहमत हुए हैं।

अफ्रीका की स्थिति के बारे में पता चला है कि अफ्रीकी एकता संगठन ने मोजम्बीक को शीघ्र सेना भेजने का निर्णय किया है, क्योंकि रोडेशिया की सेना मोजम्बीक पर अनधिकार कब्जा कर रही है। अतः हमारी विदेश नीति को समय की मांग के अनुरूप मुक्ति आन्दोलन का समर्थन करना चाहिए और रंग भेद की समस्याओं पर प्रकाश डालने तथा रोडेशिया और जिम्बावें में मुक्ति आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए भारत में विदेश मंत्री को एक सम्मेलन बुलाना चाहिए।

वर्ष 1947 से 1954 के दौरान एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन से लेकर बांडुंग सम्मेलन तक भारतीय विदेश नीति अफ्रीकी एशियाई समस्याओं को विश्व के सामने रखने में रचनात्मक योगदान देती रही है। इस बारे में विदेश मंत्री को पहल करनी चाहिए।

श्री हरि विष्णुकामत (होशंगाबाद) : सर्वप्रथम मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय का नाम विदेश कार्य मंत्रालय होना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरा यह सुझाव स्वीकार किया जाएगा।

विदेश कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में दो पुस्तिकाएं हैं। एक पुस्तिका मार्च में लेखानुदान के समय दी गई और दूसरी जून में दी गई। दोनों पुस्तिकाओं में बहुत अशुद्धियां और असंगतियां हैं। सभा को यह बताया जाना चाहिए कि यह कैसे हुआ।

वर्ष 1977-78 का बजट प्राक्कलन 111.65 करोड़ रुपए है जब कि पुनरीक्षित प्राक्कलन 118.45 करोड़ रुपए दिखाया गया है। मार्च में पेश किए गए दस्तावेज में वर्ष 1977-78 का बजट प्राक्कलन 123.45 करोड़ रुपए है अर्थात् इसमें 12 करोड़ रुपए का अन्तर है। यह अन्तर कैसे हुआ। मंत्री महोदय यह बात सभा को बताएं।

वर्ष 1976-77 के मुकाबले वर्ष 1977-78 में किए गए प्रावधान में वृद्धि की गई है जिसका कारण बताया गया है कि विदेशों में कर्मचारियों के लिए सम्पत्ति खरीदना तथा उनके आवास के लिए उन्हें बताया जाना है। इस प्रकार की फिजूल खर्ची को रोका जाना चाहिए।

मार्च के अन्त में या अप्रैल के शुरू में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के समन्वय ब्यूरो की जो बैठक हुई थी उसमें विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार अवश्य बदली है लेकिन हमारी विदेश नीति नहीं बदली है और विगत सरकार का झुकाव जिस ओर रहा वह ठीक किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह किसी का भी पक्ष नहीं लेगी। अतः एक सीधे रास्ते का अनुसरण करना होगा।

प्रधान मंत्री ने हाल के अपने एक भाषण में कहा है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति पर अटल रहेगा और विश्व के सभी के देशों के साथ उसके सम्बन्ध सद्भाव और शान्तिपूर्ण होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम विश्व के सभी देशों विशेषकर बंगलादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य बनाएंगे।

प्रश्न यह है कि अब तक इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया है। आशा की जाती है कि नए विदेश मंत्री एक नया रचनात्मक तथा गतिशील दृष्टिकोण अपनाएंगे और विदेश नीति सम्बन्धी घोषणाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा लेकिन अभी तक विदेश नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई नहीं दिया।

जहां तक राष्ट्रमंडल का सम्बन्ध है स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि राष्ट्र मण्डल से सम्बन्ध बनाए रखना या तोड़ना सभा अथवा संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्र मंडल के सभी देशों में उनकी विचारधारा, उनकी नीतियों, उनके दर्शन और उनकी सम्पत्ति में कोई बात समान नहीं दिखती। राष्ट्र मंडल एक विभिन्न सी राजनीतिक संस्था है।

अब समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या हमें राष्ट्र मण्डल से सम्बन्ध बनाए रखने चाहिएं अथवा नहीं। आयर देश जैसे ही स्वतंत्र हुआ उसने राष्ट्र मंडल से अपने सम्बन्ध तोड़ लिए लेकिन उनसे

एक समझौता कर लिया । यदि हम राष्ट्र मंडल से अलग हो जाते हैं अथवा उसके सदस्य नहीं रहते तो इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा ।

जहां तक गुट निरपेक्षता की नीति का सम्बन्ध है हम वास्तविक गुट निरपेक्षता चाहते हैं। क्या पश्चिम एशिया में हमारी नीति वास्तव में गुट निरपेक्षता की है । अरब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और यह मैत्री भाव बना रहना चाहिए साथ ही इजराइल के साथ भी सम्बन्ध बने रहने चाहिए । मंत्री महोदय ने हाल ही में कहा है कि जब तक इजराइल कब्जे में ली गई भूमि पर से अपनी सेना नहीं हटाता तब तक इजराइल के साथ सम्बन्ध सामान्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक पाकिस्तान और चीन का सम्बन्ध है उन्होंने हमारी भूमि को हथियाया हुआ है फिर भी उन देशों के साथ हमारे राज नयिक सम्बन्ध हैं ।सरकार को इजराइल के साथ भी सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए ।

1962 में चीन के आक्रमण के बाद पंडित नेहरू ने स्वयं कहा था कि जहां तक चीन का सम्बन्ध है उसके मामले में गुट निरपेक्षता बिल्कुल समाप्त हो गई है हम उस स्थिति को जारी नहीं रहने देना चाहते, इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । शायद मंत्री महोदय ने कहा है कि जब तक चीन हथियाई गई हमारी भूमि को वापस नहीं करता तब तक चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते । मुझे मालूम नहीं कि यह रिपोर्ट कहां तक सच्ची है । मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चीन अपने कब्जे में किए क्षेत्र को छोड़ देगा । यदि वह ऐसा करता है तो पाकिस्तान को भी हथियाई गई भूमि छोड़नी पड़ेगी ।

भारत-रूस समझौता चीन के लिए बहुत ही अधिक उत्तेजनाजनक सिद्ध हुआ । चीन ने सोचा कि हम सोवियत संघ के प्रभाव में आ रहे हैं किन्तु यह बात सच नहीं है । क्या सरकार का अन्य देशों से भी ऐसे समझौते करने का प्रस्ताव है । शायद सरकार अपनी नीति में कोई आधार भूत परिवर्तन करने पर विचार करने में असमर्थ है ।

जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि यह सभा नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री कोइराला के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेगी और अपने ध्येय में उनकी सफलता की कामना करेगी ।

जहां तक चीन के साथ सम्बन्धों का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने 1962 में सभा द्वारा पारित संकल्प का अपने भाषण में उल्लेख किया है । संकल्प में भारत की पवित्र भूमि से आक्रमणकारी को खदेड़ने की बात कही गई थी । मंत्री महोदय ने कहा है कि हम अब भी उसी संकल्प के पक्ष में हैं। उन्हें चीन के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : भारत सरकार को सारे विश्व में और विशेषकर अफ्रीकी-एशियाई देशों में एकता को मजबूत बनाने के लिए अधिक रचनात्मक कदम उठाने चाहिएं । इयान स्मिथ की अल्प संख्यक सरकार रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका के लोगों का अमानवीय दमन कर रही है । दक्षिण अफ्रीका के बारे में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को लागू नहीं किया गया है । इन लोगों को दी जा रही यातनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। साम्राज्यवादियों का मुकाबला करने के लिए उन लोगों को हथियारों सहित हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए । अफ्रीका में कई स्वंत्रत आन्दोलन नई सीमा पर पहुंच गए हैं। उनका मुक्ति आन्दोलन तभी सफल हो सकता है जब अफ्रीकी-एशियाई देश उन्हें आवश्यक नैतिक और अन्य प्रकार की सहायता दें । हालांकि हमने उनको समर्थन दिया है फिर भी उन्हें ठोस सहायता देने के प्रयास किए जाने चाहिएं ।

इजराइल द्वारा जबर्दस्ती से कब्जे में ली गई फिलिस्तीनी भूमि को खाली कराया जाना चाहिए। हमें किसी भी तरह के दबाव को ध्यान में रखते हुए फिलीस्तीनी लोगों को हर सम्भव सहायता देनी चाहिए।

चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने के लिए की गई कार्यवाही का स्वागत है । केवल राजनयिक सम्बन्ध कायम करने या व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने से काम नहीं चलेगा । दोनों देशों के बीच राजनीतिक वार्तालाप होना चाहिए ताकि पूर्ण मित्रता को पुन: स्थापित किया जा सके ।

हमारी सरकार को यह मांग करनी चाहिए कि अमरीकी सैनिक दक्षिण कोरिया को खाली करें क्योंकि वहां तनाव है । हमें दोनों कोरिया देशों के एकीकरण की मांग भी करनी चाहिए ।

हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने वियतनामी स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया है, परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं । पैरिस शान्ति सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि अमरीका वियतनामी लोगों को अपने देश के

पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास करने के लिए उन्हें सहायता देगा परन्तु यह वचन निभाया नहीं गया । हमारी सरकार को अमरीकी सरकार से अपना यह वचन निभाने के लिए आग्रह करना चाहिए ।

अमरीका ने कहा है कि वह डियगो गार्सिया दीप में अपने अड्डे को नहीं हटाएगा । इससे हमारे देश की सुरक्षा को सदैव खतरा बना रहेगा । इसके लिए हमें व्यापक जनमत तैयार करना चाहिए डियगोगार्सिया में अमरीकी सैनिक अड्डा नहीं बनने दिया जाना चाहिए । हिन्द महासागर एक उन्मुक्त ज़ोन होना चाहिए । सभी तटवर्ती देशों ने इसके लिए मांग की है । पता नहीं माननीय मंत्री ने इस बारे में अपने भाषण में उल्लेख क्यों नहीं किया है । उन्होंने बंगला देश, पाकिस्तान, नेपाल और श्री लंका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बध बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। यह अच्छी बात है । पर साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में एक ऐसी एजेंसी का उल्लेख किया गया है जो शरणार्थियों को इधर आने के लिए उकसाती है जिसका उपयोग प्रतिक्रियावादी तत्व करते हैं और जो ढाका सरकार के विरुद्ध घृणा का अभियान चलाए हुए हैं। इस तरह की कार्यवाही को रोका जाना चाहिए ।

हमारा राष्ट्र गुट-निरपेक्ष है । हमें अपने देश की भूमि पर ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

हमारा आर्थिक आधार सुदृढ़ नहीं है और हम अधिक से अधिक अमरीकी सहायता पर निर्भर करने लगे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अमरीका हिन्द महासागर में एक शक्तिशाली अड्डा बनाना चाहता है। अतः हमें अपना अधिकार खोकर सहायता पर निर्भर नहीं करना चाहिए ।

विदेश मंत्री जी ने सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ करने की बात कही है । मैं उसका स्वागत करता हूं । श्री कामथ ने ठीक ही कहा है कि हमें राष्ट्र मंडल का सदस्य नहीं बने रहना चाहिए । इससे अविकसित देशों के बीच गलत धारणा पनप रही है । हमें इसका निराकरण करना चाहिए ।

इंदिरा गांधी सरकार ने अरब देशों की दिल्ली में जातिवाद के विरुद्ध संगोष्ठी करने की अनुमति नहीं दी थी । अब हमें उसमें रुकावट न डालनी चाहिए ।

(—व्यवधान—)

आप बाधा न डालिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी का पारपत्र जब्त कर दिया गया था ताकि वे इंगलैण्ड या अमरीका जाकर अपने सम्बधियों से न मिल सकें । कई अन्य व्यक्तियों के पारपत्र भी जब्त कर लिए गए । अब मंत्री महोदय यह जांच कराएं कि ऐसा क्यों किया गया था ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय ही हमें विदेश नीति पर बोलने का अवसर मिलता है । मुख्य रूप से राष्ट्रीय हित को देख कर ही हम विदेश नीति निर्धारित करते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति हमारे राष्ट्रीय संघर्ष, उद्देश्य तथा राष्ट्रवाद का सही रूप है । इस नीति ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा स्थान बनाया है बल्कि गुट निरपेक्षवाद तथा समाजवादी दर्शन की हमारी वचनबद्धता को भी मजबूत बनाया है । इस नीति के कारण ही आज तक हम किसी भी देश के पिछलग्गू नहीं बने हैं । हमने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा है ।

गुटनिरपेक्षता की नीति को हमने तीसरा गुट बनाने के लिए नहीं चुना है बल्कि विश्व में शान्ति स्थापना के लिए अपनाया है । हालांकि यह सरकार मानवीय अधिकारों के प्रश्न को उठा कर सत्ता में आई है । लेकिन इसने बंगला देश के उन हजारों राष्ट्र भक्तों को धोखा दिया है जिन्होंने इस देश में शरण मांगी थी । सरकार की मान्यता देने का अर्थ यह नहीं है कि हम बंगला देश के राष्ट्र भक्तों को शरण देने के अपने अधिकार का प्रयोग न करें । यह प्रश्न श्री बी० पी० कोरराला के बारे में भी है । नेपाल की राजा शाही उन्हें तंग कर रही है । मंत्री जी को स्पष्ट रूप से अपनी नीति के बारे में बताना चाहिए । वियतनाम को सहायता देने के बारे में उनकी क्या राय है यह सभी बातें स्पष्ट होनी चाहिए ।

चीन के साथ राजदूत स्तर पर सम्बध बनाए जाने का स्वागत है । मुझे आशा है कि उस देश के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध भी सुधरेंगे । इजराइल के समर्थकों को जनता पार्टी में शरण मिली है । राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि हमें अरब देशों के साथ मित्रता बनाए रखनी चाहिए । इजराइल के निकट आने के प्रयास विफल कर देने चाहिएं । केरल के काफी लोग कुवैत और संयुक्त अमीरात में रहते हैं । सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने की दृष्टि से हमें वहां शिष्टमंडल भेजने चाहिएं । मुझे आशा है कि वर्ष में एक या दो बार सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को वहां भेज जाएगा ।

विधान सभा में संकल्प पारित किया गया था कि सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम ही दक्षिण अफ्रीका की त्रस्त जनता का वैध शस्त्र है । हम इस स्थिति से पीछे नहीं लौट सकते क्योंकि भारत ने ही यह संकल्प पेश किया था ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker In the Chair]

हमें स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करते रहना चाहिए ।

खेद है कि प्रतिवेदन में बहुराष्ट्रीय निगमों का कोई उल्लेख नहीं कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाबे और नामिबीआ में क्या भूमिका निभाई है ।

सोवियत संघ के साथ मित्रता के सम्बन्ध यथापूर्व बनाए रखने की घोषणा का स्वागत है । सोवियत संघ की और हमारी विचारधारा समान है। हम उनके समर्थन के आभारी हैं। अतः भारत-रूस सम्बन्ध और दृढ़ किए जाने चाहिएं ।

अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध यथार्थता के आधार पर विकसित होने चाहिएं । प्रसन्नता की बात है कि अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर के प्रशासन ने विश्व की समस्याओं पर नए दृष्टिकोण से विचार किया है । हमें अपने राष्ट्रीय हितों पर आंच नहीं आने देनी चाहिए । मित्रता दृढ़ करने के प्रयास जारी रहने चाहिएं । हाल के महीनों में अनुसंधान और विश्लेषण विभाग पर बहुत प्रहार किए गए हैं और निंदा की गई है । विदेश नीति के सम्बध में सामरिक महत्व की आसूचना सुसंगत साधन था । अनेक वर्षों में बनी सेवा को नष्ट नहीं करना चाहिए । हम विदेश नीति को कारगर बनाना चाहते हैं। इसलिए उस सेवा को इसलिए समाप्त न किया जाए कि उनका दुरूपयोग किया गया है ।

(—व्यवधान—)

मुझे आशा है कि श्री वाजपेयी गुट-निरपेक्षता की नीति सुदृढ़ करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : माननीय विदेश मंत्री जी ने जो बजट की मांगे पेश की हैं मैं उनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । जहां तक राष्ट्रीय हित का प्रश्न है, राष्ट्रीय हित तो स्थायी है हां इस बात पर मतभेद हो सकता है कि उसके किस पक्ष पर अधिक जोर दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय हित व्यावहारिक हैं, सिद्धान्त परक नहीं ।

हमारी विदेश नीति के चार मुख्य तथ्य हैं: आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक तथा सांस्कृतिक । राजनीतिक पहलू को तो विदेश मंत्री पर छोड़ा जाना चाहिए । लेकिन आर्थिक क्षेत्र में हमारे विदेश नीति की पैठ कहां तक है । भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारी विदेश नीति का स्वाभाविक तौर पर दवाव दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी समुद्रतटों के देशों पर पड़ना चाहिए । लेकिन हमारी नीति का विशेष प्रभाव इन देशों पर नहीं पड़ा है ।

लेकिन आर्थिक शक्ति संतुलन भी शान्त महासागर के देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की ओर झुका है । इन देशों के पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं जिनकी वहां जरूरत है । लेकिन वहां प्रौद्योगिकी की कमी है । हमें अपने तकनीकी का लाभ उन्हें देना चाहिए ।

पेट्रोल हमारी एक बड़ी समस्या है । हमारे निकट ही पेट्रेल के साधन उपलब्ध हैं । ब्रूनेयी एक छोटा-सा स्वतंत्र टापू है जिसके पास अबूधाबी, कतार या कुवैत के समान ही पेट्रोल के विशाल भंडार हैं । लेकिन ब्रूनेयी को तकनीकी विकास करना है । वहां एक शिष्टमंडल भेजा जाना चाहिए । उनके साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए ।

बिना प्रतिबंध के सहायता नहीं मिलती है । अतः जहां तक सम्भव हो हमें कम से कम सहायता लेकर देश का विकास करना चाहिए ।

इजराइल और अरब के बीच राजनीतिक विवाद है । जब रूस, इंगलैण्ड और अमरीका उनके साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते । लेकिन यह हमारी सीमा के अधीन ही होने चाहिए ।

व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि सऊदी अरब के साथ हमें अपने सम्बन्ध बढ़ाने चाहिएं । क्योंकि वह देश भी विकास करना चाहता है और हम उसकी सहायता कर सकते हैं ।

हमें आज दो खतरों का सामना करना पड़ रहा है । हिन्द महासागर में हमारे देश का सामरिक महत्व है । हमारी समुद्री सीमा मालदीव द्वीप समूह की समुद्री सीमा से मिलती है । मैं हैरान हूं कि मालदीव जैसा स्वतंत्र गणराज्य भी अपने नौसैनिक अड्डे को पट्टे पर देना चाहता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होते हैं और न ही कोई स्थायी मित्र । केवल हमारे हित स्थायी हो सकते हैं ।

हिन्द महा सागर के बारे में इतनी अधिक चर्चाएं होती रही हैं परन्तु यह जानकर हैरानी होती है कि अभी तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं हो सका ।

कल के समाचार पत्र में यह समाचार है कि अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य हिन्द महा सागर के बारे में बात चीत हुई है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बारे में एक लम्बा प्रस्ताव पारित किया । परन्तु यदि हम वास्तव में हिन्द महा सागर क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हिन्द महा सागर के साथ लगने वाले सभी अफ्रीकी एशियाई देशों को परस्पर सहयोग से संयुक्त उपाय करने चाहिएं । सुरक्षा संधियों में मेरा विश्वास नहीं है । शान्ति एवं आर्थिक विकास के बिना कोई आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता ।

हम चीनी आक्रमण की चर्चा करते आए हैं । चीन ने वास्तव में हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया था । उस बारे में हम क्या कर रहे हैं । पहले वहां पर बहुत से शिष्ट मंडल भेजे गए थे । उनके स्थान पर संसद सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं भेजा जाता ।

विभिन्न देशों में संसदीय शिष्ट मंडल भेजे जाने चाहिएं ताकि उन देशों में भारत के सम्बन्ध में फैलाए गए भ्रम दूर किए जा सकें । दक्षिण अमरीकी देशों से हमें अपने सम्बन्ध सुधारने चाहिएं । यह सभी देश हमारे साथ व्यापार सम्बन्ध रखने को तैयार हैं ।

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : 1977 में भारत में अपूर्व रक्तहीन क्रान्ति हुई है । जनता पार्टी ने आम चुनाव में महत्वपूर्ण बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाई है ।

थोड़ी अवधि में सरकार की विदेश नीति की परख करना सम्भव नहीं है । पड़ोसी मित्र देशों से मिलने के बाद सरकार इस पर विचार कर सकेगी तथा विदेश नीति का निर्धारण किया जा सकेगा । सरकार की विदेश नीति देश के हितों को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए । यह दीर्घकाल के लिए होनी चाहिए ।

सरकार बदलने के बाद बहुत से विकल्प रहते हैं । सरकार मित्रता के नए आधार कायम कर सकती हैं ।

आज सम्पूर्ण विश्व स्वीकार करता है कि भारत आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से महान देश बन गया है । भारत की जनता ने लोकतंत्र में आस्था का अच्छा प्रदर्शन किया है । हम इस विश्वास से लाभ उठाकर देश को और आगे ले जाना चाहिए ।

हाल ही में अमरीका की भारत में नई रूचि पैदा हो गई है । हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण हमारे रूस के साथ सम्बन्ध अमरीका की अपेक्षा अधिक निकट रहेंगे । चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बदलते रहे हैं । चेयरमैन माओ के बाद चीन में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ सकी । भारत की आर्थिक एवं सामजिक समृद्धि चीन को भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने पर विवश करेगी ।

पाकिस्तान भारत के साथ बराबरी का दावा अब बहुत समय के लिए नहीं कर सकेगा ।

नेपाल के साथ हमारी बहुत सी समानताएं हैं । भारत-नेपाल सम्बन्ध सुधारने में हमें पहल करनी चाहिए । नेपाल में हमें विशेष रूचि लेनी चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारी सांस्कृतिक एकता है ।

आज विकसित देशों में भारत का मस्तिष्क ऊंचा हुआ है । गुट निरपेक्ष देशों में भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है ।

इस दशक में तीसरा विश्व एक शक्तिशाली पक्ष के रूप म सामने आएगा । देशों के इस वर्ग में भारत अपनी स्थिति सुधार सकता है । इन सभी बातों को ध्यान में रख कर हम अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध सुधार सकते हैं । ताकि स्थायी शान्ति कायम की जा सके ।

पिछले 100 वर्ष से विश्व म वैज्ञानिक ज्ञान चरम सीमा को पहुंच गया है । आज मानव एक ओर समद्धि और दूसरी ओर विनाश से घिरा हुआ है । आज मनुष्य अपनी आत्मा को पहचानने में असमर्थ है ।

भारत प्राचीन और आधुनिक के बीच एक कड़ी का कार्य करता है । गुटों में विभक्त विश्व का हम मार्ग-दर्शन कर सकते हैं । हमें आदर्शों की स्थापना से बढ़कर उन्हें व्यवहारिक रूप देने पर अधिक बल देना चाहिए ।

SHRI ARIF BEG (Bhopal) : So far as our foreign policy is concerned we are trying to establish friendly relations with all the countries. We are even trying to improve our relations with those countries with whom our relations had been strained.

The Foreign Affairs Minister has stated that we want better relations with all the countries. One hon. Member has said that while maintaining our good relations with Arab countries we want to better our relations with Israel. I do not agree with this contention. How can an aggressor be allowed to have the fruit of aggression ? It must vacate the Arab territory occupied by it. People say that Arabs exploit us. We can only be exploited if we are weak.

The former Government has advocated the policy of non-alignment.

We were advancing towards autocracy. I am happy that the people of India have expressed their liking for democracy in the last election. This has enhanced our prestige in the international sphere. We are lucky that now Shri Atal Behari Vajpayee is our Foreign Minister. In a short period he has explained our policy to the world in a very clear manner.

We know that China has occupied our land for the last many years. This issue was ignored by the previous Government. We should adopt a policy that may enable us to get the aggression vacated from our land and also establish good relations with China.

The people of India have rejected dictatorship and expressed their clear verdict in favour of democracy.

We have seen the developments took place in Pakistan after holding general elections there. It shows that the roots of democracy in this part of Asia Sub-continent have gone deep. The recent elections in our country have enhanced our prestige in the world. It is hoped that our foreign policy would achieve new heights of success. I would like to mention about the Indian Ocean. I agree with my friends that Indian Ocean should be a peaceful zone. There should not be any military base in the Indian Ocean. We do not want the presence of any power in the Indian Ocean, whether they are Russia, U.S.A. or any other big power. We are peace loving people and therefore, we are deadly against the presence of any power in this zone. We want the security of this zone.

We should learn lesson from Japan who have made great headway in the economic field. We can take advantage of the technical advancement made by that country in order to achieve self-reliance.

Our Ambassadors did not represent India properly. When they are appointed ambassadors in any country, they forget their culture and way of life and adopt the culture of that country. The Minister should ensure that their way of life should be in consonance with Indian culture. The Minister should look into it. It has also come to our knowledge that whenever Indian Delegations go abroad, these ambassadors do not treat them properly. We have seen that when the members of Senate of U.S.A. visit our country, the American embassy try their best to make their visit purposeful and extend them every facility.

People of Madhya Pradesh have to go to Lucknow to get passports for them. This causes a lot of inconvenience to them. These should be a passport office in Bhopal. Its a matter of fact every State Capital should have a passport office.

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Our country has a rich culture and heritage and our foreign policy should reflect our rich culture.

Our policy of non-alignment has no longer remained a policy of genuine non-alignment. Our Foreign Minister has taken early steps to set right the tilt in our policy of non-alignment. He deserves congratulations for this. Now we hope that due importance would be given to our nationality in the foreign policy. It is well known that in the past we ignored to make our friendly relations more strong with our neighbouring countries and that is why during the chinese aggression no neighbouring country showed her sympathy towards us.

Nepal is our neighbour with whom we have cultural ties. But the people of Nepal have certain misgivings about our country. In Nepal people are struggling against dictatorship. India has always cherished democratic values and we should therefore raise our voice against suppression of democratic values in Nepal we should adopt a global foreign policy which may be in our interest. A third power should be created.

The world is divided into two power blocks. Some countries are with U.S.A. While others are with U.S.S.R. We have to create third force in the world. Unless it is done, India's prestige cannot be enhanced. U.N.O. has not been able to solve Kashmir problem. It is better that we solve such problems bilaterally. Silent diplomacy is also important, as

we have with China today. It seems that Pakistan has been more successful in her foreign policy in comparison of India. We should go in for bilateral agreements in order to solve our problems with our neighbouring countries. Through these bilateral agreements. We can establish friendly relations with our neighbours.

Our foreign ministry should reflect our culture and way of living in conduct of its affairs. Our embassies and missions should also make every possible effort to reflect our Indian culture.

It is regrettable that we are deprived of having our national language as one of the languages of the U.N.O. It is hoped that the Minister would take steps to get recognition for our language in the U.N.O.

श्री पी० के० कोडियान(अदूर): विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत रूप से कहा है । इसमें उन्होंने विभिन्न देशों तथा उनके साथ हमारी समस्याओं का भी व्यापक रूप से उल्लेख किया है । किन्तु उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो मुझे चुभे से हैं । उन्होंने कहा कि अपनी विदेश नीति को प्रयोग में लाते हुए हम किसी पावर ब्लाक की भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाएंगे । साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गुट-निरपेक्ष का अर्थ कट्टर रूढ़िनीतिद्रोह नहीं है । जब कभी हमारे अपने हित में कोई तीव्र आलोचना करनी पड़े तो वह हमें करनी पड़ेगी ।

[**श्री एम० सत्यनारायण राव** पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair.*]

रोडेशिया दक्षिण अफ्रीका और अंगोला में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का हम पूर्ण समर्थन करते हैं । हमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ पश्चिमी देशों की नीति के प्रति अपनी असहमति प्रकट करनी चाहिए ।

मंत्री महोदय को हिन्द महासागर सें हमारी सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे सें कदम उठाने चाहिएं । इस क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में समुद्र तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था । सरकार ऐसे सम्मेलन के आयोजन के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है ? इसी प्रकार हिन्द महासागर में सैनिक और नौसैनिक अड्डे बनाने की नीति से हमारी सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के प्रति हम अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकते ।

मंत्री महोदय ने पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं । पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सैनिक सहायता हमारे लिए चिन्ता का विषय है । भारत सरकार को पश्चिमी शक्तियों द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियारों की सप्लाई किए जाने के प्रति अपना रोष प्रकट करना चाहिए ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इन आरोपों की जांच की गई है कि बंगला देश के शरणार्थियों को जबरन भारत से निकाला गया था, मेघालय, बंगला देश सीमा पर कुछ चिंताजनक घटनाएं घट रही हैं । प्रधान मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कि भारत में राजनीतिक शरण मांगने वालों को शरण देने से इन्कार नहीं किया जाएगा और उन्हें बाहर नहीं भेजा जाएगा । लेकिन सीमा सुरक्षा दल तथा अन्य सरकारी एजेंसियां ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही हैं कि ये शरणार्थी भारत छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं । और बंगला देश वापस चले जाते हैं । कुछ मामलों में तो यह स्पष्ट हो गया है कि बंगला देश के शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बंगला देश की सीमा सुरक्षा दल को सौंप दिया गया है और उनमें से कुछ को गोली से मार दिया गया है । यदि यह बात सही है तो हमारी सरकार को ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर न हों । मंत्री महोदय को इस मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिए ।

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : Our relations with Arab Countries are good. But we are not developing our relations with Israel lest Arab countries should be angry. This attitude is against the policy of non-alignment. We should develop our relations with Israel also.

Most the Ambassadors appointed by the previous Government were either those politicians who were defeated in elections or those who were liked by the Government. Some of them believe in certain isms. They may not be able to put forth policies of the new Government properly. There is need for reorganisation of our embassies and missions in foreign countries so that they are able to project the policies of the new Government properly. Both professionals and non-professionals should be appointed in our embassies and missions.

There are countries in the world where there is suppression of basic human rights. This matter should be raised seriously in the United Nations.

People of Madhya Pradesh experience a lot of difficulty in getting passports. They have to go to Lucknow for that purpose. A passport office should be opened in Madhya Pradesh.

India has a rich cultural heritage. At present our culture is not being propagated properly in foreign countries. There is need for propagation of our culture in those countries. Small booklets depicting various aspects of our culture should be published and circulated in foreign countries. Good scholars should be entrusted with the jobs of propagating our culture.

There are a number of Indians in foreign countries. These Indians do not have associations. Our embassies should take steps to see that associations of these Indians are formed.

Indians in foreign countries want to visit India after every one or two years to meet their relatives. It is learnt that these people are prepared to come to India every year at their own expenses. If a conference of those people is convened every year they will remain in touch with our culture and on return will propagate our culture according to the guidelines provided to them.

We should also make an effort to see that foreign newspapers adopted a favourable attitude forwards our country. We can give advertisements to paper to win them order.

श्री जी० एम० बनतवाला (प्रोन्नानी) सभापति महोदय भारत की विदेश नीति व्यवहारिक तथा बुनियादी तौर पर गुट निरपेक्षता की है यह नीति भारत की एवं विश्व की आवश्यकताओं के अनुसार है यह समय की कसौटी पर सही उतरी है । गुट निरपेक्ष नीति अपनाने का निर्णय लेने पर सरकार बधाई की पात्र है । विदेश मंत्री ने कहा है कि गुट निरपेक्ष की नीति व्यक्ति विशेष या दल विशेष की नीति नहीं है बल्कि यह नीति राष्ट्रीय जनमत के रूप में उभर कर आई है यह विचार मात्र मंत्री महोदय के नहीं हैं अपितु उहोंने सारे राष्ट्र की भावनाओं को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है ।

सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि भारत अरब के हितों की रक्षा करेगा, । इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है ।

एक प्रैस कांफ्रेन्स में प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, हम शांति प्रिय अनुसंधान कार्य के लिए आणविक अस्त्रों का शांति प्रिय विस्फोट नहीं करेंगे । यह घोषणा राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है हालांकि यह अमरीकी विदेश नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप है । प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत किसी देश के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं रखेगा और भारत की विदेश ीति वस्तुतः गुट निरपेक्ष की रहेगी । हमारी गुट निरपेक्ष की नीति राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों की वा.तविकताओं से विमुख न ीं हो सकती ।

हाल के वर्षों सें पासपोर्ट आवेदनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । अतः स्थानीय पासपोर्ट का लियों में कर्मचारियों की संख्या तथा स्थान मे वृद्धि की आवश्यकता है । यह बात सभी स्थानीय पासपोर्ट कार्यालयों और विशेषकर बम्बई और एरणाकुलम के सम्बन्ध में सही है । सरकार को कर्मचारियों की संख ा तथा स्थान बढ़ाने सें हिचकिचाहट नहीं बरतनी चाहिए ।

वर्ष 1975 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को 162 लाख रुपए के राजस्व की आय हुई 58 लाख रुपए व्यय हुए और 104 लाख रुपए का लाभ हुआ । 1976 मे राजस्व बढ़कर 213 लाख रुपए हो गया लेकिन व्यय लगभग समान ही अर्थात 61 लाख रुपए हुआ और 152 लाख रुपए का लाभ हुआ । अतः सरकार को कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए । साऊदी अरब, कुवैत, बहरीन तथा ओमान के लिए पृष्ठांकन हेतु आवेदनकर्ताओं को काफी कठिनाई हो रही है । पासपोर्ट प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई न हो इसके लिए सरकार को प्रयत्न करने चाहिएं । भारत अरब सहयोग के हित म यह सभी कठिनाइयां दूर की जानी चाहिएं ।

हज किराए में काफी वृद्धि की गई है । इस वर्ष भी हज किराए म 300 रुपए की वृद्धि की गई है । प्रायः प्रति वर्ष किराए में वृद्धि की जा रही है 1971 मे डेक क्लास का किराया 600 रुपए था, 1972 मे 700 रुपए कर दिया गया, 1973 म 800 रुपए, 1974 में 900 रु० और फिर दिसम्बर 1974 में ही 1350 रुपए कर

दिया गया और 1975 में 1500 रुपए तथा 1976 में 1650 रुपए किया गया अब फिर 300 रुपया किराया और बढ़ाया गया है । इसके प्रति लोगों में काफी रोष है । मुगल लाइन्स सेवा हज यात्रियों के लिए अत्यन्त अपर्याप्त और खराब है । विदेश मंत्री हज यात्रियों को इस दुखद स्थिति से को बचाएं और कठिनाइयों को दूर करें इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपका धन्यबाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है ।

श्री के० लकप्पा (तुमर) : प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री दोनों ने कहा है कि 'वास्तविक गुट निरपेक्ष' नीति ही अपनाई जाएगी लेकिन प्रमुख जनता श्री हरिविष्णु कामत ने कहा है ईज़राइल के प्रति भारत की नीति बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है । इज़राइल की नीति के आगे घुटने टेकना प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री के वक्तव्यों से मेल नहीं खाता ।

गुट निरपेक्षता की नीति श्री जवाहर लाल नेहरू की देन है इसका आदर किया जाना चाहिए । यह कांग्रेस की नीति है इस नीति से आपको सबक सीखना चाहिए क्योंकि आपकी कोई नीति नहीं है ।

गुट निरपेक्षता का अर्थ गलत या सही न्याय या अन्याय के प्रति तटस्थ रहना नहीं है । गुट निरपेक्षता न्याय तथा सत्य पर आधारित होनी चाहिए । जनता सरकार को गत सरकार द्वारा अपनाई गई सफल एवं विश्व प्रशंसित नीति से विमुख नहीं होना चाहिए । जनता पार्टी न तो विदेशनीति समझती है और न ही अपने विभिन्न घटकों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखती है । इसके घटक असामाजिक, सोवियत विरोधी अमरीकी पक्षीय, इज़राइल पक्षीय तथा फ़िलस्तीनी समस्या को समझने में अरब विरोधी रही है ।

मंत्री महोदय ने जोरदार शब्दों में कहा है कि वे गुट निरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं । उनके पास विश्व प्रशंसित कांग्रेसी परम्पराओं को अपनाने के सिवाए कोई विकल्प नहीं है ।

गत कई वर्षों में भारत की विदेश नीति के प्रति गत कांग्रेसी सरकार के दृष्टिकोण के कारण ही विश्व की राय बदली है । पश्चिमी देशों की राय बदलने तथा अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा भारत की नीतियों के बारे में प्रगट की गई प्रक्रियाओं से उत्पन्न स्थिति से भारत और भी मजबूत होकर उभरा है और अब उसे बड़े शक्तिशाली केन्द्र के रूप में जाना जाता है ।

दक्षिण अफ्रीकी राज्यों द्वारा जातीय समानता एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के साथ भारत का नाम भी जुड़ा हुआ है और इससे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है । इस प्रकार भारत वासी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को रूप देने के लिए सही भूमिका निभा सकता है ।

मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि पिछली सरकार की विदेश नीति से विश्व में देश की प्रतिष्ठा गिरी है। बल्कि उससे इसका मस्तक ऊंचा हुआ है। तस्कर विरोधी और आर्थिक कार्यक्रम से पड़ोसी देशों में अच्छा वातावरण बना है आर्थिक क्षेत्र में मज़बूती आई है जिससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है ।

यह भारत का सौभाग्य है कि सिंगापुर मलेशिया, इन्डोनेशिया, थाईलैण्ड, फिलीपाइन्स तथा अन्य विकासशील देशों से भारत के सम्बन्ध सौजन्यपूर्ण हैं। इसलिए तीसरे विश्व का सहयोग भारत की ओर विकसित भारतीय औद्योगिकी सस्ते मूल्य पर प्राप्त करने के लिए ही नहीं है वरन अपनी उन्नति के लिए आर्थिक सहायता पाने के लिए भी है ।

हाल ही में सहयोगी गुट निरपेक्ष देशों के मंत्रियों के पांच दिन के सम्मेलन में वस्तुओं के एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए अनक्टाड के जनेवा वार्ता शुरू करने में असफल रहने पर असंतोष प्रकट किया गया । यह इस बात का सूचक है कि सम्पन्न राष्ट्र वित्तीय मोर्चे पर गुटनिरपेक्ष देशों के आन्दोलन की प्रगति को बनाए रखने का विरोध कर रहे हैं। वे अपनी विलम्बकारी चालों से गरीब देशों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अमीर देश अर्थ व्यवस्था को व्यवस्थित करने में हिचकिचा रहे हैं इसलिए भारत के लिए तृतीय शक्ति के रूप में उठ खड़ा होना आवश्यक है तथा गुट निरपेक्ष देशों की सहायता से राष्ट्रों के समुदाय में नई वित्तीय व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ।

वियगो गार्सिया के सम्बन्ध में पूरे देश ने और पिछली सरकार ने भी सभी गुट निरपेक्ष देशों को एक होकर इस नौसैनिक अड्डे को बनाए रखने का विरोध करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया था । लेकिन आपने क्या किया । आपने इस मामले पर बात तक नहीं की । यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

जहां तक भारतीय सोवियत संधि का सम्बन्ध है हमें इसकी भावना को देखना चाहिए मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध म अपना स्पष्ट मत व्यक्त करे।

पासपोर्ट की सुविधा के लिए बंगलौर म एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया जाए हम काफी अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the demands for grants in respect of the Ministry of external affairs.

Congress Member Shri Lakappa has claimed that non alignment is the policy of the previous Government. I do not agree that the previous Government practised a genuine non-alignment policy. Their non alignment was a force which brought down its value. I hope that the present Government will practise real and genuine non alignment which will bring peace and prosperity throughout the world.

We must give more importance to our neighbouring countries than to big countries like America and U.S.S.R. We must see that our able and experienced diplomats are sent to our neighbouring countries so that our relations with these countries can be improved.

We wanted to foster good and friendly relations with Arab countries. But we also expected some friendly response from them. In the past our experience in this connection has not been happy. As regards Israel, we want that Israel must vacate the occupied territory of Arabs. But at the same time they are a brave nation who have undergone untold suffierings. We must be friendly with them and learn from them.

People in South Africa are victims of Aparthied. What must strongly protest against the policy of racialism. Every efforts should be made to see that the repression of South African people come to an end.

Efforts should be made to improve our relations with China. China has grabbed our land and we must continue our efforts to get it back. But our moves must be diplomatic and friendly.

Our embassies and mission abroad should seek the cooperation of Indians living in foreign countries. They can prove helpful in projecting a good image of our country abroad. Besides, attractive and informative literature which can throw light on our ancient culture and modern developments should be produced and distributed through these embassies.

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासौर) : सभापति महोदय विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है विदेश मंत्री द्वारा घोषित नीति का विशेष तौर पर इसलिए स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह आपातस्थिति के बाद घोषित की गई है। आपातस्थिति के दौरान समूची विदेश नीति का इस प्रकार उपयोग किया गया जो मूल सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसलिए मैं इस अग्रगामी और गतिशील विदेशनीति का स्वागत करता हूं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में "असली गुट निरपेक्षता" जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है।

विदेश स्थित हमारे दूतावासों के बारे में समय-समय पर टिप्पणियां की जाती रही हैं। यह ठीक है कि हमारे दूतावास देश तथा देशवासियों की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित नहीं करते जिसका कारण सरकार की दोषपूर्ण नीतियां ही हैं। हमें विदेशों म भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के बारे अपने दूतावासों को उचित निदेश जारी करने चाहिएं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय असली गुट निरपेक्षता की नीति को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।

SHRI KISHORE LAL (East-Delhi) : I am rising on a point of order. The report presented by the Minister of Foreign Affairs is not correct one. Our politicians were denegraded in the letters issued by the Foreign Ministry to the Foreign Embassies and Missions during emergency.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई प्वाइंट आफ ग्रर्डर नहीं है।

MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : I am grateful to the members who have participated in the debate. It is a matter of great

satisfaction that Shri Rameshwar Rao has assured the support of the opposition in the field of external affairs. On its part, the Govt. will also try to take the opposition and other parties of the House into confidence while deciding India's policy in the context of internal situation.

Question has been raised about the old policy to be followed by us in all matters or have an altogether new policy. Our view is that the subject or continuity or change in foreign policy should constantly be debated. No policy would ever be static; nor could one ever shut his eyes to the changed circumstances. It will be our effort to give a new dynamism to India's for foreign policy while retaining its basic tenets so that not only our interests are protected, the security and prosperity of the world is also ensured.

One Hon. Member, raised the question of discrepency on the figures of budget estimates of March and June. This discrepency is not the result of any miscalculation. We have tried to reduce the expenses in accordance with the directive of the Prime Minister and hence this change in the figures of budgetary estimates.

A question as to why we were purchasing land and buildings for our embassies, has also been raised. We received a complaint as to why was it not done earlier. These days rents have gone sky high which we cannot afford to pay. However, even now it is not too late and if we purchase buildings for our embassies we will not have to pay these prohibitive rents. At the same time it should be kept in mind that there is no extravagance in this regard and the buildings purchased are useful from the functional point of view.

So far question of our remaining in the Commonwealth is concerned, it may be stated Commonwealth is an emblem of slavery. The character of Commonwealth has changed; it is no longer a British Commonwealth. All the countries which are there in the Commonwealth have voluntarily decided to remain in it. The Commonwealth do not put any restrictions on us; it only provide us with a platform where we meet and discuss our common problems. As the House is aware, the Commonwealth has played an important role in the exchange of technical assistance and several countries have been benefited by it.

It is also said that Ministry of External Affairs, in fact, the whole of Government of India, should give recognition the important role played by Netaji Subhash, particularly abroad and should take some concrete steps to preserve its memory. I would like to assure that we will do whatever is possible in this connection.

In so far as the question of bringing the remains of Bahadur Shah Zafar to India is concerned, while the Government has no reservations about it there are some religious sentiments attached to this question. So we would not like to do anything which might heart the feelings of any one.

Question of Bangla Desh repatriates was also raised. We have already got the matter inquired into. If Members are not satisfied with that inquiry, we are prepared for a further probe. We do not want that any body be sent back against his wish; those who wanted political asylum will also be accommodated. But we would never allow anyone to use our territory for carrying on hostile activities against friendly countries.

Several Members raised the question of passports. Ever since I assumed the charge of this Ministry, I have been considering as to how the time taken in the issue of passport could be reduced. The entire process is very complicated and there is room for corruption in it. We will try to simplify it. The main difficulty is in regard to police verification. We will see that either it is completely done away with or it is so much simplified that it do not stand in the way of people wanting to move out. Another difficulty in regard to passports is experienced in the matter of endorsement by a Deputy Secretary. We are considering whether the Members of Parliament could not be authorised to do the endorsement. Even though it will require amendment of the relevant rules, it will have to be done.

As regards external publicity, a Committee has been set up to evaluate it. Publicity should be effective and free from partisan considerations. The Government of India will present the country's policy in its true form. If there had been any lapse somewhere it can be inquired into.

A sugestion that we should strengthen our relations with Latin America, was also made. It has already been stated that we intend to do so. With Brazil, Columbia, Peru, and Chile we are expanding our trade relation. In the field of science and technology we have entered into an agreement with Mexico and Peru. In Brazil we have organised an industrial exhibition last year and it is hoped that our relations will grow further.

The question of Indian Ocean was also raised. We have been trying our best to make it a peace zone. But this question is not confined to India, all the littoral countries are involved in it. The Non-aligned conference has passed a resolution in this regard and there is a resolution of the U.N. General Assembly also. It is our great desire that Indian Ocean become a peace zone.

So far as Paris Conference is concerned, it has neither been a failure nor a success. The expectations of the developing countries have not been fulfilled. The industrial nations should realise that if all wealth is concentrated in one part of the world and the other part become poorer and the gulf between the two go on widening, new tensions are bound to arise. It is in their interest that a new order is created in the world. The solution to their problem of inflation also lay in this that they conclude such agreements with the countries of the Third World whereby their man power, raw material and technical know-how could be utilised. We will continue to make our efforts in that direction.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश मंत्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of Ministry of External Affairs were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
34	विदेश मंत्रालय	64,89,58,000	5,60,93,000

इसके बाद लोक सभा गुरुवार 30 जून 1977/9 आषाढ़ 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 30th June, 1977/Asadha 9, 1899 (Saka).

589LSS/77--200—17-10-77—GIPF.